खण्ड-164, अंक-2
मंगलवार, 20 पौष, शक संवत् 1877
(10 जनवरी, 1956 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

**मंगलवार, १० जनवरी, १९५६**

---

**विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३२८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्ननगुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मेठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भवरजी, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधारसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबहीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## मंगलवार, १० जनवरी, १९५६

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### बांदा जिले में सरकारी बस सर्विस

**१--श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की किन-किन सड़कों पर सरकारी बसें चलती हैं तथा आगे किन-किन सड़कों पर कब से चलाने का आयोजन है ?

माल उप-मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--बांदा जिले में बांदा-नारायणी, बांदा-चिल्ला तथा बांदा-कबराय-महोबा मार्ग पर रोडवेज की सरकारी बसें चलती हैं। फिलहाल आगे इस जिले में और किसी सड़क पर सरकारी बसें चलाने का आयोजन नहीं है।

श्री रामसनेही भारतीय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार किन-किन उसूलों पर बस चलाने का आयोजन करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अब इसमें कोई खास उसूल नहीं हैं लेकिन जिस जगह पहले हमारा वर्कशाप है या रोडवेज का स्टेशन बन गया है उसके आसपास की सड़कों को पहले लेते हैं।

### दर्शकदीर्घा से निकलने पर विधान भवन के बाहर श्री प्रागनारायण नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी

**२--श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि विधान सभा की इस बैठक (दिसम्बर, १९५५) में किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठा था जिसके ऊपर बहुत-सी डकैती करने का आरोप है ? यदि हां, तो वह किसके द्वारा, कहां गिरफ्तार किया गया ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--१५ दिसम्बर, १९५५ को प्रागनारायण नामक एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा में बैठे पाये गये थे जो कि धारा ४५७ भारतीय दंड विधान के अभियोग में फरार थे, यह व्यक्ति पुलिस सब-इन्सपेक्टर द्वारा विधान भवन से बाहर निकलते समय गिरफ्तार कर लिया गया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस व्यक्ति को किस माननीय सदस्य द्वारा इस विधान भवन का प्रवेश-पत्र और दीर्घा पास दिया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा एक सवाल इसी के साथ था उसका जवाब नहीं मिला। उसमें डेफिनिटली यह पूछा गया कि किस माननीय सदस्य द्वारा प्रवेश-पत्र दिया गया था। उसकी सूचना तो माननीय मंत्री जी को अवश्य होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो प्रश्न उनके पास भेजे जाते हैं वही सूचना उनको हो सकती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह व्यक्ति हेबिचुअल क्रिमिनल था या पहले-पहल इसने क्राइम किया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ संदेह था लेकिन कोई मुकदमा इसके खिलाफ अब तक नहीं चला था ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार बतलायेगी कि यह व्यक्ति कहां का रहने वाला था और कब से खराब था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह व्यक्ति हसनगंज, पुलिस स्टेशन, बछरावां, जिला रायबरेली का रहने वाला था ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस व्यक्ति को सजा हो चुकी थी या इसके ऊपर कोई मुकदमा चलने वाला था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह व्यक्ति एक ४५७ के मुकदमें में फरार था जिस वक्त यह पकड़ा गया उस वक्त बहुत समय बीत जाने पर वह मुकदमा और दूसरे अभियुक्त बरी हो चुके थे। इस लिये इस पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि संबंधित व्यक्ति दीर्घा के अन्दर ही पहचान लिया गया अथवा इस भवन से निकलते पहचाना गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जब वह दीर्घा में बैठे थे उस समय उनको पहचाना गया। लेकिन वह गिरफ्तार यहां से बाहर निकलने के बाद ही किये गये ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह ४५७ का केस कहां किया था और कितना माल उसमें ४५७ में लिया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह ४५७ का केस जिला रायबरेली में हुआ था।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह व्यक्ति किसके द्वारा पहचाना गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सब-इंस्पेक्टर के द्वारा ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि जो व्यक्ति यहां ४५७ में गिरफ्तार हुआ था वह एक सप्ताह पहले से दारुलशफा में किसी विधायक के यहां ठहरा हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सम्भव है, माननीय सदस्य के पड़ोस में या उसकी जानकारी में कहीं ठहरा हुआ हो। मेरी जानकारी में तो नहीं था ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मेरे पड़ोस में तो सिर्फ कांग्रेस के ही एम०एल० एज० हैं और इस बात को सूचना समझ कर क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि वह किसके यहां ठहरा हुआ था ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

**३---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---[१२ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

## तारांकित प्रश्न

### लखनऊ नगर में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा क्वार्टरों का निर्माण

*१---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में पी० डब्ल्यू० डी० कुछ भवन निर्माण करा रहा है ? यदि हां, तो कितने ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---लखनऊ नगर में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा १८७ क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है।

*२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन मकानों में से कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को दिये जावेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---५० प्रतिशत ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि लखनऊ नगर में कहां-कहां और किस-किस टाइप के मकान बनाये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बशीरतगंज में १४४ मकान बन रहे हैं। इसमें ८ सी टाइप के, १३६ बी टाइप के। हैवलाक रोड पर ३६ बन रहे हैं जिनमें ८ बी टाइप के और २८ सी टाइप के। महानगर में ७ ए टाइप के क्वार्टर्स बन रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने क्वार्टर्स बिलकुल तैयार हो चुके हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---३१ दिसम्बर तक यह क्वार्टर्स बनने थे। मेरा खयाल है कि इसमें से अधिकतर क्वार्टर्स बन गये हैं।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किराया तय करने के क्या आधार हैं और किन-किन टाइप के मकान बन गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने तो बता दिया किस टाइप के क्वार्टर्स बन रहे हैं।

## गोरखपुर जिले में टिड़िया नाले को बांधने के लिये योजना

*३---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में बड़हलगंज से पूर्व घाघरा से निकलने वाले नालों को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---बड़हलगंज से पूरब की तरफ टिड़िया नाले का मुंह बन्द करने के लिये योजना तैयार कर ली गई है और शीघ्र काम आरम्भ किया जायेगा।

*४---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या यह सही है कि हाल ही में सिंचाई मंत्री घाघरा से होने वाले कटाव को देखने के लिये बगहा ग्राम गये थे, तथा वहां की सार्वजनिक सभा में कटाव को रोकने की व्यवस्था करने एवं टेड़िया नाला बांधने का आश्वासन दे आये थे ?

श्री राममूर्ति---जी हां। टेड़िया नाला बन्द करने के विषय में यह कहा गया था कि नाला बन्द करने की कोशिश की जावेगी परन्तु घाघरा से होने वाले कटाव को रोकने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था क्योंकि वैसा करना तब तक संभव नहीं था जब तक उस विषय का उपाय न निकल आवे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि योजना की रूप रेखा क्या है और इस पर कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---इसकी रूपरेखा यह है कि टेड़िया नाले का मुंह बन्द कर दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला मैंने पूछा कि कितना व्यय होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं दूसरा प्रश्न ले चुका हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर तो दे दिया।

## बांदा जिलान्तर्गत करवी नोटीफाइड एरिया की सड़कों के सुधार के लिये प्रार्थना-पत्र

*५—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार के पास नोटीफाइड एरिया कर्वी (बांदा) के प्रेसीडेंट ने सड़कों की दशा सुधारने के लिये सहायता पाने का प्रार्थना-पत्र दिया है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां ।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर पढ़कर सुनावेंगे इसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—उसमें जहां तक अनुदान देने का सम्बन्ध है इसके लिए तो कोई सरकारी बजट में प्राविधान है नहीं और जहां तक ऋण देने का संबंध है वह उस नोटीफाइड एरिया के पास आलरेडी ऋण है इसलिए उनको कोई ऋण दिया नहीं जा सकता ।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी नोटीफाइड एरिया की दरख्वास्त के ऊपर उसे म्युनिसिपल बोर्ड करार देने के वास्ते विचार कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जब वह वहां से प्रार्थनापत्र आयेगा उस पर विचार किया जायगा ।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी इसकी तलाश करने की कृपा करेंगे कि इसकी दरख्वास्त बहुत पहले आ चुकी है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

*६-७—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फर नगर)—[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

## बांदा जिले से नलकूप-परीक्षण की मांग

*८—श्री जगपति सिंह—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो नल-कूप परीक्षण के लिये गत वर्ष से सहायता दी जाने वाली थी वह प्राप्त हो चुकी या नहीं ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*९—श्री जगपतिसिंह—यदि प्राप्त हो चुकी है तो बांदा जिले में इसका परीक्षण कब से किन-किन स्थानों में किया जावेगा ?

श्री राममूर्ति—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगपतिसिंह—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इसकी जिले से मांग की गई थी ?

श्री राममूर्ति—यह मांग तो की गई थी लेकिन केन्द्रीय सरकार का जवाब यह आया है कि परीक्षण के नलकूपों का काम सन् ५७ में प्रारम्भ किया जायगा ।

*१०-११—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२—श्री लालबहादुरसिंह कश्यप (जिला बनारस)—[२४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

## बनारस जिला बोर्ड को सड़कों के निर्माण के लिये सहायता

*१३--श्री लालबहादुरसिंह कश्यप--बनारस जिला बोर्ड को सड़कों के निर्माण के लिये इधर दो वर्षों सन् १९५३-५४ व १९५४-५५ में कितना रुपया दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--बनारस जिला बोर्ड को केवल कच्ची सड़कों के लिये सन् १९५३-५४ में १९,२०० रुपया और १९५४-५५ में १८,८०० रुपये का अनुदान दिया गया।

श्री लालबहादुरसिंह कश्यप--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि बनारस जिले में कई सौ मील कच्ची सड़कें हैं या कितने मील कच्ची सड़कें हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--कितनी मील कच्ची सड़कें हैं इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है बताने के लिये।

श्री लालबहादुर सिंह कश्यप--क्या माननीय मंत्री जी वहां की जो कच्ची सड़कें हैं कई सौ मील उनको देखते हुये यह अनुदान कुछ अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगे आने वाले बजट में ?

श्री सैयद अली जहीर--अनुदान तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर जिला बोर्ड को दें लेकिन हमको तो सूबे भर की जो कच्ची सड़कें हैं जो जिले की हालत है उन सबको देखते हुये अनुदान को तय करना पड़ता है।

श्री लालबहादुरसिंह कश्यप--क्या माननीय मंत्री जी यह कृपा कर के बतलायेंगे कि अगली द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनारस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कुछ कच्ची सड़कें बनवाने की व्यवस्था की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, पंचवर्षीय योजना में सभी जगह बनी हैं बनारस में भी कुछ व्यवस्था की गयी होगी।

*१४--श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--[६ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१६--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--[२४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

## मिर्जापुर जिले में नवीन सड़कों के निर्माण के लिये मांग

*१८--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के रस्तोगी, मुइती, चौकिया शुरवा की सड़क को निर्माण करने के लिये स्थानीय जनता की मांग है और उसकी जांच मंत्री जी की ओर से हो चुकी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। जिला मिर्जापुर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस पर विचार किया जायगा।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर की द्वितीय पंच-वर्षीय योजना पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसमें विचार हो रहा है और मेरे अनुमान से शायद महीने या १५ दिन में यह समाप्त हो जायगा।

## मिर्जापुर जिले में गरई नहर की शेरवा माइनर पर पुल निर्माण की मांग

*१९--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर स्थित गरई नहर चौकिया ब्रांच के शेरवा माइनर में जहां भोका नाला पानी पार करने को पुल बना है उसे चौड़ा कर आदमियों तथा गाड़ियों के आने-जाने के लिये पुल बनवाने की मांग स्थानीय जनता द्वारा सरकार के पास आयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति--जी हां, प्रश्न में उल्लिखित पुल को चौड़ा करने के लिये स्थानीय जनता के प्रार्थना-पत्र आये हैं और उसके लिये तख़मीने तैयार किये जा रहे हैं।

*२०--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार शेरवा माइनर की पटरी को गनेशपुर बांध तक सड़क का रूप देने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह तखमीना कब तक तैयार हो जायगा और क्या यह पुल इस वर्ष बन जायगा ?

श्री राममूर्ति--तखमीने के बारे में कोई डेट मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन जब बन रहे हैं तो जल्दी ही बन जायंगे।

## बदायूं जिले की सहसवान तहसील में गंगा के निकटवर्ती ग्रामों को बाढ़ से बचाने के लिये पर्यवेक्षण

*२१--श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि तहसील सहसवान जिला बदायूं में ग्राम टोंटपुर करसरी व बसोलिया वगैरह जो कि गंगा के क़रीब हैं बाढ़ आने पर वहां की आबादी व खेती तबाह हो जाती है ? इसे बाढ़ से बचाने के लिये सरकार क्या किसी स्कीम पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इन ग्रामों को बाढ़ से बचाने के सम्बन्ध में इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

श्री मुश्ताक अली खां--माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट कब आयेगी ?

श्री राममूर्ति--यह उम्मीद की जाती है कि फरवरी के महीने तक तैयार हो जायगी,

श्री मुश्ताक अली खां--क्या सरकार को मालूम है कि इस साल की बाढ़ में इन मवाज़ियात को बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है ?

श्री राममूर्ति--हो सकता है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं ठीक हो।

*२२--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२३-२५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२६-२७--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--[२४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## उन्नाव जिला बोर्ड को निर्माण कार्यों के लिये सहायता

*२८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिला बोर्ड को सन् १९५४-५५ के साल में स्कूली इमारतों और सड़कों की मरम्मत के लिये कितनी सरकारी सहायता दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—उन्नाव जिला बोर्ड को सन् १९५४-५५ के साल में मरम्मत के लिये नीचे लिखी सहायता दी गई ।

६,००० रुपया स्कूल भवनों के लिये ।
१८,००० रुपया सड़कों के लिये ।
३५,८०० रुपया कच्ची सड़कों के लिये ।

*२९—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बोर्ड की सड़कों और इमारतों की हालत अत्यन्त दयनीय है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । जिला बोर्ड के भवनों तथा सड़कों की दशा साधारणतया असंतोषजनक है ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड के इन कार्यों के लिये जो सहायता दी गई वह सब खर्च हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है । इस वक्त कहा नहीं जा सकता है कि कितना इसमें से खर्च हुआ ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री, जैसा कि प्रश्न २९ के उत्तर में कहा गया है, जिला बोर्ड के भवनों और सड़कों की असंतोषजनक स्थिति को देखते हुए जिला बोर्ड का अनुदान बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतला दिया है कि अनुदान बढ़ाने की इच्छा तो रहती है, लेकिन रुपया चाहिये उसके लिये ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जो सहायता दी जाती है वह किस उसूल पर दी जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—उसूल तो यह है कि उनकी जरूरत है इसलिये उनको सहायता दी जाय । अब कितनी किसको जरूरत है और वह किस तरह से बांटी जाय इसके लिये कुछ नियम बने हुये हैं उन्हीं के हिसाब से हम बांटते हैं ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का डेफ़िसिट बजट चलता है उन्हीं को सरकार मदद देती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक तालीमी मदद का ताल्लुक है उसमें इस बात का ख़याल रखा जाता है कि जिन बोर्ड्स के टीचर्स के ग्रेड बढ़ गये हैं और वे अदा नहीं कर सकते और उनके यहां डेफ़िसिट है तो उनको हम मदद देते हैं । लेकिन आमतौर से तो यह देखा जाता है कि कितना काम जिले में होना है और कितनी मदद दे कर उनसे कितना काम कराया जा सकता है ।

श्री शिवनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देती है उसकी जांच भी कराती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जांच तो होती है, आडिट वगैरह होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको देखते हैं ।

**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिनको सरकार से अनुदान मिलता है वे उस रुपये को समय पर खर्च नहीं करते हैं और उनको अगले साल उस अनुदान को खर्च करने के लिये इजाजत दी जाती है?

**श्री सैयद अली जहीर**---ऐसी कोई मिसाल हो तो माननीय सदस्य बतायें। वैसे जहां तक ख्याल है यह करना उनके लिये मुनासिब नहीं है। वह अनुदान इसलिये दिया जाता है कि साल के अन्दर वह खर्च हो।

**श्री ब्रजभूषण मिश्र**---क्या यह सही है कि कुछ जिला बोर्डों ने मंत्री जी से कुछ रुपये मांगे लेकिन उन्होंने नहीं दिया?

**श्री सैयद अली जहीर**---ऐसा जरूर हुआ होगा।

* ३०-३२---**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)--- [२७ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३३---**श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया)--- [७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४---**श्री राधामोहन सिंह**---[१२ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## पंचायतराज सेक्रेटरियों का चार श्रेणियों में विभाजन

*३५---**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आदेशानुसार पंचायतराज सेक्रेटरियों को ४ श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो क्रम से क, ख, ग, घ है?

**श्री कैलाशप्रकाश**---पंचायतराज सेक्रेटरियों को ४ श्रेणियों क, ख, ग, घ में विभाजित करने के आदेश सरकार द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त संचालक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये हैं।

*३६---**श्री राजवंशी**---क्या सरकार ने 'घ' लिस्ट में जिन सेक्रेटरियों का नाम है उन्हें काम से अलग कर देने का आदेश दे दिया है?

**श्री कैलाशप्रकाश**---'घ' श्रेणी में आने वाले पंचायत मन्त्रियों के सम्बन्ध में संयुक्त संचालक, पंचायतराज द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि उनकी सेवायें समाप्त करने के लिये पंचायत मंत्रियों को तीन मास का नोटिस दे दिया जाय, परन्तु यदि इस अवधि में उनका कार्य पर्याप्त रूप से संतोषजनक पाया जाय तो संयुक्त संचालक की स्वीकृति से उन्हें सेवाओं में रहने दिया जाय।

**श्री रतनलाल जैन** (जिला बिजनौर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन श्रेणियों को किस आधार पर विभाजित किया गया है?

**श्री कैलाशप्रकाश**---उनकी योग्यता और कार्य में उनकी दक्षता।

**श्री राजवंशी**---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चार श्रेणियों में बाटने का क्या उद्देश्य है?

**श्री कैलाशप्रकाश**---चार श्रेणियों में विभाजित करने का उद्देश्य यह है कि जो बहुत अच्छे हैं और जिनकी तरक्की की जा सकती है वे एक श्रेणी में रखे जायं, जो अच्छे हैं वे दूसरी श्रेणी में रखे जायं, जिनका कार्य साधारण है वे तीसरी श्रेणी में रखे जायं और जिनका कार्य साधारण और संतोषजनक नहीं है, वे चौथी श्रेणी में रखे जायं।

**श्री राजवंशी**---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस आदेश के मुताबिक जिले में कुछ सेक्रेटरी अपने पद से हटा दिये गये हैं ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि संचालक महोदय ने यह आदेश कब निकाला था और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---कब निकाला था इसकी ठीक तिथि मालूम नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह बता दी जायगी। कार्यवाही यह हुई है कि उनका वर्गीकरण हुआ है।

**श्री रामेश्वरलाल**---क्या यह सही है कि 'क' श्रेणी में वही व्यक्ति रखे गये हैं जिन्होंने श्रमदान में बहुत मेहनत से काम किया है ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---'क' श्रेणी में वही लोग रखे गये हैं जिनका वह काम जो उनके सुपुर्द किया गया था, अच्छा रहा।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो चार श्रेणियाँ बनायी गई हैं, इन चार श्रेणियों की तनख्वाहों में कुछ फर्क है ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---जी नहीं, तनख्वाहों में कोई फर्क नहीं है।

**श्री रामसुभग वर्मा**---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में 'घ' श्रेणी के कितने लोग नियुक्त किये गये हैं ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---जिलेवार मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मंगवा दिये जायेंगे।

**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से मंत्रियों को ४ श्रेणियों में विभाजित किया गया है उसी प्रकार से पंचायतों को भी ४ श्रेणियों में विभाजित किया जायगा जिससे जिस श्रेणी की पंचायत हो उसमें उसी श्रेणी का सेक्रेटरी रक्खा जा सके ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

*३७-३८---**श्री राजकुमार शर्मा**---[२४ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न ८५-८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## कबाल टाउन्स तथा अलीगढ़ में नगरपालिकाओं के चुनाव

*३९---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार प्रान्त में जिन म्युनिसिपल बोर्डों का चुनाव ७ वर्षों से नहीं हुआ है उन्हें शीघ्र कराने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री कैलाशप्रकाश**---पिछले सात वर्षों से जिन म्युनिसिपल बोर्डों में चुनाव नहीं हुए हैं वह ५ कबाल टाउन और अलीगढ़ है, उनमें से अलीगढ़ बोर्ड की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां चुनाव शीघ्र कराये जा सकें और कबाल शहरों में चुनाव का प्रश्न कार्पोरेशन बिल के पास होने पर ही उठेगा।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में चुनाव नहीं हुये हैं उनमें कितने वर्ष हुये हैं ? मेरा मतलब ५ कबाल टाउन्स का है ?

श्री सैयद अली जहीर—अल्हैदा अल्हैदा तो याद नहीं लेकिन शायद ५३ में कबाल टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज और डेवेलपमेंट बोर्ड्स को सुपरसीड किया गया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ में चुनाव न होने की कौन सी परिस्थितियां हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—असल में वहां, डेवलपमेंट वर्क किया जा रहा है वहां पर सड़कें और नालियां बनायी जा रही हैं, वाटर वर्क्स और ड्रेनेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है। खयाल यह है कि जैसे ही यह काम खत्म हो जायगा वैसे ही वहां चुनाव करा दिये जायंगे।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कबाल टाउन्स में कार्पोरेशन्स कब तक स्थापित हो जायेंगे और उसके लिये कार्पोरेशन्स बिल किस स्टेज तक बन गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—कोर्पोरेशन बिल तैयार है। वह हाउस में किसी भी दिन इन्ट्रोड्यूस हो सकता है। जैसे वह इस हाउस से पास हो जायगा, कार्यवाही की जायगी यानी कांस्टीटुयेंसीज बनाने का काम किया जायगा और उसके बाद इलेक्शन करा दिये जायेंगे।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं हुआ है वहां पर वह पुराने सदस्यों में से ७ आदमियों का बोर्ड निर्वाचित करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—सरकार ने जो उत्तर दिया कि यह निर्माण का कार्य हो रहा है तो क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसा समझती है कि अलीगढ़ में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है कि जो यह निर्माण-कार्य चुने जाने के बाद करा सके ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो चुने जायंगे उनमें कैसे व्यक्ति आयेंगे।

## प्रदेश में निर्मित नलकूपों की संख्या

*४०—श्री बिशम्बरसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् ५२ से सन् ५५ तक कितने नलकूप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनवाये गये हैं ? क्या सरकार जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—पहली अप्रैल सन् १९५२ से ३० नवम्बर सन् १९५५ तक १६६३ राजकीय नलकूप प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनवाये गये हैं तथा चालू कर दिये गये हैं। जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५३ पर)

## डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में संशोधन

*४१—श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में कोई संशोधन करने जा रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विधेयक सदन में कब तक प्रस्तुत होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट में एक संशोधन अभी हो चुका है। एक और वृहत संशोधन शासन के विचाराधीन है जिसके विधेयक के विषय में किसी निश्चित समय का निर्देश नहीं किया जा सकता कि वह कब तक सदन में प्रस्तुत होगा।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का एक वृहत संशोधन बहुत दिनों से ड्यू है और शासन के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, वह हो रहा है यह तो कहा गया।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में संशोधन न होने के कारण ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में इतनी देरी की जा रही है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। यह भी सही है। अगर चुनाव कराना है तो जो नया ऐक्ट बनाया जायगा उसके मातहत ही चुनाव हों। पुराने ऐक्ट के मातहत साल, दो साल के लिये चुनाव कराने से कोई फायदा नहीं।

श्री झारखण्डे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भंग कर दिया जाय और उन्हें रखा ही न जाय?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। इस पर भी गौर किया गया था लेकिन फैसला अभी यह हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जरूरत है और वह रखे जायं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो नया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट है वह इस सरकार के शासनकाल में तैयार हो जायगा?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में आपका मतलब अगर यह है कि सन् १९५७ के पहले पास हो जायगा तो मैं यह यकीन से नहीं कह सकता।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार का विचार है कि जिन जिलों में अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये जायं?

श्री सैयद अली जहीर—ख्याल यह है कि वहां भी जब नया ऐक्ट आ जाय तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नहीं हैं वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम कौन कर रहा है?

श्री सैयद अली जहीर—वहां तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं।

## गाजीपुर जिले में टाउन एरिया ईशुपुर-मोहम्मदाबाद और बहादुर-गंज को सहायता न मिलना

*४२—श्री शिवपूजन राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर में टाउन एरिया, ईशुपुर-मोहम्मदाबाद और बहादुरगंज को सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितनी सरकारी सहायता दी गई है?

श्री सैयद अली जहर—गाजीपुर में टाउन एरिया, ईशुपुर, मोहम्मदाबाद और बहादुरगंज को सन् १९५३-५४ और १९५४-५५ में कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई है।

---

नोट—तारांकित प्रश्न ४२ श्री भोलासिंह यादव ने पूछा।

*४३—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद) —[१३ जनवरी, १९५६ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## नैनीताल रोड पर भोजीपुरा और घघोंरा के बीच पक्की सड़क के निर्माण पर व्यय

*४४—श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बतायेगी कि नैनीताल रोड पर भोजीपुरा और घघोंरा के बीच जो पक्की सड़क है उनके निर्माण पर व्यय सरकार ने किया है? अगर हां, तो इस पर कितना रुपया व्यय हुआ है और किस योजना के अन्तर्गत इसका निर्माण किया गया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

सड़क के निर्माण और दियोरनिया नदी के पुल की मरम्मत पर कुल १२,५९३ रु० ९ आना व्यय हुआ। यह पुल नहर विभाग ने १९५० में बनवाया था और इसकी मरम्मत का भार सरकार के ऊपर ही था।

*४५—श्री शिवस्वरूपसिंह (जिला मुरादाबाद)—[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४६—श्री राजवंशी—[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७-४८—श्री व्रजविहारी मिश्र—[२४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर सरकारी ऋण

*४९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जो कर्ज दिया गया था उसको वसूल करने की सरकार की ओर से कोई चेष्टा की गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की शोचनीय दशा से समय-समय पर अवगत होती रही है। तदनुसार सरकार ने कुछ ऋणों की किस्तों की अदायगी सन् १९५५-५६ तक के लिये स्थगित कर दी है।

*५०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस समय इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कमेटी समाप्त कर प्रशासक को प्रबन्ध दिया गया उस समय तक कितना कर्जा था?

श्री कैलाशप्रकाश—१७,७४,६७८ रु० ९ आ० ८ पा०।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम अधूरी पड़ी है उनके लिये सरकार ने कितना रुपया दिया है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मुझे मालूम नहीं कि किसी खास स्कीम के लिये कितना रुपया दिया गया है। जो सवाल था उससे इसका कोई ताल्लुक भी नहीं मालूम होता है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सरकार का १७ लाख रुपया कर्जा है उसके अलावा भी और रुपया स्कीम को पूरा करने के लिये कर्जे के लिए देने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जब वहां से मांग आयेगी किसी स्कीम को पूरा करने के लिये उस वक्त देखा जायगा। पहले से इसको कैसे बताया जाय।

**श्री शिवनाथ काटजू**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रेस्ट ने जो स्कीम बतायी और उनमें जो रुकी हुई हैं उनको चलाने के लिये कोई तजवीज हो रही है ?

**श्री सैयद अली जहीर**—इस सवाल का कोई ताल्लुक उस सवाल से नहीं है जो कि पूछा गया है। अलबत्ता आप पूछेंगे तो मैं आप को बता दूंगा।

**श्री शिवनाथ काटजू**—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १७ लाख रुपया जो दिया गया था वह किस लिये दिया गया था ?

**श्री सैयद अली जहीर**—यह भी सूचना मेरे पास नहीं है। मुख्तलिफ कर्जे दिये गये हैं उनमें से यह एक था।

**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रदेश की इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की वर्किंग की सफलता पर कोई जांच कराने की कृपा करेंगे ?

**श्री सैयद अली जहीर**—मेरे ख्याल से यह कारपोरेशन बिल इसीलिये आ रहा है कि यहां का इन्तजाम बेहतर हो।

**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो १७ लाख रुपया दिया गया वह किन स्कीमों के लिये दिया गया था और वह स्कीम पूरी हुई या नहीं ?

**श्री सैयद अली जहीर**—रुपया बहुत सा दिया गया और कई बार दिया गया और वह रुपया वापस भी आता रहा। अब तजकिरा इसमें बाक़ी रुपये का है। यह तफसील मेरे पास नहीं है कि किस स्कीम के लिये दिया गया। यह बहुत व्योरे की बात है।

*५१-५२—**श्री देवराम** (जिला गाजीपुर) [२४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## गाजीपुर जिले में पंचायत-गृह

*५३—**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में अब तक कितने पंचायत-गृह बन कर तैयार हो चुके हैं ?

**श्री कैलाशप्रकाश**—अब तक १५४ पंचायत-गृह बन कर तैयार हो चुके हैं।

*५४—**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इन बने हुये पंचायत-गृहों में कितने पक्के हैं तथा कितने कच्चे ?

**श्री कैलाशप्रकाश**—८१ पंचायत-गृह पक्के तथा ७३ पंचायत-गृह कच्चे हैं।

**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कथित भवनों के निर्माण में कितना रुपया व्यय हुआ ?

**श्री कैलाशप्रकाश**—कितना रुपया व्यय हुआ इसका व्योरा इस समय नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन भवनों के निर्माण में सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

**श्री कैलाशप्रकाश**—यह सहायता जिलों में प्लानिंग कमेटी द्वारा दी जाती है और माननीय सदस्य सबके बारे में व्योरा चाहेंगे तो उसके लिये आंकड़े इकट्ठे किये जायंगे।

**श्री यमुनासिंह**—क्या यह सही है कि उडासन पंचायत में पारसाल से काम लगा है लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई ?

**श्री कैलाशप्रकाश**--किसी विशेष पचायत के विषय में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, किसी विशेष पंचायत की जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

## राज्य के पूर्वी भाग में बाढ़ और सूखे को रोकने के लिये सर्वेक्षण

*५५—**श्री पद्मनार्थसिंह** (जिला आजमगढ़)—प्रदेश के पूर्वीय भाग में बाढ़ और सूखे की सतत स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्हें रोकने के लिये क्या सरकार पूर्वीय भाग की भूमि स्थिति ( Topography ) का सर्वेक्षण ( Survey ) का विचार रखती है ?

**श्री राममूर्ति**—जी हां, प्रदेश के पूर्वीय जिले के आकाशीय सर्वेक्षण करने के लिये कार्यक्रम बनाया जा चुका है जो केन्द्रीय जल तथा विद्युत् कमीशन, भारत सरकार को भेज दिया गया है। राप्ती और घाघरा बेसिन का सविस्तार सर्वेक्षण प्रगति पर है।

**श्री पद्मनार्थसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो कमीशन भेजा गया है इसकी रिपोर्ट को कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

**सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**—यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का ज्योलोजी विभाग करेगा। उन्होंने बहुत लम्बा कार्यक्रम बना रखा है और प्रयास भी आरम्भ कर दिया है। कब तक यह पूरा कर सकेंगे यह नहीं बतलाया जा सकता।

**श्री पद्मनार्थसिंह**—राप्ती और घाघरा पर सरकार पर्यवीक्षण कर रही है वैसे ही सरकार छोटी नदियों और नाले पर भी पर्यवीक्षण करने का विचार रखती है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**—यह जो सर्वे होगा और घाघरा के बेसिन का होगा, इसमें छोटी नदियां भी आ जायंगी।

*५६—**श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह** (जिला गोरखपुर)—[७ फरवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

## दोहरीघाट से निकलने वाली नहर का बलिया जिले में निर्माण-कार्य

*५७—**श्री रामरतनप्रसाद** (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि दोहरी घाट से निकलने वाली नहर बलिया में कितनी दूर तक बन चुकी है और कितनी बाक़ी है ?

**श्री राममूर्ति**—मुख्य नहर की कुल लम्बाई ६७ मील है। नहर की पूरी लम्बाई पर काम चालू है और आधे से अधिक मिट्टी का काम हो चुका है। कुछ पुल बन गये हैं व औरों का प्रबन्ध हो रहा है। इस नहर की प्रधान शाखाओं पर भी काम चल रहा है।

*५८—**श्री रामरतनप्रसाद**—क्या सरकार को पता है कि यह नहर कब तक बन कर तैयार हो जायगी और कब तक किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिल सकेगा ?

**श्री राममूर्ति**—आशा है कि मुख्य नहर व प्रधान शाखायें जून, १९५६ तक और छोटी शाखायें मार्च, १९५७ तक बन कर तैयार हो जायंगी। किसानों को रबी १९५६ की सिंचाई के लिये थोड़ा पानी और खरीफ, १९५७ से पूरा पानी मिलने की आशा है।

**श्री रामरतनप्रसाद**—क्या सरकार बतायेगी कि ६७ मील लम्बी नहर किस स्थान पर पूरी होती है और कितने पुल बने हैं और कितने बाक़ी हैं ?

**श्री राममूर्ति**---यह ६७ मील लम्बी नहर किस गांव तक बन रही है यह सूचना इस समय नहीं है लेकिन पुल काफी हैं और छोटी-छोटी पुलियां भी काफी बन रही हैं।

**श्री रामरतनप्रसाद**---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रधान शाखायें कहां-कहां से निकली हैं और कहां-कहां तक गयी हैं?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---शाखायें तो बलिया की रसडा तहसील में, बांसडीह तहसील में और आजमगढ़ की घोसी तहसील में हैं। यह सीधी नहर है और घोसी तक आती है और सुराही तक जाती है। यह बहुत डिटेल्स की बात है। यदि आप चाहेंगे तो मंगा कर दिखा दूंगा।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**---क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य को उस जगह का पूरा नक्शा देने की कृपा करेंगे?

**श्री राममूर्ति**---आप की सिफारिश मानने में हमको कोई एतराज नहीं है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---इस नहर पर कुल कितना रुपया व्यय होगा, इसमें केन्द्रीय सरकार कितना दे रही है?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**---मेरा ख्याल है कि करीब १ करोड़ २९ लाख रुपया खर्च होगा और केन्द्रीय सरकार का एक पैसा भी नहीं है। सब क़र्ज़ है।

## बांगरमऊ, जिला उन्नाव में टोल-टैक्स के विरुद्ध सत्याग्रह

*५९---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार बतायेगी कि बांगरमऊ कस्बा (जिला उन्नाव) में गत तीन सप्ताह से टौल-टैक्स के विरुद्ध सामूहिक सत्याग्रह चल रहा है?

**श्री कैलाशप्रकाश**---जी हां। सत्याग्रह १०-९-५५ को शुरू हुआ था और ३०-१०-५५ को अपने आप खत्म भी हो गया।

*६०---**श्री झारखंडे राय**---यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि सत्याग्रहियों की मुख्य मांगें क्या हैं?

**श्री कैलाशप्रकाश**---सत्याग्रहियों की मांगें निम्नलिखित थीं:---

(१) क्रिमिनल ट्रेस पास ऐक्ट के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई।

(२) टौल-टैक्स का सम्पूर्ण उन्मूलन।

(३) थानेदार बांगरमऊ का अविलम्ब स्थानान्तरण।

*६१---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय में वह क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री कैलाशप्रकाश**---अलग-अलग तिथियों में ९६ व्यक्ति टौल-टैक्स की चौकियों की इमारतों में क्रिमिनल ट्रेस पास ऐक्ट के अधीन किये गये अपराध के फलस्वरूप गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से ५ मुख्य व्यक्तियों पर ३ रुपया प्रत्येक व्यक्ति जुर्माना किया गया था इसके अभाव में १५ दिन के कठिन कारावास की सज़ा दी गई। इनके अलावा सभी को चेतावनी देकर मुक्त कर दिया गया।

टौल-टैक्स उस समय तक के लिये जब तक कि राजकीय गजट में न प्रकाशित हो जावे उठा लिया गया है।

**श्री झारखंडे राय**---क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि सत्याग्रहियों और स्थानीय टाउन एरिया के बीच में कोई समझौता भी हुआ?

**श्री सैयद अली जहीर**---जहां तक मुझे मालूम है कोई समझौता नहीं हुआ मगर उन्होंने खुद ही उसे वापस ले लिया।

**श्री झारखंडे राय**---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि बांगरमऊ के थानेदार के स्थानान्तरण की मांग का कारण यह था कि उसके खिलाफ सरकार के पास शिकायत आयी थी और सरकार की ओर से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

**श्री सैयद अली जहीर**---मुझे इसकी तफसील नहीं मालूम है। यह दूसरे विभाग के मुताल्लिक़ है।

**श्री झारखंडे राय**---जिन ५ व्यक्तियों को सजा हुई उनके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार भी हुआ था और उसकी शिकायत सरकार को की गई ?

**श्री सैयद अली जहीर**---उसका जवाब तो मैंने अभी दिया कि यह मेरे विभाग से ताल्लुक नहीं रखता है।

*६२-६४---**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)---[२४ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

## आगरे में नेशनल हाईवे के बाई-पास बनाने का आयोजन

*६५---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा में national high way का जो byepass बनाया जाने वाला था उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---बाईपास बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं तथा बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नाप जोख ( detailed survey) की जा रही है। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर इस पर अग्रिम कार्य की प्रगति होगी।

**श्री देवकी नन्दन विभव**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलावेंगे कि इस बाईपास पर कितना रुपया व्यय होगा और यह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---बाईपास पर लगभग २० लाख रुपया खर्च होगा और बनकर तो तब तैयार हो सकेगा जब कि पहले केन्द्रीय सरकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाय।

**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या इस बाईपास के लिये केन्द्रीय सरकार से कुछ रुपया मंजूर हुआ है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---नेशनल हाईवे का यह बाईपास है, इसलिये इसके निर्माण तथा रखरखाव का व्यय केन्द्रीय सरकार ही वहन करेगी।

## बिजली न पाने वाले नलकूप

*६६---**श्री श्रीचन्द्र**---क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में जो नलकूप बन कर तैयार हो गये हैं उनमें से प्रत्येक जिले में कितनों को अभी तक बिजली नहीं मिली है और क्यों ?

**श्री राममूर्ति**---पहली अप्रैल, सन् १९५२ से ३० नवम्बर, सन् १९५५ तक १६६३ राजकीय नलकूप बिजली द्वारा चालित हो चुके हैं। शेष ऐसे नलकूपों का जिलेवार विवरण जिनको अभी बिजली नहीं मिली है, संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

नलकूपों का विद्युतकरण इस समय समय पर था जितनी जल्दी संभव होता है किया जाता है और इस कार्य में प्रगति बिजली के आवश्यक सामान की उपलब्धि पर भी निर्भर होती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५४ पर)

**श्री श्रीचन्द्र**--क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि १६६३ नलकूप जो चालू हो गये हैं वे प्रत्येक जिले में कितने कितने हैं ?

**श्री राममूर्ति**--सहारनपुर ११७, मुजफ्फ़रनगर १४६, मेरठ ३९३, बुलन्दशहर ३४७, अलीगढ़ ३२९, एटा ११८, मैनपुरी २९, फर्रुखाबाद ११८, बिजनौर २०८, बदायूं ४१७, मुरादाबाद ५६५, बरेली ७१, शाहजहाँपुर ५५, सीतापुर ४८, खीरी १४८, फ़ैजाबाद १६८, गोंडा ३०, आजमगढ़ ९५, गाजीपुर ४७, बलिया ३६, देवरिया ८७, गोरखपुर ८३, बस्ती १६४, सुलतानपुर ४०, जौनपुर ३०, बनारस १२४, नैनीताल १६, कानपुर ४, आगरा १--आगरे में अब ५० हो गये हैं, लखनऊ २, मिर्ज़ापुर ११, इलाहाबाद ३, बहराइच २, बाराबंकी ४। ये सब सन्, ५५ नवम्बर३० तक के हैं।

**श्री शिवनाथ काटजू**--इलाहाबाद में केवल ३ हैं इसका क्या कारण है ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--माननीय सदस्य को ज्ञात है कि इलाहाबाद में ३ नलकूप ३० नवम्बर, सन् १९५५ तक रहे हैं। अब १०० हो गये हैं।

**श्री श्रीचन्द्र**--क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नलकूप बताये गये हैं, जो चालू हैं, ये कौन से सन् से लिये गये हैं ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--सन् ५२ में सारे नलकूपों की संख्या २३९३ थी। सन् ५५ में है ४०५६। हिसाब लगा लीजिये।

**श्री रामकुमार शास्त्री** (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि ५०० के लगभग मुरादाबाद और बदायूं में नलकूप हैं और ३ इलाहाबाद या पूर्वी जिले में हैं, इस बड़े अन्तर का क्या कारण है ?

**श्री राममूर्ति**--बदायूं के जिले में कोई नहर का काम नहीं है, केवल नलकूप हैं। मुरादाबाद भी ऐसा ही जिला है कि वहां नहर का कोई काम नहीं है, केवल नलकूप ही हैं।

**श्री श्रीचन्द्र**--फ़ैजाबाद में ५९ और बहराइच में ४० नलकूप जो बनाये गये हैं वे कब बनकर तैयार हुये ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--फ़ैजाबाद में ५३ में ३४, ५४ में ११६, ५५ में बनकर और अब १६८ हैं। बहराइच में अभी शुरू हुये हैं ५५ में।

**श्री रामदास रविदास** (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि फैजाबाद जिले में नलकूपों को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

**श्री राममूर्ति**--बिजली घर बनकर तैयार हो रहा है, जैसे ही तैयार हो जायगा बिजली मिल जायगी।

**श्री ब्रज बिहारी मिश्र**--क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आजमगढ़ में बहुत से ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जिनको बिजली अभी नहीं मिली है ?

**श्री राममूर्ति**--जिनको नहीं मिली है उनको दिलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

**श्री श्रीचन्द्र**--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि बिजली का सामान मिलने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

**श्री राममूर्ति**--बिजली का सामान ज्यादातर बाहर से आता है जिसके आने में दिक्कतें होती हैं।

## गोरखपुर जिले में ग्राम सभा लुचुई व केशवपुर को सहजनवां ग्राम सभा से मिलाने के लिये आवेदन-पत्र

*६७--श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम-सभा लुचुई व केशवपुर जिला गोरखपुर का कुछ हिस्सा काट कर एक तीसरी ग्राम-सभा, सहजनवां बनाने के सम्बन्ध में उसके पास कोई आवेदन-पत्र आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, सहजनवां अभी माल का गांव नहीं है, और ग्राम सभायें माल के ग्राम वार संगठित की गई हैं, इसलिये सहजनवां को ग्राम सभा नहीं बनाया गया ।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह--क्या वह प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है या खारिज हो गया ?

श्री कैलाश प्रकाश--वह तो माल विभाग में है, खारिज अभी नहीं हुआ है।

## यूसुफपुर रेलवे फीडर सड़क का निर्माण

*६८--श्री शिवपूजन राय (अनुपस्थित)--क्या सरकार युसुफपुर रेलवे स्टेशन से जो सड़क थाना होती हुई कसाव को जाती है उसको बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--यह सड़क संम्भवतः युसुफपुर रेलवे फीडर है। इस सड़क को द्वितीय पंववर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कराने का विचार है। सड़क का निर्माण अगली पंच वर्ष की अवधि के अन्दर ही होगा ।

## देवरिया जिले में गड़हिया-आसमानपुर सड़क का निर्माण

*६९--श्री राजवंशी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में गड़हिया से आसमानपुर तक सन् १९४७ में पक्की सड़क बनाने का कार्य पी० डब्लू० डी० ने अपने अधीन लिया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं।

*७०--श्री राजवंशी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सड़क बनाना क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजवंशी--क्या इस सड़क को पंचवर्षीय योजना में बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--पंचवर्षीय योजना तो अभी स्वयं विचाराधीन है ।

## गोरखपुर-देवरिया रेलवे लाइन के ३०वें मिल पर पुल निर्माण की व्यवस्था

*७१--श्री रामेश्वर लाल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर-देवरिया रेलवे लाइन के ३०वें मील पर जिस पुल को बनाने के लिये पिछले बजट वर्ष में अनुदान की व्यवस्था की गयी थी वह अभी तक क्यों बनना प्रारम्भ नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--पुल निर्माण का तखमीना बनाने को रेलवे अधिकारियों को लिखा गया है और उसकी प्रतीक्षा है ।

---

नोट १--तारांकित प्रश्न ६८ श्री भोला सिंह यादव ने पूछा ।

नोट २--तारांकित प्रश्न ७१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

**श्री रामेश्वर लाल**—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि गोरखपुर से तीसवें मील पर पुल किस स्थान पर बनेगा ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**—यदि माननीय सदस्य का अर्थ इसी पुल से है तो वह तो रेलवे क्रासिंग पर बनने वाला है ।

## बाराबंकी जिले में सिद्धौर-देवी गंज तथा राजघाट सुबेहा रोड (सड़क)

*७२—**श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार को विदित है कि बाराबंकी जिले में सिद्धोर, देवीगंज, राजघाट सुबेहा रोड की दशा अत्यन्त शोचनीय है और उक्त रोड पर रारी नदी एवं गोमती नदी पर पुल न होने के कारण यातायात में महान कठिनाई होती है ।

**श्री सैयद अली जहीर**—सिद्धोर देवी गंज तथा राजघाट सुबेहा रोड की दशा अवश्य शोचनीय है, किन्तु रारी नदी बरसात के सिवाय आसानी से पार की जा सकती है और गोमती नदी पर पूरे वर्ष नाव द्वारा हर प्रकार का वाहन उतारा जाता है, अतः उक्त सड़क पर इन नदियों पर पुल न होने के कारण यातायात में कोई विशेष कठिनाई नहीं मालूम पड़ती ।

## गाजीपुर जिले में मगई नदी पर हाटागांव पुल के निर्माण की आवश्यकता

*७३—**श्री शिवपूजन राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के हाटा गांव का मगई नदी का पुल बहुत दिन का टूटा है जिसके कारण रसड़ा और चितबड़ा गांव के बाजारों के यातायात में संकट पैदा हो गया है ? क्या सरकार इस पुल को पुनः बनवाने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**श्री विचित्रिनारायण शर्मा**—जी हां ।

जी नहीं, मुहमदाबाद-कासिमाबाद सड़क पर मघई नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है इसलिये उस नदी के ऊपर हाटा के पास जो उपर्युक्त पुल से लगभग दो तीन मील दूर है, एक दूसरा पुल बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

यह प्रश्न नहीं उठता ।

## मिर्जापुर जिले के ढाव इलाके में यातायात की असुविधायें

*७४—**श्री राजकुमार शर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मिर्जापुर चुनार तहसील के अन्तर्गत परगना हवेली ढाव इलाके के १२ ग्राम गंगा और जरगो नदी से घिरे हुये हैं और वर्षा काल में इन ग्रामों का सम्बन्ध वाह्य क्षेत्र से विच्छेद हो जाता है ?

**श्री विचित्रनारायण शर्मा**—जी हां ।

*७५—**श्री राजकुमार शर्मा**—क्या सरकार जलालपुर मोफी ग्राम के निकट और दूसरा बगही के पास जरगों नदी पर पुल बना कर यातायात की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

**श्री विचित्र नारायण शर्मा**—जी नहीं ।

## झांसी जिले में मृत पशुओं के चमड़ा व हड्डी उठाने के लिये सुझाव

**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार झांसी जिले में म्युनिसिपल बोर्डों, टाउन एरियाओं तथा ग्राम पंचायतों को मरे पशुओं को उठाकर उनका चमड़ा व हड्डियां आदि निकालने का ठेका देने का आदेश देने का विचार रखती है ?

**श्री सैयद अली जहीर**—जी नहीं ।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

## अतारांकित प्रश्न

### कूड़े व मैले से कम्पोस्ट तैयार करने के स्थान

१--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की कितनी स्थानीय निकायों में कूड़े व मैले (नाइट स्वायल) से कम्पोस्ट बनाया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--प्रदेश की स्थानीय निकायों में कूड़े व मैले (नाइट स्वायल) से कम्पोस्ट बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सम्पूर्ण जिला धीशों से मांगी गई थी अभी तक केवल ४५ जिले से उत्तर प्राप्त हुये हैं जिनके अनुसार प्रदेश में १०८ स्थानीय निकायों में कूड़े व मैले (नाइट स्वायल ) से कम्पोस्ट बनाया जाता है। शेष ६ जिलों से सूचना प्रतिक्षित है।

२--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार उनकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--कूड़े व मैले (नाइट स्वायल) से कम्पोस्ट जिन स्थानीय निकायों में बनाया जाता है उनकी सूची प्राप्त सूचना के आधार पर माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है। शेष जिलों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायगी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५५--१५७ पर)

---

## *उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टिन्युएंस आफ पावर्स) ( द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम को मैं यह निवेदन कर रहा था कि बाजार में आज गेहूं का भाव बढ़ गया है और कंट्रोल न होने की वजह से ढाई सेर का बिक रहा है। खरीदारों को बड़ी परेशानी है और जब तक कंट्रोल था तब तक यह परेशानी नहीं थी। सरकार ४ सेर के भाव से उस समय सप्लाई किया करती थी। इस छोटे से बिल के द्वारा सरकार ने केवल उन्हीं वस्तुओं पर कंट्रोल किया है जिनकी वजह से हमारे पंचवर्षीय योजना के कामों में रुकावट न पड़े। ईंट, लकड़ी और कोयला जैसी वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी और आज देश में इनकी कमी है। इसलिये गवर्नमेंट आज इन पर कंट्रोल करके एक एक्स-पेरीमेंट कर रही है कि देखें कि लोग कैसे अपने बाजार को चलाते हैं और कैसे लोगों को ठीक से आराम के साथ ये चीजें मिल सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में शोर अधिक हो रहा है माननीय सदस्य जरा कृपा करें।

श्री शिवनारायण--तो सरकार ने जो कंट्रोल किया है वह मुनासिब है। माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है कि एक साल के लिये ही कंट्रोल किया जाय, दो साल के लिये नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे इसके प्रिंसिपल को मानते हैं। और जब यह बात है तो इसके मानने में उनको आब्जेक्शन नहीं होना चाहिये। कल चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का जिक्र किया गया कि मिरजापुर में सीमेंट मिलता है और फेक्ट्री गेट पर नहीं मिलता है। सरकार वहां दूकान खुलवा दे जिससे ५ रुपये ४ आने में सीमेंट मिल जाय जो मिरजापुर के बाजारों में उनको ८ रुपये १३ आने में खरीदनी पड़ती है और जो गांव में आते-आते १० रुपये तक पड़ जाती है यानी एकदम डबल हो जाती है। मैं अपने खाद्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाय कि जहां पर सीमेंट तैयार हो रहा है वहां मिलने का प्रबन्ध हो जाय तो मिरजापुर वालों को सुभीता

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ५-१२-५५ की कार्यवाही में छपा है।

मिले। इसके अतिरिक्त दो वर्ष के लिये जो आप कंट्रोल कर रहे हैं इसमें सामान कंट्रोल का बहुत चीप रेट पर और बहुत सफीशियेंटली सबको मिलना चाहिये। जनता को इसका सुभीता हो जाय और उस उद्योग में काफी बढ़ोत्तरी हो जाय। गांव के लोग भी इस बिजनेस को कर सकें जैसे कोआपरेटिव वाले आज कर रहे हैं उसके पैरेलेल दूसरे लोग भी कोयला लकड़ी आदि के कंट्रोल के बमूजिब लाइसेंस ले सकें ताकि वे रोजी कमा सकें।

कल यह कहा गया कि इस विभाग के मंत्री का कंट्रोल गवर्नमेंट पर नहीं है। न अपने विभाग पर कंट्रोल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो यह बात माननीय विरोधी दल के नेता ने कही वह ठीक नहीं है कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। हमारे माननीय मंत्री ने आत्मसंयम का एक अनुपम आदर्श सामने रखा है। मुझे दुख है कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। हमारे फूड मिनिस्टर ब्रह्मचारी हैं उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया है उन्होंने अपने ऊपर प्रत्यक्ष कंट्रोल किया है। उस बात को छोड़कर सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से नमक, कपड़ा और गेहूं हर जगह मिल रहा है वैसे ही सामान की बढ़ोत्तरी दो साल के अन्दर करके इस तरह पर कर दिया जाय जिससे ईंट, लकड़ी और सीमेंट सबको मिल सके ताकि लोगों को रोजगार मिले। मैं विरोधी दल के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में हड़ताल की धमकी दी जाती है। बिहार के लोग आ जाते हैं उसमें सहयोग न देने का उनका फर्ज है। मैं गेंदा सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने बात बहुत सोच समझ कर बीच में की और हमारे लोकल एम० एल० एज० और दूसरे नेताओं ने मजदूरों के बीच में काम करके हड़ताल को समाप्त किया और उसको ठीक किया। सही ढंग से सरकार को चलने देना चाहिये और इसमें देश की उन्नति है और हमारा और आपका भला है, क्योंकि हमको बड़े-बड़े मुकाबले करने हैं। मुल्क में बड़ी गरीबी है। अभी स्वराज्य का बच्चा नन्हा सा बच्चा है। ७,८ साल का ही है। वर्षों का कोढ़ इस देश से निकालना है। इसलिये मैं विरोधी भाइयों से निवेदन करूंगा कि सरकार की जो स्कीम है उसको ठीक ढंग से चलाने में सहयोग देना चाहिये। खाद्य वस्तुओं पर तो कोई कंट्रोल है नहीं, उन्हीं वस्तुओं पर है जिनसे सड़कें बन सकें, जिनसे डेवलपमेंट के जो तमाम कार्य हो रहे हैं वे पूरे हो सकें जिससे देश और प्रदेश की उन्नति हो। इसमें कोई ब्लेक मारकेट का भी सवाल नहीं है। सिर्फ यह मतलब है कि देश का कल्याण हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसको बहुत आवश्यक समझता हूं ; यह बात विरोधी दल के नेता ने भी मानी है कि ईंटों की आजकल बहुत कमी है। आजकल निर्माण का कार्य प्रत्येक नगर में चल रहा है, हमारे प्रांत के कोने कोने में चल रहा है और उस काम के लिये ईंटों की बहुत बड़ी आवश्यकता है किन्तु ईंटें पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रही हैं। ईंटों के लिये कोयले का होना जरूरी है और बिना कोयले के भट्ठे चल नहीं सकते और कोयले पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण है। लेकिन कोयला हमको काफी तादाद में नहीं मिल रहा है यद्यपि हमारे देश में कोयला काफी है परन्तु उसको लाने के लिये गाड़ियों की हमारे देश में कमी है और उसी के कारण हमारे देश में कोयला पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहा है। शहरों और कस्बों में इस कोयले की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो जलाने के लिये चाहिये। एक जिले में दो या तीन जगहों पर ही कोयला बिकता है जबकि उसकी मांग बहुत अधिक है। जब कमी है तो कमी के कारण कंट्रोल किया जाता है।

जब यह कमी देश भर में है और फिर जब कोयले पर ही ईंटों का बनना निर्भर हो तो अगर यह कंट्रोल न रहा तो बड़ी भारी दिक्कत आ जायगी। नतीजा यह होगा कि जो ईंटें आज २५,३० रुपये हजार के भाव पर बिक रही हैं उनकी कीमत बहुत बढ़ जायगी। इसलिये यह बिल्कुल आवश्यक है कि जो अधिनियम समाप्त हो रहा है जिसमें कंट्रोल की मियाद जनवरी, सन् ५६ में समाप्त होने वाली है इस विधेयक के द्वारा दो वर्ष की उसकी मियाद और बढ़ जाती

[श्री रतनलाल जैन]

है। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है और जब तक हमारे देश में कोयले की कमी है तब तक यह लाजमी है कि हमारा ईंटों पर नियंत्रण रहे। हम चाहते तो यह हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में ईंटें तैयार हों और अधिक से अधिक मात्रा में कोयला आवे। साधन की कमी की वजह से कंट्रोल कराना लाजमी है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो चीजों का मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। ब्लैक मारकेट तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एक बड़ी असमंजस स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये बड़ा आश्चर्य होता है जब नेता विरोधी दल इस बात को मानते हुये कि ईंटों और कोयले की बड़ी कमी है तब भी वे इस कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कंट्रोल का रखना बड़ा आवश्यक है। इसलिये मैं इस विधेयक को बहुत आवश्यक समझता हूं, और इसके लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं।

*श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने कल काफी इस संबंध में कह दिया है। मैं कुछ बहुत ज्यादा तो इस पर नहीं कहूंगा पर कल से कुछ विवाद इस बात पर भी शुरू हो गया है कि हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री चुर्क में है उसकी क्या दशा है। मैं यह साफ करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है हम लोग अपने देश के अन्दर जितनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनका नेशनलाइजेशन चाहते हैं और हम यह कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार कोई नेशलाइजेशन का कदम हमारी सरकार या केंद्रीय सरकार उठावे उसमें हम लोग किसी प्रकार से रोड़ा बनें। इसीलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हमारी प्रादेशिक सरकार ने जो एक बड़ा भारी कारखाना उत्तर प्रदेश के अन्दर खोला है आया वह ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। उसमें जो खराबियां हैं उनको हम सरकार के सामने ले आयें और इस नीयत से लायें कि हम सरकार को बदनाम न करें। हम इस नीयत से उसको ला रहे हैं कि हम सरकार को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसलिये कि उसमें जो खराबियां हों उनको दूर करने की कोशिश की जाय ताकि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सबसे बड़ा इंटरप्राइज हुआ है वह कामयाबी के साथ चल सके।

मुझे दुख है कि माननीय व्रजभूषण मिश्र जी जो वहां के मेम्बर हैं उन्होंने इस बात की शिकायत की कि हमारी पार्टी के लोग बिहार के कुछ कैपिटलिस्ट्स से मिल कर डालमिया की जीपकारों पर आ कर आज जो उत्तर प्रदेश का बड़ा भारी कारखाना है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है और इसलिये है कि माननीय व्रजभूषण मिश्र जी वहां रहते हैं। उनका यह फर्ज था कि वह उनको समझाते और जो वहां खराबियां थीं उन्हें दूर करने की कोशिश करते। मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय व्रजभूषण मिश्र जी से पूछना चाहता हूं वह बतायें कि इस महीने के अन्दर चुर्क फैक्ट्री के अन्दर कितनी सीमेंट बनायी गयी। साढ़े सात सौ टन रोज की कैपेसिटी हमारी चुर्क फैक्ट्री की है। हम यह नहीं चाहते कि एक दिन भी चुर्क फैक्ट्री बन्द रहे। हम यह नहीं चाहते कि एक दिन भी हमारे जो मजदूर हजारों की संख्या में हैं वह खाली बैठे रहें और इसलिये बैठे रहें कि वहां जिप्सम नहीं मिल सकता है। हम चाहते हैं कि यह फैक्ट्री पनपे क्योंकि सीमेंट पर कंट्रोल आज भी है।

माननीय शिवनारायण जी ने यह कहा कि सरकार यह छोटा सा अधिकार ईंटों,लकड़ी और कोयला के लिये ले रही है, यह उनका ख्याल गलत है। अगर वह इस बिल को पूरा पढ़ें तो सरकार इस बात का भी अधिकार ले रही है, माननीय शिवनारायण जी ने इस कागज के टुकड़े दो देखा, लेकिन जो इसे एसेंशियल सप्लाइज ऐक्ट है उसको अगर देखें तो उसमें सरकार ने यह अधिकार ले लिया है कि केंद्रीय सरकार ने जिन-जिन चीजों पर कंट्रोल कर लिया है उन सब पर सरकार अपना कंट्रोल बढ़ा सकती है। इसलिये मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री बनी है वह ठीक तरह से चले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं थे। इसलिये मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, जो मंशा हमारे विरोधी दल के नेता की थी उसको गलत न समझें कि हम लोग इसलिये सरकार के सामने रख रहे हैं कि हम उसका प्रबन्ध बिगाड़ना चाहते हैं। वहाँ पर मजदूरों का इतना बड़ा संगठन है। माननीय व्रजभूषण मिश्र जी ने जब यह देखा कि वहां पर लोग आकर जीपकारों में फिरते हैं तो उनके दिमाग में यह ख्याल हुआ कि यह किसी पूंजीपति से रुपया ले कर गाड़ी चलाते हैं। मैं ज्यादा इस पर कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि अगर वहां कुछ कमी हो तो उसको दूर करना हमारा फर्ज है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी ऐसी फैक्ट्री में किसी भी ऐसे कदम में जिसमें राष्ट्रीयकरण की बात हो उसमें हमारी प्रजा शोशलिस्ट पार्टी या हम लोग पूरा-पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं। पर साथ ही साथ हम यह भी चाहेंगे कि उसमें जो हजारों मजदूर काम करते हैं उनके हकों की भी रक्षा की जाय, उनकी मदद की जाय, उनकी मांगों को भी स्वीकार करने के लिये सरकार बाध्य हो। माननीय व्रजभूषण मिश्र जी वहां के मेम्बर हैं। जब वह मजदूरों का जो गला कट रहा है उसमें उनकी मदद करने को तैयार नहीं है तो क्या हम यहां से जाकर के या बाहर के वहां आकर के उनकी मदद करने को तैयार न हों। फर्ज तो उनका था कि वह जाकर के उनकी मदद करते। बिहार भी आखिर हमारा पड़ोसी है, वहां भी बहुत सी सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं, वह लोग भी सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों की तकलीफों को समझते हैं, और फर्ज तो यह व्रजभूषण जी का था, जब वह अपने फर्ज को पूरा नहीं करते हैं तो बाहर के लोग मजबूर होकर आते हैं। लेकिन यह कहना कि वह बिड़ला या डालमियां के एजेंट हैं यह बिलकुल गलत है। वह भी हमारे साथी हैं, ऐसी बात कहना बिलकुल गलत बात देश में फैलाना है। पहले तो डाइरेक्टर चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लखनऊ में रहते थे इससे उनके पास पहुंचने में दिक्कत हो सकती थी लेकिन अब तो वह मिरजापुर में ही रहते हैं। उनके पास उनको जाना चाहिये था और उनसे कहना चाहिये था कि यह हालत इस सीमेंट फैक्ट्री की हो रही है, इसको दुरुस्त करिये। हमें यह भी मालूम है कि उसके जो ऐडवाइजर्स हैं टेकनिकल अफेयर्स के उसमें भी बड़े बड़े लोग डालमियां जैसे हैं, माननीय मंत्री जी बतावें कि कौन-कौन ऐडवाइजर्स हैं? हमारी तो यह शिकायत रही है कि हमारे जो बड़े-बड़े नेशनलाइजेशन के कार्य हैं, उनमें बड़े-बड़े पूंजीपतियों और कैपिटलिस्टों की राय लेने की बात आप करते हैं तो यह हो सकता है कि वह हमारे नेशन-लाइजेशन के कार्य को खत्म करने की गरज से इसको पनपने ही न दें और उसी की ओर हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ऐसा न हो कि इनकी ऐडवाइस से हमारे जो ये बड़े-बड़े नेशनलाइजेशन के प्रोग्राम हैं, वह बरबाद हो जायं और उनको दुनिया के सामने यह कहने का मौका मिले कि हमारे देश के लोग नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते। इस बदनामी से बचने के लिये हम लोगों ने मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है न कि इसलिये कि हम गवर्नमेंट को बदनाम करें। हम विश्वास दिलाते हैं माननीय मंत्री जी को और उनसे यह कहना चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी उसमें देखें और कोई रास्ता निकाल सकते हों वहां के मजदूरों से मिलकर, वहां के और लोगों से मिलकर, तो वह जल्दी से निकालें और उस फैक्ट्री को अच्छी तरह से चलायें। यही हमारा उद्देश्य है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना और करूंगा कि माननीय मंत्री जी के पास अब विभाग बहुत हो गये, डिपार्टमेंट्स काफी हैं, प्लानिंग है, हेल्थ है, सभी चीजें हैं, और मैं यह मान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत ज्यादा ध्यान हर विभाग के अन्दर शायद न दे सकें और यह मुश्किल भी है उनके लिये। तो हम यह चाहेंगे कि जब कभी भी हम लोग उनके किसी विभाग के बारे में उनके सामने किसी प्रश्न को रखें, कोई बात उनके सामने लावें तो उस पर वह जरा सोच विचार करने की कृपा करें। ऐसा न हो कि विरोधी पक्ष के लोग यह ला रहे हैं इसलिये आप उसे न मानें और यह बहुत जरूरी है उनके लिये जब कि इतने विभाग उनके पास हैं। जहां तक इस राशनिंग का सवाल है मैं जानता हूं कि आज कंट्रोल बहुत कुछ ढीला सा है। हमारी जो सोश-लिस्ट इकोनामी हैं उसमें तो कंट्रोल आवश्यक समझा गया है, कंट्रोल होता है जब चीजों

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कमी होती है ताकि वितरण सबके साथ बराबर हो सके। लेकिन कंट्रोल एकतरफा ही न हो। वह तो हर तरफ होना चाहिये, प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीव्यूशन पर हर तरफ से कंट्रोल होना चाहिये न कि सिर्फ एक तरफ आप कंट्रोल कर दीजिये। कमी है हमारे देश के अन्दर। माननीय गेंदा सिंह जी ने कल कहा कि आखिर क्या बात है, गवर्नमेंट ने इतने भट्ठे क्यों नही लगवाये इतनी ईंटें क्यों नहीं बनवाई, सरकार यह कह देगी कि हमारे पास कोयला नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास से हमको कोयला मिलता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं हैं, हमारी लकड़ी जंगलों से शहरों तक नहीं पहुंच रही है, अभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की बड़ी भारी डिफिकल्टी है। जब हम वैगन चाहते हैं तो नहीं मिल पाता है, तो किस प्रकार से हम कामयाब हो सकते हैं। हम चाहते यह हैं कि जिस चीज पर कंट्रोल लगाया जाय वह हर तरफ से हो तब तो हम उस कंट्रोल को सपोर्ट करने के लिये हमेशा तैयार रहते हैं। आज चूंकि कंट्रोल एकतरफा चल रहा है, मगर माननीय विरोधी दल के नेता इस बात को माननीय मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहा कि वह इस चीज की अवश्य कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ईटें हम तैयार कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप यह कहते हैं कि हमारे जंगल नहीं काटे जाने चाहिये, लकड़ियों की कमी नहीं होनी चाहिये तो कोई ऐसा रास्ता भी निकलना चाहिये जिससे हम आग जलाने में दूसरे तरीके से काम ले सकें और वह है हमारे यहां बिजली का प्रोडक्शन। हमारे प्रदेश के अन्दर जगह-जगह अब पावर प्लांट्स लग चुके हैं और मुझे आशा है कि अगर बिजली का डिस्ट्रिब्यूशन भी गांव तक पहुंचाया जाय, वहां उसके प्रयोग के संबंध में लोगों को बताया जाय, हीटर्स वगैरा का इस्तेमाल बताया जाय तो हमारे देश के अन्दर जो लकड़ी वगैरा की प्राब्लम है यह काफी हद तक हल हो सकती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जंगलों को बचाने के लिये और अपनी खाद को ज्यादा बढ़ाने के लिये, क्योंकि मैंने देखा कि पूर्वी जिलों में जहां लकड़ियों की काफी कमी है, वहां गोबर वगैरा से आग जलाने का इन्तजाम करते हैं तो कोई दूसरा तरीका निकालना जरूरी है। हम लोग जो पर्वतीय प्रदेश से या तराई से आते हैं वह इस चीज को महसूस नहीं कर सकते है कि लकड़ियों की भी कमी पड़ सकती है। हमारे यहां भी कुछ ऐसे इलाके हैं, एक सल्ट का इलाका ऐसा है जहां न आस पास में कोई जंगल है, वहां जो लाल मिर्च होती है उसकी लकड़ियों से खाना बनाते हैं, जिससे उनकी तन्दुरुस्ती पर भी बड़ा भारी असर पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ रास्ते निकाले जायं जिससे लकड़ी का कम खर्च हो और जनता को उस चीज से सहूलियत भी हो सके।

मैं और बहुत ज्यादा इस चीज पर नहीं कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारे विरोधी-दल के नेता ने बहुत काफी कह दिया था। मैं तो कल जो चुर्क फैक्ट्री के बारे में माननीय व्रजभूषण मिश्र ने बात उठाई थी उसके संबंध में सफाई करना चाहता था। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सब बातों पर विचार करेंगे और विचार करके सुधार करने की कोशिश करेंगे।

*श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस कंट्रोल बिल पर जो बहस हो रही है, हम सब ने बहुत ही गौर के साथ इसको सुना। जहां तक उस कंट्रोल के जमाने का तजुरबा है, जब गल्ले पर और मुख्तलिफ चीजों पर कंट्रोल था और मुकम्मिल कंट्रोल था, उस वक्त का जो तल्ख तजुरबा है और जो तकलीफें उठानी पड़ीं उसके ऐतबार से आम ख्वाहिश लोगों की इस सूबे में यह है कि जब सारी फिजा कंट्रोल से बरी है तो बाज-बाज चीजों पर कंट्रोल करने से दिक्कतें पड़ सकती हैं। इसलिये उसूलन में तो यही अर्ज करूंगा अपने मिनिस्टर साहब से कि वह कोशिश करके कीमतें मुकर्रर कर दें और इन चीजों पर कंट्रोल न करें, और अगर नहीं होगा तो इन्शाल्लाह दिक्कतें नहीं होंगी।

मुझे यह अर्ज करना है कि वह दलायल जो कल से मैंने सुने, उनमें खास तौर से जो चीज बहस में आई वह एक हमारी बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है। सीमेंट की जरूरत है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूबे को। अगर उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, उसकी तकसीम करने की मिकदार पर कंट्रोल किया जाता है, कीमतों पर कंट्रोल किया जाता है तो उससे किसी हद तक दिक्कतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। लेकिन जहां तक उसकी पैदावार का ताल्लुक है, मैंने अपने दोस्त व्रजभूषण जी की तकरीर को भी सुना और विरोधी दल के नेता की और डिप्टी लीडर की तकरीरें भी सुनीं। मैं गौर से सुन रहा था। अगर उन दोनों तकरीरों से नतीजा निकालें तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिस चीज की वह ख्वाहिश रखते हैं वह यह है कि कंट्रोल न हो, लेकिन तकरीरों में जो दलायल दिये गये वह इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि कंट्रोल होना चाहिये और वाकई में होना चाहिये। फर्क इतना है कि मियाद उसकी कितनी हो। मियाद दो बरस न होकर साल भर की हो। उसूलन उस पार्टी के मौअज्जज नेता इस बात को मंजूर कर ले गये, और निचोड़ यही था कि एक साल के लिये कंट्रोल हो। तो आपस के जो दो अलग-अलग रंग हैं मैं उनको समझने से कासिर रहा। बिला इस लिहाज के कोई हमारी पार्टी का बड़ा रुक्न है, मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि वह जमाना जो कंट्रोल के लिये जरूरी था उस वक्त हमारे सिविल सप्लाई के मिनिस्टर साहब ने जिस खूबी के साथ और काफी तवज्जह और गौर व खौज के साथ जिस तरह उस पीरियड को निभाया है। और जो तजुर्बा उस जमाने में हासिल किया जाहिर है कि हम राय तो यह दे रहे हैं लेकिन सोच हम भी सकते हैं कि मुमकिन है कोई गहरा तजुर्बा आज का हो और उस जमाने की रोशनी में आज का तजुर्बा किया जा रहा है, जिससे उनको यह जरूरी मालूम होता है। लेकिन जहां तक ईंट सीमेंट का ताल्लुक है, मैं बार-बार यह अर्ज करूंगा कि अगर आप इन पर कंट्रोल न करें तो आसानी होगी। अगर कंट्रोल हो जाता है तो इनके मिलने में दिक्कत हो जायगी और लोगों को बिला वजह दौड़ना पड़ता है।

कुछ ऐसा भी होता है कि जब किसी चीज पर कंट्रोल हो जाता है तो उस चीज की एक बड़ी मिक़दार चोर बाजार के अन्दर पहुंच जाती है जहां से हमको यह मिल तो जाती है लेकिन दुगने और ढाई गुने दाम पर। इलाहाबाद का मुझे तजुर्बा है और मुख्तलिफ जगहों पर मैंने दरियाफ्त किया कि ८-८ सौ दो-दो हजार बोरे मौजूद हैं नमक के लेकिन लोगों को नमक नहीं मिल रहा है। कभी पी० डब्लू० डी० का आर्डर आ गया कि ये हमारे लिये रिजर्व कर दो, कभी किसी ने कह दिया। गुट्ठल पड़ गये, पड़े-पड़े माल खराब हो गया लेकिन लोगों को नहीं देते। आखिरकार बाद में एक साहब ने दो रुपये फी बोरा कीमत बताई। मुझे जरूरत थी तो मैंने खुद वे बोरे खरीदे। तो मैं बहुत मौद्दबाना अर्ज करूंगा कि अगर्चे आप बिल ले आये हैं, क्योंकि मियाद खत्म हो रही है लेकिन अगर बहुत जरूरी नहीं है और मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो काम चलाने को छोड़ करके आप इस बन्धन को हल्का करेंगे, इससे सूबे के अवाम को नुक्सान होगा। कंट्रोल से जो फैक्ट्रियां हैं वे अपनी चीजों को रोक कर ज्यादा कीमत पर बेचेंगी जैसा कि इस सूबे के लोगों ने देखा है कि जैसे ही तीन साढ़े तीन सेर का गेहूं बाजार में आया आपने बेचैन हो कर मुख्तलिफ तरीकों से उसको खरीदा जिसकी वजह से जो गेहूं १२ रुपये मन तक आ गया था और लोगों को जरा सांस लेने का मौका मिला था वह आज १८ रुपये और १७ रुपये १२ आने मन मिल रहा है और आपने कोई ध्यान नहीं दिया कि आखिर हम भी तो वह गरीब हैं जो शहरों में रह रहे हैं। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि इस वक्त जब पूरे सूबे के अन्दर इत्मिनान की सांस ली जा रही है बावजूद इस सख्त गरानी के जो गल्ले की खरीदारी की वजह से हुई है यहां के अवाम चीख नहीं उठे, क्योंकि उनको चीजें मिल रही हैं चाहे किसी कीमत पर सही। अगर आप सीमेंट और ईंट पर कंट्रोल न करें तो बेहतर होगा। ईंट आज मिल रही है। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो इससे भी ज्यादा कीमत पर मिलेगी यह गलत है कि कंट्रोल से कम दाम पर चीजें मिलने लगेंगी।

जहां तक गवर्नमेंट की उस फैक्ट्री का ताल्लुक है जिसके मुताल्लिक हमारे एक साहब ने एतराज किया कि बिहार के लोग आते हैं और गड़बड़ी मचाते हैं मेरी अर्ज यह है कि हमारी दिक्कतों की वजह से, रोज-रोज की हड़ताल की वजह से, कारखानों के अन्दर वह गड़बड़ी जिसने

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री]

काम करने की कूवत जो मजदूरों के अन्दर थी उसको जायल कर दिया है जिसकी वजह से पैदावार में बहुत कमी हो गयी है। मैं आपकी पार्टी पर कोई हमला नहीं कर रहा हूं लेकिन आप यह देखेंगे और पूरे हिन्दुस्तान और इस सूबे के अन्दर देखेंगे कि बाज लोग, आपने या और पार्टियों ने छोटे-छोटे मामलों को लेकर जब कि पैदावार कम थी और डर था कि सारी चीजों पर फिर कंट्रोल न हो जाय गड़बड़ियां मचा कर हड़तालें कराईं। कानपुर का मामला आपकी आंखों के सामने है। जहां आपने करोड़ों रुपये का नुक्सान कर दिया लेकिन अफसोस का इजहार एक मर्तबा भी नहीं फरमाया और न हड़ताल कराने वाली जमाअतों की तरफ से कुछ हुआ। ऐसी सूरत में, मैं वाकया नहीं जानता हूं इसलिये जिमेदारी से नहीं कह सकता हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस शुबहा की तरफ ही आप ध्यान दें और मैं अपने साथियों से अर्ज करूंगा कि वह इधर ध्यान दें कि वह गवर्नमेंट की फैक्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट का तो खाली नाम है लेकिन फैक्ट्री आपकी है। अगर बाहर से लोग आकर मदाखलत करें, अगर वाकई यह चीज है कि वह काम करने वालों के अन्दर पार्टी पालिटिक्स की नीति के ऐतबार से आप गड़बड़ी करायेंगे तो यकीन रखिये कि आज सीमेंट के मिलने में जो दिक्कतें हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जायंगी।

हिन्दुस्तान में जो आज तरीका चल रहा है कि रूस की या फारिन कंट्रीज की नकल की जाती है तो यह बड़ी मजम्मत की बात है। मैं बम्बई वगैरा में जाकर देख आया हूं और मुझे मालूम है कि आज कारखानों में काम चलना मुश्किल हो गया है और आये रोज झंडे निकाले जाते हैं, जुलूस निकलते हैं और हड़ताल कराने की लोगों को तरगीब दी जाती है। इस चीज को आप रोकिये, अगर आप इसको रोकेंगे तो यह आपके सूबे के लिये निहायत फायदेमन्द होगा। बाहर से तो लोग आते नहीं हैं, कोई पाकिस्तान से तो आता नहीं है, हमारे मुल्क के ही लोग हैं। बाहर के लोग हैं उनके पास भी फैक्ट्रीज हैं और वह भी पैदावार का मसला सामने रखे हुये हैं। इसलिये हमारे सूबे के और उनके दरमियान कुछ तक्सीमी हो। यहां गड़बड़ी के जिम्मेदार भी आप हों और अच्छाई के जिम्मेदार भी आप हों यानी आप सभी बातों के अपने यहां जिम्मेदार हों। आप अपने यहां काम करें और बिहार वाले अपने यहां काम करें और मिलों को चलायें। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस चीज को आप रोकिये। नायब सदर साहब, अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया और कंट्रोल की नीति को ही रखा गया जैसा कि खतरा है तो मैं अर्ज करूंगा कि बड़ी दिक्कतें बढ़ जायंगी। अगर चीजों के पैदा करने में या सप्लाई का इन्तजाम करने में आप मदद दें तो दो साल की तो क्या छै महीने में ही कंट्रोल हट जायगा।

आखिर में मैं इतना अर्ज करके बैठ जाऊंगा कि गवर्नमेंट इस पर दुबारा गौर करे और मैं अपने माननीय गुप्ता जी से अर्ज करूंगा कि जो हर अम्र में पब्लिक के जजबात को समझते हैं। वह अवाम के आदमी हैं, वह अवाम में घुसकर काम करने के आदी हैं। वह खामोश बैठकर सोचने के आदी नहीं हैं, वह आग में घुसने के आदी हैं और वह हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते ह। अगर वह थोड़ा मौका पाकर अवाम की राय लेने की कोशिश करेंगे तो उनको मालूम होगा कि ९५ फीसदी अवाम के लोग कंट्रोल के खिलाफ हैं और कंट्रोल करने का मशविरा अवाम की तरफ से नहीं दिया जायगा। आज हमारे यहां कोआपरेटिव सोसाइटीज ईंटें तैयार कर रही हैं और ईंटें करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हमारे सूबे के लोगों की कुव्वते खरीद कम हो गई है। दो तीन साल से हमारे सूबे के लोगों की कुव्वतें खरीद घटती चली जा रही है। हर छै महीने बाद कुव्वते खरीदारी घटती जा रही है अगर प्रोडक्शन भी बढ़ जाय लेकिन कुव्वते खरीद कम हो जाय तो यह हमारे सूबे के लिये या किसी भी स्टेट के लिये कभी भी मुफीद नहीं हो सकता है।

अब आखिर में एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाऊं जो कि हमारे उपाध्याय जी ने फरमाया था कि वहां लाखों मजदूर जो काम कर रहे हैं। चाहे उनकी वजह से सीमेंट की

पैदावार होती हो, चाहे ईटों की पैदावार होती हो या किसी भी चीज की पैदावार होती हो, लेकिन जो आपने फरमाया वह सही फरमाया कि मजदूरों की देखभाल करना हमारा फर्ज है और हम उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ न होने दें ताकि बाहर के लोगों को, दूसरे सूबे वालों को हमारे यहां के मजदूरों को बहकाने का मौका न मिले। इसको आप मह मलहूज खातिर रखिये। हम में बहुत सी कमियां आ गई है। मैंने उधर के बैठने वालों के अल्फाज सुने कि हमारे भाई जो मजदूर हैं तो इससे गैरियत मालूम होती है। आज कांग्रेस वरकर्स ने हमारे अस्त्र में एक खलीज पैदा कर दी है। कानपुर में सवाल उठता है, मजदूरों का मामला आता है या किसी फैक्ट्री का मामला आता है तो हम दो फरीक मालूम होते हैं। फैक्ट्री की सारी चीजों की जो अच्छाई हैं उनकी जिम्मेदारी तो अपोजीशन की है और जो नुक्सान होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की या ट्रेजरी बेंचेज के बैठने वाले साथियों की है। कुछ कुदरतन हमारे मुखालफीन की अक्लमन्दी से या हमारी लापरवाही से चीज ऐसी हो गई है मजदूरों की तरफ से जो भी सवाल किये जाते हैं उनमें एक फरीक गवर्नमेंट होती है और दूसरा फरीक लेबर का वर्कर होता है या हमारे अपोजीशन के वर्कर होते हैं और वह बैठ कर सलाह करते हैं। मैं कहता हूं कि चीजों को पहले ही इस तरह से ठीक कर लिया जाय कि किसी को उसमें पड़ कर अपनी पार्टी को उभाड़ने का मौका मिल सके। यह एक काम है कि जिसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरह से नहीं जा रहा है। जाना चाहिये।

आखिर में मैं यह कहता हूं कि कीमतें गिरने की फिजा जो एक बहुत अच्छी फिजा है उसको आप खराब न करें। कंट्रोल अगर बहुत जरूरी है तो एक आध चीज पर, जिन पर हद दर्जे कंट्रोल जरूरी है आप कर दें, लेकिन हर चीज पर कंट्रोल करना ठीक नहीं है। सीमेंट और ईंट पर कंट्रोल करना कोई माने नहीं रखता। इस फिजा के अन्दर इन पर कंट्रोल, रखने से आपको तकलीफ और नुक्सान पहुंचेगा और उन हजारों एवाम को, जिनके आप रहनुमा हैं, जिनके आप नुमाइन्दे हैं उनकी तकलीफ का आप ख्याल करिये। एक बोरी सीमेंट के लिये उनको आफिस में कितनी बार जाना पड़ता है और कितना दौड़ना पड़ता है। आप उन चीजों को देखें कि जिन के आज होने से जिन्दगी अजीर्ण हो गई है। उनका आप ख्याल रखें और उनकी कीमतें आप मुकर्रर कर दें। उनकी कीमतें और सस्ती कराने की आप कोशिश करें। लेकिन जब आप कंट्रोल करते हैं तो आप वही हाई प्राइस पर जो कंट्रोल कर देते हैं और कंट्रोल का कोई नफा अवाम को नहीं होता। अगर नफा किसी को होता है तो फैक्ट्री के मालिक को होता है। मैं नहीं जानता कि हमारी जो फैक्ट्री है उसको कितना नफा हुआ लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हमने उसमें रुपया लगाया है उस एतबार से हमको उस पर नफा नहीं मिल रहा है। आपने कंट्रोल लगा कर भी देखा, अब आप कंट्रोल हटा कर देखिये। अगर कंट्रोल हटा रहेगा तो चीजों का सेल ज्यादा होगा, कीमतें कम होंगी और अवाम को नफा पहुंचेगा इसलिये मेरी यही दरख्वास्त है कि आप कंट्रोल अपने दिमाग से बाहर कर दें।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंट्रोल का मामला ऐसा है कि जिस पर दो रायें बहुत दिनों से चली आ रही हैं। आजादी के बाद जब मुल्क ने प्लानिंग को अपनाया और प्लेन्ड ढंग से मुल्क की तरक्की करने पर सारी शक्ति लगाने की कोशिश हो रही है उस वक्त और जब कि कुछ चीजों की किल्लत हो, स्कैरस्टी हो उस वक्त कंट्रोल्स की कोई एक जगह नेशनल एकोनामी में हो सकती है। यह कहना भी सही न होगा कि शुरू से जब से कंट्रोल लगा उस वक्त से लेकर अब तक अगर कंट्रोल न लगता तो सब लोग खुश रहते या फायदा होता। कुछ वक्त कुछ चीजों के लिये कंट्रोल लगाना जरूरी था। हुआ और उससे वह दिक्कत का वक्त जो किल्लत की वजह से उस वक्त था, वह गुजर गया इसलिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

सिद्धान्त के रूप में आज प्लैनिंग के जमाने में कंट्रोल की मुखालिफत करना बहुत मुनासिब नहीं मालूम होता। उसूलन भी ठीक नहीं। लेकिन सवाल एक दूसरी तरह से देखने का भी है और वह यह है कि पिछले दिनों में जब से यह कंट्रोल लगा, या कम से कम जब से आजादी हासिल हुई और जब से हम अपनी तकदीर का फैसला करने की पूरी जिम्मेदारी अपने पर ले सकते हैं उस वक्त से लेकर अब तक कंट्रोल ने किस तरह से काम किया। महात्मा गांधी शुरू से ही कंट्रोल के खिलाफ थे। बहुत से इस मुल्क के लोग जो उस वक्त कंट्रोल्स को उसूली ढंग से सही समझते थे, महात्मा गांधी से इत्तफाक नहीं करती थे और वह यह समझते थे कि जिस तरह की इकोनामी हम इस मुल्क में लाना चाहते हैं, डिकंट्रोल होने से वह इकोनामी आने में दिक्कत होगी। लेकिन मैं समझता हूं और सब ने इस चीज को महसूस किया होगा कि महात्मा जी कंट्रोल के खिलाफ थे और उनका विरोध एक गहरे जज्बात पर आधारित था जो कि जनता में इस कंट्रोल के खिलाफ रहा है और अभी भी है। अगर जनता को यह मालूम हो कि कंट्रोल लग जाय तो जहां उनको कंट्रोल के भाव से १३ रुपये मन गेहूं मिल सकता है और वैसे गेहूं बाजार में १८ और १७ रुपये मन मिलता है तो फिर जनता को कंट्रोल का स्वागत करना चाहिये, लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, यह सवाल पैदा होता है जिस पर हमको गौर करना चाहिये और जिस सवाल पर गौर करने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि कंट्रोल आगे कायम रहे या नहीं। मुश्किल यह है कि कंट्रोल में जितनी ताकत गवर्नमेंट और उसके कर्मचारियों को मिलती हैं क्या हमारा इतना ऊंचा स्टैंडर्ड हो गया है कि उस स्टैंडर्ड में हम इस कंट्रोल को चला सकें। यह देखने में आता है और सब लोग जानते हैं कि कंट्रोल की हुई चीजों को अगर ब्लैकमार्केट में बेचा जा सके तो दुकानदार को उस तरह से बेचने में कोई एतराज नहीं है। परमिट मिलने में दिक्कत होती है और कर्मचारी सही और गलत तरीके पर काम करने के लिये मजबूर करते हैं। रिश्वत चलती है। इसलिये जो गहूं १३ रुपये मन में मिल सकता है उसके लिये परमिट लेना, उसके लिये क्यू में खड़ा होना, उसके लिये वहां जाना और यह तमाम परेशानी उठाना जनता पसन्द नहीं करती है और वह जनता १८ रुपये मन के भाव से गेहूं खरीदना पसन्द करती है और इसमें उसको कोई परेशानी नहीं होती जितना कि १३ रुपये मन गेहूं के खरीदने में उसको परेशानी उठानी पड़ती है। आज जिस तरह से यह सरकारी कंट्रोल का सिस्टम है और जिस तरह से वह चलता है उसमें ऊपर से नीचे तक सारी बातें होती हैं। अगर कंट्रोल का यही असर रहा और गवर्नमेंट की यह पावर बढ़ा दी गयी कि वह इस तरह के लोगों को ही परमिट दे सके जिनको वह औबलाइज करना चाहते हैं तो फिर कहीं हमारा भी नैतिक स्तर इतना कमजोर न हो जाय कि हमें भी मिनिस्टर के पीछे चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी की एजेन्सी के लिये घूमना पड़े और यदि हम इतने डिमारलाइज हो जायं तो फिर यह डिमोक्रेसी कहां जायगी? क्या हमारे किसी मिनिस्टर के इस प्रकार से ताकत का दुरुपयोग करने पर डेमोक्रेसी कायम रह सकती है? कंट्रोल का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है और पिछले जमाने किसी मिनिस्टर ने इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है यह देखने की जरूरत है। इस तजवीज पर हम सोचें और हर मिनिस्टर सोचे कि किसी मिनिस्टर ने इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है। कल हमको दिखाई दिया कि एक लफ्ज मिनिस्टर साहब ने यहां पर मुलेसिस के बारे में हाउस में कहा जिससे यह मालूम हुआ कि उन्होंने एक साल से कोई व्यक्तिगत आदमी को परमिट नहीं दिया। इसके माने लोगों ने यह समझे और कम से कम मैंने तो यह समझा कि एक साल से पहले मुलेसिस का परमिट व्यक्तिगत लोगों को दिया जाता था जिससे वह लोग नाजायज फायदा उठाते थे। यह मिनिस्टर करते रहे हैं। यह बात उन्होंने कल यहां पर कही। अगर यह

सही है तो बहुत से मिनिस्टर मुलेसिस का परमिट इन्डीविजुअल को देते रहे हैं और उसका उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है। तो अगर इस तरह का मिनिस्टर को अधिकार दिया जाय कि वह मेम्बरों को, पब्लिक को, कारबार करने वालों को गलत रास्ते पर ले जाकर जनता पर नाजायज तौर पर दबाव डालें तो मैं कहता हूं कि यह कंट्रोल हरगिज नहीं होना चाहिये। जनता कितनी ही मुश्किल में रहे और परेशान रहे, लेकिन फिर भी इस तरह से वायुमंडल पैदा करने के लिये और करप्शन फैलाने के लिये यह कंट्रोल हरगिज नहीं होना चाहिये। फिर आप नीचे के कर्मचारियों को देखें। सरकारी अफसरों को देखना चाहिये कि उनमें ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन फैला हुआ है और फैला है। जब से कंट्रोल हटाया गया है तब से जनता ने बहुत आराम की सांस भरी है और जनता इससे खुश हुई है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की तहकीकात की जाय कि पिछले ५ साल में जो यह कंट्रोल का विषय है, इससे जनता पर क्या असर पड़ा है। मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा और गुप्ता जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वह इसकी तहकीकात एक आदमी के सिपुर्द कर दें जो इस बात की जांच करे कि इस कंट्रोल का क्या असर पड़ा है। हमको बताया जाय कि मिनिस्टर लेविल पर, सर्विसेज लेविल पर और जनता के लेविल पर इसका कहां-कहां दुरुपयोग हुआ है। कहां-कहां खराबियां हुई हैं, किस तरह से इसका ग़लत इस्तेमाल हुआ है और किस तरह से जनता इसमें त्राहि-त्राहि कर रही है। अगर खराबियां हैं तो हमें कंट्रोल हरगिज भी न करना चाहिये। इस जगह मैं माननीय शाहिद फाखरी साहब से इत्तिफाक करता हूं जैसा उन्होंने कहा कि हरगिज कंट्रोल न किया जाना चाहिये और केवल वहीं कीजिये जहां उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। ईंट पर बिना कंट्रोल के काम चल सकता है तो उसको डिकंट्रोल कर दीजिये।

कोआपरेटिव के भट्ठों की बात कही गयी। मुझे मालूम नहीं कि उनके वर्किंग का क्या हाल है लेकिन मैं यह जानता हूं कि इन दिनों कोआपरेटिव की मार्फत जो चीजें बिकीं वह चीजें उन्होंने बेचीं और उनका मुनाफा कोआपरेटिव के पास रहा। मैंने बहुत ज्यादा तो कोआपरेटिब्ज के बारे में अध्ययन नहीं किया है मगर मोटे-मोटे सिद्धान्तों को जरूर जानने की कोशिश की है। उसका सिद्धान्त यह है कि बेचने के बाद जो मुनाफा हो वह खरीदने वाले के पास चला जाय। कोआपरेटिब्स के पास न रहे। मस्लन एक रुपये की कोई चीज है लेकिन कोआपरेटिब्स को वह चौदह आने में मिलती है अब वह एक रुपये में उसको बेच सकती हैं। इस प्रकार जो दो आना मुनाफा रहा वह खर्चा निकाल कर उन लोगों को मिल जाना चाहिये जिन्होंने इन चीजों को वहां से खरीदा है। लेकिन अगर मुनाफा कोआपरेटिव के पास रहा है और ऐसा नहीं हुआ तो वह सच्चे अर्थ में कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं है। फिर तो मैं यह कहूंगा कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज की तरह कोआपरेटिब्स से भी कंज्यूमर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। इसी प्रकार से ईंटों का मुनाफा भी लोगों को मिल जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन ने कपड़े के व्यापार में लाखों रुपया कमा लिया। कोआपरेटिव में, इस प्रकार देखने की चीज यह है कि वह किस तरह से चलाई जाती हैं।

सीमेन्ट फैक्टरी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। केवल जो भाषण कल हुये उनको मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा और उनसे मालूम हुआ कि वहां के मजदूरों और ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ झगड़ा है। इस विषय में मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूंजीपतियों ने हमें जो रास्ता दिखाया है क्या हम इतना भी चलने के लिये तैयार नहीं हैं। आज जमशेदपुर में मिल मालिक और मजदूरों में एक फैसला हुआ है कि दोनों पार्टीज ऐडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नीकल दोनों साइड्स में साथ-साथ रहना चाहती हैं और दोनों में उनका बराबर हिस्सा होगा। मजदूर मैनेजमेंट में

[श्री मोहनलाल गौतम]

हाथ बटायेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे। अखबारों में इसकी ज्यादा डिटेल तो नहीं निकली, लेकिन इससे मालूम होता है कि अगर इस तरह का हो जायगा तो मजदूरों को भी यह मालूम होने लगेगा कि कितनी आमदमी होती है कितना हमको मिल रहा है और कितना इसमें मिल को फायदा होगा। मैं सिर्फ इतना ही सजेशन देकर अपने भाषण को खत्म करना चाहता हूं कि जो रास्ता हमें पूजीपतियों ने दिखाया है और जिनको हम कंडेम करते रहते हैं और सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ तेजी से जाना चाहते हैं, खुशकिस्मती से मिनिस्टर साहब भी सोशलिस्ट रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह रास्ता मंजूर होगा। सीमेंट फैक्टरी में या और गवर्नमेंट फैक्टरीज में मजदूरों और ऐडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी वह बनाने के लिये तैयार हैं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं यह अर्ज कर दूं कि कंट्रोल की स्थिति पर फिर से गौर के साथ विचार कर लिया जाय और कंट्रोल जितने खत्म हो जायं उतना ही अच्छा है। क्योंकि इससे जनता और वोटर्स पर भी असर पड़ता है तथा डेमोक्रेसी में इस प्रकार से जनता को नाराज करना ठीक नहीं है। अतः जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत न हो तमाम चीजों पर कंट्रोल को खत्म कर दिया जाय तो मुनासिब होगा।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कंट्रोल का जो बिल सदन के सामने पेश है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो तथ्य और तर्क इस सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं तथा उसके साथ-साथ यह प्रार्थना भी की है कि मंत्री महोदय इस कंट्रोल बिल को खत्म कर दें तो उचित होगा, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर यह सदन सतर्क रहा हो और उनके तर्क और तथ्यों को समझने का प्रयत्न उसने किया हो तो वह उसी नतीजे पर पहुंचा होगा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो तर्क और तथ्य उपस्थित किये हैं उनसे यही नतीजा निकलता है कि कंट्रोल रहने चाहिये। उन्होंने अन्त में स्पष्ट शब्दों में अपने भाषण को बन्द करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि अगर कंट्रोल होता है तो फिलहाल एक साल के लिये वह मंजूर हों और दूसरे साल भी फिर बैठेंगे तो उस पर फिर विचार हो जायगा। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए और दूसरे भाषण जो सदन में हुए हैं उनसे पता चलता है कि इस प्रदेश में बहुत सी चीजों की इतनी कमी है कि अगर उनका कंट्रोल न किया जाय तो जनता को बहुत बड़ी मुसीबतें होंगी। मैं सब से पहले यह बताना चाहता हूं कि सोशलिस्ट एकनामी में जो किसी सोशलिस्टिक स्टेट की हो, उसको जिन्दा रखने के लिए उसकी उन्नति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उसके विकास की पहली सीढ़ी पर हमको बहुत सी चीजों पर कंट्रोल करना ही होगा। यह कंट्रोल एक नेसेसरी ईविल है राज्य के विकास के लिए और जिससे हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। अगर हम अपने यहां सोशलिस्टिक एकनामी को जिन्दा रखना चाहते हैं, उसकी कमियों को दूर रखना चाहते हैं तो हमारे लिए बिना कंट्रोल के चलना नामुमकिन है। जिन लोगों ने सप्लाई ऐन्ड डिमान्ड के प्रश्न पर गहरा अध्ययन किया है वह यह समझते हैं और तमाम जायज और नाजायज तरीकों को समझते हुए भी वह इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब तक कंट्रोल न होगा लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार चीजें नहीं मिल सकतीं। इन तमाम दिक्कतों को महसूस करते हुए भी और उन तमाम कमियों को समझते हुए भी जो कि हमारे लोगों में मारेलिटी साइड की हैं, हम समझते हैं कि अगर हमें अपने को और जनता को जिन्दा रखना है तो फिलहाल अभी हमें कंट्रोल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि कंट्रोल को खत्म कर दिया जाय और जैसा कि अभी इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में इसी कंट्रोल की फेवर में कि जिसके लिए यह बिल पेश किया गया है तर्क दिया गया है वह बिल की सपोर्ट में है मुखालिफत में नहीं है। कहा गया है कि गेहूं का भाव १८ रुपया प्रतिमन हो गया है, तो फिर यह क्यों कहा जाता है जब मार्केट है, इसमें आप सरकार को दोषी नहीं बना सकते वह क्यों स्टेबिलाइज करे और १२ या १३ रुपये के भाव बिकवाये। अगर डिकंट्रोल होगा तो आपको उसके नतीजे भी भोगने होंगे। इसमें कुछ शक नहीं कि जब कुछ चीजों का कंट्रोल किया जाता है तो हमारे आदमियों की कमजोरी से, ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी रहती है और अगर देखा जाय तो अभी हमारे देश में लोगों में कमियां हर तरह के लोगों में भरी पड़ी हैं, वह माननीय सदस्यों में भी हैं और मेरे में भी हैं और वह बाहर जनता में भी हैं इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है, जब तक कि वह कमियां हमारे में जैसी कि तैसी बनी हुई हैं, जब तक कि डिकंट्रोल न किया जाय तब तक आपको इन बेईमानियों, चोरियों और घूसखोरियों से छुटकारा नहीं मिल सकता और जब तक कि हमारी मारेलिटी, जिसका कि अधःपतन हो चुका है, ऊंची नहीं उठती। इन बातों को हम छोड़ देते हैं लेकिन जो सूरत हमारे जनता के मारल की है उसी का असर हमारी स्टेट के मारल फ्रेम पर भी है। परन्तु जैसी भी हालत है उस सबको देखते हुए हमारा यह फर्ज है कि हम निष्पक्ष होकर ही इस सदन में अपने मुल्क के मसलों का फैसला करें।

मैं इसके साथ-साथ यह बताना चाहता हूं कि जितनी बातें कंट्रोल के खिलाफ इस सदन में की गई हैं वह उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके सपोर्ट में हैं। शिकायत की गई फैक्टरी का प्रोडक्शन जो सात सौ टन प्रतिदिन के हिसाब से होने को था वह नहीं हुआ तो अगर कमी है तो वह भी इस बात को सपोर्ट करता है कि कमी होने की वजह से कंट्रोल होना चाहिये। इसके बाद मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सरकार कंट्रोल का फेवर करती है तो उसके साथ-साथ उसका यह भी कर्तव्य है कि सरकार को इस ओर दृढ़ कदम उठाना चाहिये कि कंट्रोल जनता के हित के लिये हो न कि उसके शोषण के लिये। मैं यह समझता हूं कंट्रोल के खिलाफ जो तर्क दिये गये हैं वह सब शिकायत के रूप में थे। उन माननीय सदस्यों का ध्येय माननीय मंत्री जी का ध्यान उन बातों की ओर प्वायंटेडली लाना था और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को माननीय मंत्री जी के सामने रखना अपना कर्तव्य समझा और वह बात उचित ही है। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि अगर कोआपरेटिव तरीके से ईंटें तैयार की जाती हैं तो जहां पर लोग देहातों में उत्सुक हैं जैसा अभी बताया गया है तो उनके लिये अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके कारण वे फ्रीली नहीं तैयार कर सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे कोआपरेटिव्ज की मदद होनी चाहिये और उनको बड़ी आसानी के साथ बिना किसी घूसखोरी के बिना किसी खुशामद के ऐज ए राइट उनको परमिशन फौरन दी जानी चाहिये। इसी प्रकार दूसरी चीजों के प्रोडक्शन जिनके बढ़ाये जा सकें सरकार का कर्तव्य है कि इस कमी को लिक्वीडेट करने के लिये दृढ़ कदम उठाये ताकि वह कमी दूर हो। जैसे माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव सब्स्टीट्यूशन का दिया है। जैसे फ्यूल के लिये लकड़ी न जला कर अगर किसी दूसरी चीज से इतनी गरमी तैयार हो सकती है जिससे खाना बनाया जा सकता है जिस हीट की डोमेस्टिक कन्जम्प्शन में जरूरत है अगर उसको तैयार किया जा सके तो वह क्यों नहीं किया जाता। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के ही नहीं अन्य देशों के साइंटिस्ट इस ओर अग्रसर हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि चन्द वर्षों के अन्दर हम लोगों को लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट्स

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

बहुत जल्दी इस प्रयास में सफल होंगे कि वे सूर्य की किरणों से होट को कंजर्व करने का यन्त्र निकाल लेंगे जिस पर आप चावल की डिब्बी चढ़ा कर खाना तैयार कर सकेंगे। परन्तु हमें देखना यह है कि सरकार की ओर से इस दिशा में क्या प्रयास हुआ है। कोयले की ही बात को ले लीजिये। यह सही है कि किसी खास खास जगह पर उसका बहुत बड़ा प्रोडक्शन है लेकिन एक तो ट्रासपोर्ट की डिफीकल्टी से और दूसरे इलडिस्ट्रीब्यूशन से, शुद्ध और ठीक वितरण का तरीका न अख्तियार किये जाने के कारण लोगों को दिक्कतें हैं। बहुत से शहरों में लोग कोयले की कमी के लिये चिल्लाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर उस शहर में दो डिपोज हैं तो ज्यादा लाइसेंसेज ग्रान्ट करने में मदद दीजिये। सरकार मंजूर कर सकती है तो फौरन मंजूर किये जायं। अगर भारत सरकार उसको मंजूर करती है तो भारत सरकार से दरख्वास्त की जा सकती है कि दरख्वास्तों को मंजूर करने में लिबरल तरीके से वह बर्ताव करे। इसके साथ ही साथ जो ट्रान्सपोर्ट की डिफिकल्टीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर प्रान्तीय सरकार के अख्तियार के अन्दर है तब तो माननीय मंत्री खुद ब खुद उनको दूर करें या अगर केन्द्रीय सरकार के अख्तियार में है जैसे लोडिंग के लिये गाड़ी की जरूरत है तो उसको दिलाने में प्रान्तीय सरकार बहुत हद तक भारत सरकार पर प्रेशर डाल कर उन चीजों को मुहय्या करा सकती है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे राज्य का जो विकास का नक्शा है उसका जो नक्शा महात्मा गांधी के दिमाग में था कि भारतवर्ष में कंट्रोल नहीं होना चाहिये। उनके दिमाग में हमारे देश के विकास का एक दूसरा नक्शा था उस विकास के नक्शे पर चलते चलते अब कोई दूसरा ही विकास का नक्शा हमारी नजरों के सामने उपस्थित हो रहा है जो कि महात्मा गांधी के उस विकास के नक्शे के मुताबिक नहीं है। हम ऐसे नक्शे का लाजमी नहीं समझते, क्योंकि हम कई कदम आगे उस दिशा में बढ़े हैं लेकिन आज जो विकास का नक्शा पेश किया जा रहा है वह तो कोई दूसरा ही नक्शा है और वह उस नक्शे से भिन्न है जो कि महात्मा गांधी जी के दिमाग में था। इसलिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम किसी अथारिटी को अकाट्य समझ कर हम अगर अपने विकास की उम्मीद न करें तो यह हमारी भूल होगी। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जितनी शिकायतें इस सदन में की गईं उनमें बहुत कुछ तत्व है और मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन शिकायतों पर शिकायत के रूप में बुराई के लिये नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिये, जनता की दिक्कतों व तकलीफों को दूर करने के लिये, अवश्य ध्यान देना चाहिये और इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि कल मैं जिस समय विरोधी दल के नेता इस विधेयक पर बोल रहे थे मैं यहां उपस्थित नहीं था। मैं एक स्थान पर और कार्य करने के लिये गया हुआ था और इसलिये मैं उनके भाषण को स्वयं सदन में नहीं सुन सका ताहम भी जो कुछ उन्होंने कहा मुझे विभाग के द्वारा तथा अखबारों के द्वारा उसका कुछ ज्ञान हुआ है। मुझे दुःख है कि इस सदन में जो हमने इस विधेयक पर बहस शुरू की वह उन आब्जेक्ट्स के परे थी जो कि इस विधेयक के थे। इस विधेयक में दो ही चीजों के नियंत्रण की चर्चा आई है। लेकिन जो चर्चा यहां की गई इस विधेयक के ऊपर विचार करते समय वह यदि मैं यह कहने की धृष्टता करूं कि इस मौके पर अनावश्यक थी तो कोई अत्युक्ति न होगी। आखिर जब हम कभी किसी विधेयक को किसी खास मंशा के लिये उपस्थित करते हैं तो हमारी बहस का दायरा सीमित हो जाता है। यदि कोई नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा

और देश में लागू किया जाय और उसकी भी चर्चा हम ऐसे विधेयक पर विचार करते समय करने लगें तो कहां तक उचित है ? यह एक सही परम्परा नहीं है। क्योंकि फिर बहस का दायरा इतना बढ़ जाता है कि हम जिस चीज पर बहस कहना चाहते हैं उससे दूर भागते हैं। इसलिये मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि जितनी बहस हमें विधेयक के ऊपर करनी चाहिये थी उस पर तो नहीं की, परन्तु हमने और चीजों पर बहस की। मैं यह नहीं कहता कि इस सदन को उन चीजों पर विचार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हर एक चीज का विचार एक ही समय तो नहीं हो सकता।

**श्री मोहनलाल गौतम**—प्वाइंट आफ आर्डर। अर्ज यह है कि यह सारी स्पीच प्रेजाइडिंग आफिसर के जजमेंट को क्रिटिसाइज करने के ऊपर हो रही है। यह हो रही है कि हाउस में ऐसी इर्रेलेवेंट बातें हुई जिनकी चेयरमैन ने इजाजत दी। क्या यह डिस्कशन का मौका हो सकता है ? क्यों नहीं उस वक्त जब कि इर्रेलेवेंट बातें शुरू हुई थीं प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ कर के इसको रखा गया या मेरे ख्याल में सिर्फ इशारे के तौर पर हवाला दे दिया जाता, लेकिन चेयर को यह बताना कि तुमने इतनी गलत बातों की इजाजत दी, मैं इस पर रूलिंग चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को पूरा अधिकार है कि अपनी राय इस मामले में दें।

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस सदन का ध्यान आमंत्रित कर रहा था कि हमें जिस विधेयक पर विचार करना था उससे तो हम जरा दूर हट गये थे। हमने बातें सीमेंट के विषय में कीं, सीमेंट फैक्टरी के विषय में कीं। यह इस मौके पर जरूरी नहीं था। यद्यपि उन बातों में जो सदन में कही गयी हैं उनसे मैं भी मजबूर होता हूं कि मैं उनका उत्तर दूं क्योंकि किसी एक सार्वजनिक संस्था के बारे में यदि कोई बातें सदन में कह दी जायं तो इस बात की आवश्यकता होती है कि उसके विषय में जितनी जानकारी मेरे पास हो मैं उसे सदन के समक्ष पेश करूं। मैं इसी बात के ऊपर अपने को सीमित रखूंगा कि इस विधेयक की क्यों आवश्यकता है।

माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि इन तीन चार वर्षों से प्रदेश में धीरे-धीरे ईंटों की मांग बढ़ गयी है। गांव-गांव में विकास के कार्य इतने बढ़ते जाते हैं कि उनकी मांग बढ़ती जाती है। ईंट का पाथना मुख्यतया कोयले पर आश्रित हो गया है। और कोयला केन्द्रीय सरकार द्वारा मिलता है। कोयले का लाना भी केन्द्रीय सरकार से ही सम्बन्धित है। क्योंकि जिन खानों से कोयला आता है वह प्रदेश में बसी हुई नहीं हैं। वे प्रदेश के बाहर हैं और वहां से लाने में हमें वैगन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं और वैगंस भी केन्द्रीय सरकार से ही मिलते हैं। इस समय प्रदेश में कोई १७ सौ भट्ठे तो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं और ७ सौ १६ भट्ठे कोआपरेटिव सोसाइटीज के चल रहे हैं। एक भट्ठे पर अगर साल भर काम किया जाय तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १५ वैगन कोयले की आवश्यकता पड़ती है अगर भट्ठा इकोनामिक ढंग से चलाया जाय। यदि १५ वैगन भी एक भट्ठे को चलाने के लिए जरूरत पड़े तो कोयले के कितने वैगंस की आवश्यकता पड़ेगी। इसके यदि मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रख दूं तो उससे सदन को कुछ जानकारी होगी। मैंने अभी बताया कि १७ सौ हमारे प्रदेश में प्राइवेट क्लिन्स हैं उनमें यदि १५ वैगन पर क्लिन के हिसाब से हम कोयला खर्च करें तो

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

२५,५०० वैगन्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी और कोआपरेटिव सोसाइटी के क्लिन्स ७१६ हैं उनके लिए १०,७४० वैगन्स की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक प्राइवेट क्लिंस का सम्बन्ध रहा है कुल सरकार के पास एलाटमेंट १९५५ में २० हजार वैगन्स का हुआ है, लेकिन यह २० हजार वैगन कभी भी प्रदेश में नहीं आ पाये। जो ऐक्चुअल रिसीट्स वैगन्स की हुई वह १२ हजार वैगन्स की थीं। प्रत्येक क्लिन को जो प्राइवेट सेक्टर में थीं करीब ६ वैगन कोयला मिला। ऐक्चुअल रिसीट्स एलाटमेंट की करीब ६० प्रतिशत थीं। सब से बड़ी दिक्कत है वैगन्स का अभाव। आज यह बात नहीं है कि कोयला उचित मात्रा में देश के अन्दर पैदा नहीं हो रहा है। सब से बड़ी दिक्कत आज वैगन्स की है और वैगन्स के सिलसिले में यह मुगलसराय के आगे का वैगन मिलना दुर्लभ होता जाता है। मुगलसराय का स्टेशन बाटल नेक बन गया है। इसलिए आज यदि उचित मात्रा में कोयला आ नहीं पा रहा है और उत्तरोत्तर उसकी मांग बढ़ती चली जा रही है तो हम किस तरह से ईंटों के वितरण का कार्य प्रदेश में करें? माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने जहां तक ईंटों के कंट्रोल का विषय है, आज से दो तीन-वर्ष पहले यही निर्णय कर लिया था कि कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे और नियंत्रण रखा भी नहीं, परन्तु उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों विभिन्न जिलों में विकास के कार्य प्रारम्भ होते गए जिलाधीशों से, उनकी ऐडवाइजरी कमेटीज़ से, प्लानिंग कमेटीज़ से मांग आयी कि जगह-जगह पर ईंटों की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है इसलिये प्रदेशीय सरकार को फिर इस नियंत्रण के अख्तियार को लेना पड़ा। यह नहीं कि प्रदेशीय सरकार स्वतः यह चाहती थी कि वह इस अधिकार को ले। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधियों की तरफ से मांग आयी और हमारे अधिकारियों की तरफ से मांग आयी जो कि स्वाभाविक थी, क्योंकि बहुत सी जगह खरंजे बन रहे हैं, नालियां बन रही हैं, जगह-जगह पर ईंटों की मांग होती है और हम लाखों रुपया विकास के कार्य में व्यय कर रहे हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे व्यवितयों को सुभीता देने के लिए एक मुनासिब कीमत पर ईंटों का वितरण कराया जाय, ईंटों की बिक्री करायी जाय। यदि ऐसी हालत है तो यदि सरकार नियंत्रण करने की ओर बाध्य हो तो इसमें कोई आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर यदि कोई जिला या जिलाधीश या जिले के प्रतिनिधि अपने जिले में यह चाहता है कि उसके जिले में ईंटों पर कोई नियंत्रण न हो तो मैं यह सरकार की तरफ से कहता हूं कि सरकार उस जिले में नियंत्रण नहीं करेगी। लेकिन जिला कमेटी, जिले की प्लानिंग कमेटी, जिले के सदस्यगण यह हमारे पास लिख कर भेजें कि जनता इसको नहीं चाहती है और मेम्बरगण नहीं चाहते हैं तो सरकार को कोई मजा नहीं आता कि सरकार यहां हमेशा जब आपके बीच में आये, आलोचना सुने और नियंत्रण को जारी करने की व्यवस्था को अपने हाथ में ले। नियंत्रण की व्यवस्था रखने की जब सरकार जिम्मा लेती है तो सरकार के सामने हमेशा सार्वजनिक हित ही रहता है। भले ही नियंत्रण को चलाने में भूलें रही हों, भले ही नीचे के स्तर में कुरीतियां और दोष रहे हों। हमारा कर्तव्य है, सरकार के नाते, जनता के प्रतिनिधि के नाते कि उन दोषों और कुरीतियों को हम हटाएं। यदि आज कोई माननीय सदस्य कहें कि ५ साल में बड़ी कुरीतियां रही हैं, तो उसका फैसला तो हमेशा जनता किया करती है। मैं यह नहीं कहता कि नियंत्रण के चलाने में दोष नहीं रहे और यदि आज नियंत्रण चलायेंगे तो वह सब विलीन हो जायंगे। दोष होते हैं और विलीन होते रहेंगे यदि हमारे देश और प्रदेश के रहने वालों का स्तर उत्तरोत्तर ऊंचा होता रहेगा। आज यह नहीं है कि कंट्रोल के विधेयक में हम बेईमानी का परिचय देते हैं। आज जीवन का कौन सा अंग है, कौन सा कार्य है जिसमें जगह-जगह पर खराबियां नहीं देखते?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, समय हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय मंत्री से मालूम करना चाहता हूं कि क्या वह अधिक समय लेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो मुझे आंकड़े रखने होंगे समय तो अवश्य लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष---यदि डेढ़ बजे तक समाप्त हो जाय तो ठीक है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं कोशिश करूंगा कि डेढ़ बजे तक खत्म कर दूं और मैं चाहता भी हूं कि मुझे डेढ़ बजे छुट्टी मिल जाय, क्योंकि एक कार्य में जाना है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं तो समझता था कि शायद माननीय उपाध्यक्ष भूल गये हों। अगर आप बोलना चाहें तो बोलें हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---धन्यवाद! तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कंट्रोल के दोष का विषय है उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें यह मंत्री तो बराबर इस बात की चेष्टा अवश्य करता रहा है, भले ही उसे कितनी सफलता मिली हो, कि जहां तक उसके दोष हैं वह हटाये जायं और आज भी मजबूरी के कारण ही यह विधेयक आपके सामने रख रहा हूं।

उन सब दोषों और खराबियों को जानते हुए जो कि नियंत्रण पैदा करते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, एक जनहित में हम यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ उपस्थित कर रहे हैं। आज यह कहना कि जनता नियंत्रण से ऊब चुकी है, तो मैं ऐसी बात तो अभी जान नहीं पाया। हमने नियंत्रण हटा दिया और हटाये जाने के बाद अगर प्रतिनिधिगण, प्लानिंग कमेटीज, अधिकारीगण और जनता के लोग आकर कहें कि इस चीज पर नियंत्रण हो, तो मैं कैसे मानूं कि जनता ऊब गयी है। हां, जब जनता को परेशानी होती है और जनता के हितों की रक्षा नहीं होती तो जो जनता को फायदे की चीज लगती है जनता उसके विषय में चर्चा करती है, जगह-जगह पर मांग करती है।

आप गन्ने का विषय लीजिये। गन्ने में बंधी हुई कीमत किसान को मिलती है और वह एक नियंत्रित कीमत है। प्रदेश में मैं कहीं जाऊं हर जगह यही आवाज है कि किसानों का गन्ना बंधी हुई कीमत पर लेना चाहिये और बंधी हुई कीमत पर मिल को दे दिया जाय, क्योंकि जनता का उसमें फायदा है, किसान का फायदा है। जब इसी प्रकार की मांग उपस्थित की जाती है, तो मैं यह नहीं मानता कि आज जनता जगह-जगह पर चिल्ला रही है कि नियंत्रण नहीं होना चाहिये। जनता नियंत्रण चाहती है और यह भी चाहती है कि नियंत्रण का इस्तेमाल सही तौर से ईमानदारी से हो और जनता के हित में हो और सरकार इसी की चेष्टा करती है अधिकारियों के द्वारा, और यदि अधिकारी उसे नहीं कर पा रहे हैं या उसमें खामी देखते हैं तो उसका एक ही हिसाब हो सकता है कि यदि सरकार निकम्मी है, अपना काम ठीक नहीं कर पाती है तो जनता दूसरी सरकार को चुन लिया करती है। मैं तो जहां तक नियंत्रण के दोषों का विषय है उसको सुनने का बहुत आदी हो चुका हूं।

आज से चार-पांच वर्ष पहले उन्हीं बेंचों पर बैठने वाले और इसी ओर के बेंच पर बैठने वाले बहुत से लोग नियंत्रणों की बुराई करते थे और चैलेंज देते थे और मैं इस विभाग के मंत्री के नाते उस चैलेंज को स्वीकार करता था। मैंने और गौतम जी ने उन चैलेंजों को स्वीकार करके उन साथियों को बताया कि वे कहां

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हैं और हम कहां हैं। तो आज नियंत्रणों के विषय में फिर से एक एंक्वायरी बैठायी जाय कि किसने क्या किया, यह सब बेकार बात है, निरर्थक बात है।

आज जो जनता की आवश्यकता है उसको पूरा करने की हमें चेष्टा करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने अभी एक महीना भी नहीं हुआ फिर से स्टील और आयरन पर कंट्रोल लगा दिया। इसलिये नहीं कि उसे तमाम पेटरोनेज एक्सरसाइज करने था, इसलिये नहीं कि वह अपने अधिकारियों को बहुत अधिकार देना चाहती थी, बल्कि इसलिये कि देश की यह मांग थी और देश का हित इसी में था। विकास के कार्यों के लिये इस बात की जरूरत थी कि बिना कंट्रोल के कार्य चल नहीं सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगले आने वाले पांच वर्षों में जो आकड़े मेरे पास क्या ईंट, क्या सीमेंट, क्या लोहा इन सब चीजों आये हैं उनसे मैं भयभीत हूं कि किस तरह से यह प्रदेश अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, अपने विकास के कार्यों को पूरा करने के लिये इन तमाम चीजों को मुहैय्या करा सकेगा।

अभी दो रोज हुये मैं दिल्ली गया हुआ था और केन्द्रीय सरकार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से बहुत देर तक बातें कीं और उनसे आग्रह किया कि प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह हमारे प्रदेश के लोहा, सीमेंट और कोयले के कोटे को बढ़ायें, क्योंकि बिना इसको बढ़ाये हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। प्रथम पंचवर्षीय योजना का यह आखिरी साल है। हमारे प्रदेश में बहुत से कार्य चल रहे हैं। उन सारे कार्यों के लिये अभी ८० हजार वैगन कोयला मार्च तक आवश्यक है। हमें जितना कोयला मिलता है उसमें से ६६ फीसदी आ पाता है। अगर २० हजार वैगन्स मिले तो १२ हजार वैगन्स आ पाये। यदि १०,७४० वैगन्स मिले तो वे उस मात्रा में यहां नहीं आ पाते हैं।

कोआपरेटिव क्लिन्स के बारे में कहा गया कि उनको कोयला नहीं मिलता है। वैगन्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि क्या हालत है। फिर भी जहां प्राइवेट क्लिन को हम ६ वैगन कोयला देते हैं वहां कोआपरेटिव क्लिन को हम १६ वैगन कोयला देते हैं। कल गेंदासिंह जी की यह भी आपत्ति थी कि मैं तो कोआपरेटिव क्लिन्स का विरोधी हूं। यदि ऐसा है तो ये आंकड़े जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि १६ वैगन्स कोआपरेटिव क्लिन्स को दिये गये हैं इस बात का प्रमाण हैं कि यह प्रदेशीय सरकार कोआपरेटिव क्लिन्स को बढ़ाना चाहती है या प्राइवेट क्लिन्स को बढ़ाना चाहती है। जब हम बहस करें तो हमें वस्तुस्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिये और आंकड़े रख कर हम आपत्ति करें कि आया हमारी आवश्यकता बिना नियंत्रण पूरी हो सकती है। अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो प्रत्येक मास के आंकड़े हमारे इकट्ठा हुये हैं, जिनको तहत में कार्य होंगे उनमें ८० हजार वैगन्स प्रतिमास सीमेंट के लिये चाहिये। जब मैं अभी केन्द्रीय सरकार के मंत्री जी से मिला तो उन्होंने कहा कि वे इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि इतने वैगन्स मुगलसराय के आगे प्रदेश में भेज नहीं सकते। जब उचित मात्रा में हमें कोयला मिलने वाला भी नहीं है और अगर नियंत्रण न किया जाय तो क्या हम बिना अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। इसलिये ये आंकड़े स्वतः इस बात का प्रमाण हैं कि हमें नियंत्रण की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सीमेंट २९ हजार टन से ज्यादा किसी महीने में हमारे यहां नहीं आ पाता, लेकिन मांग ८० हजार टन महीने की है। तो इतना सीमेंट कहां से आये? जितना अभी सीमेंट प्रदेश में या देश में तैयार हो रहा है वह इतनी मात्रा में नहीं है, जितना कि प्रदेशीय सरकारें और केन्द्रीय सरकार के विभाग उसे चाहते हैं। यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह विदेशों से सीमेंट

मंगायेगी, लेकिन विदेशों की सीमेंट की ६० रुपये टन अधिक कीमत रहेगी। यदि सरकारों और जनता को बाहर से मंगायी गयी सीमेंट को खरीदना पड़ा तो आप जानते हैं कि योजनाओं की लागत बढ़ जायगी। यह यदि सारे प्रदेश की योजनाओं पर व्यय होने लगे तो हमारी सीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जायगी। हमने केन्द्रीय सरकार से मांग की है कि हमारा एलाटमेंट बढ़ाया जाय परन्तु अभी जो मांग हमने उपस्थित की है वह स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि वह बतलाते हैं कि हर प्रदेश में विकास के कार्य बढ़ रहे हैं, जिसमें सीमेंट की मांग बढ़ती जा रही है। सीमेंट पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है, प्रदेशीय सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार से लोहे का विषय है, जो रोज-मर्रा के विकास के कार्यों में व्यय होता है। जब से उस पर कंट्रोल कर लिया गया है और जितनी मात्रा में केन्द्र अब हमें देना चाहता है उससे पहले कहीं ज्यादा हमें मिलता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारी लोहे और इस्पात की आवश्यकता साढ़े सात हजार टन अधिक हो जायगी अतः हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि अगली पंचवर्षीय योजना के लिये यह लोहा हमें मिलना चाहिये। लेकिन उनका जवाब यह है कि जब तक हमारे देश में तीनों फैक्टरीज लोहा तैयार न करने लगेंगी तब तक हम लोहे की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। जो वह लोहा बाहर से मंगा रहे हैं, १६० रुपये टन मंहगा होगा और यदि हम उसको खरीदें तो लाजमी नतीजा यह होगा कि हमने जो योजनायें बनाई हैं उनमें रुपया बढ़ जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि कदाचित आने वाले पांच वर्षों में हमें दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें अपने बीच में नियंत्रण की व्यवस्था जारी रखनी पड़ेगी वरना हमारा कार्य चल नहीं सकता। हमारे बहुत से जरूरी काम हैं जैसे रिहन्द डैम, पावर कल कारखाने तथा नहरें आदि, वे कैसे बनेंगे यदि नियंत्रण हटा लिया जाय। और उस मात्रा में पदार्थ न आयें जितनी आवश्यकता है तो बड़ी दिक्कत हो जायगी और सरकार मनमाने दाम नहीं दे सकती है जितनी ओपिन मारकेट में कीमत रहेगी उतनी सरकार नहीं दे सकती। अतः परिस्थितियों का तकाजा है कि हमें नियंत्रण रखना चाहिये।

जहां तक सीमेंट फैक्टरी के विषय में चर्चा की गई है, मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यदि इस विषय में सदन के माननीय सदस्य बहस करना चाहें तो किसी अन्य अवसर पर कर लें। गो यह कह दिया गया कि दिसम्बर में कोई पैदावार सीमेंट की नहीं हुई, सत्य नहीं है। हां, यह सही है कि सीमेंट की पैदावार कम रही और उसके कारण रहे क्योंकि फैक्टरी की सफाई के लिये इसको बन्द रखना पड़ा। १४ महीने से हमारी फैक्टरी चल रही है और कभी बन्द नहीं की गई अब कुछ पुर्जे बदलने के लिये तथा सफाई करने के लिये इसको बन्द रखा गया। उस समय प्रोडक्शन नहीं हुआ जो सीमेंट फैक्टरी के लिये आवश्यक चीज होती है वह किलंकर की पैदावार होती है। यह वह चीज है जो सीमेंट बनाने से पूर्व की चीज है। वह लाइम स्टोन से बनती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी क्वैरी है उसमें मजदूरों की कमी के कारण और हमारे यंत्रों की कमी के कारण यह पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त जिप्सम की भी कमी रही। इन्हीं कारणों से फैक्टरी में उतना प्रोडक्शन नहीं हो सका जितना पिछले महीने में हुआ करता था। अक्सर ऐसी स्थिति आ जाती है।

मैं पब्लिक सेक्टर के बारे में सदन को सचेत कर देना चाहता हूं कि आज पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिये न तो हमारे पास परसोनल है जो इस प्रकार की फैक्टरी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

को चलाने का तजुर्बा रखता हो और जिन परिस्थितियों में हमें काम करना पड़ता है उनमें हमें ऐसे व्यक्तियों से सहयोग लेना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता है जो उस काम में दिलचस्पी लें। हमारी सिविल सरविस अभी, यदि मैं धृष्टता करूं तो बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को चलाने के लिये न तो उसमें योग्यता है और न उसे अभी इसका अनुभव है। तो बहुत सी जगहों पर वह भूलें करते हैं, बहुत सी जगह पर वह गल्तियां करते हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर में योग्यता के साथ काम करें तो यदि वे भूलें भी कर दें, खामियां भी प्रदर्शित करें तो हमें उनको नजर-अन्दाज करना पड़ेगा और उन्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा।

अगर हम उस फैक्टरी की निन्दा करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में चल रही हैं और हम यह जानते हैं कि दूसरे आदमी इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि वह फैक्टरी न चल सकें तो हमें जिम्मेदारी से काम लेना चाहिये। जब हम निन्दा करें तो यह समझ कर कि हमें इस कार्य को चलाना है। कई भूलें इसके निर्माण करने में हुईं परन्तु वह इसलिये नहीं कि हम भूल करना चाहते थे, बल्कि वह इसलिये हुईं कि सरकार नातजुर्बेकार थी। अब हम उत्तरोत्तर उन सब पर विजय पाते जा रहे हैं और उस दिशा में हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह दिक्कतें हमारे बीच में न रहें। यदि लेबर वहां गलती करे तो उन साथियों का, जो पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, कर्तव्य है कि वे उसे कोई गलत काम करने को न कहें। यह एक इम्तहान है। अगर इसमें हम असफल होंगे तो न मजदूरों को फायदा होगा और न प्रदेश को सरकार का और न प्रदेश की सरकार की क्षमता में ही कोई वृद्धि होगी। आज यह सरकार पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहती है। कल दूसरी सरकार आयेगी वह भी यही काम करना चाहेगी। अगर हम एक ऐसी परम्परा डाल दें कि पब्लिक सेक्टर निरुत्साहित होने लगे तो यह उचित न होगा। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि भले ही इसके चलाने में भूलें हों, होती रहें, मैं स्वयं बिजनेस का बड़ा जानने वाला नहीं हूं और न वे अधिकारी ही तजुर्बेकार हैं, लेकिन हम तजुर्बा करते जाते हैं, मैं भी उन व्यक्तियों के सहयोग से कुछ बातें जानने लगा हूं, हमारी चेष्टा है कि जो फैक्टरी पब्लिक सेक्टर में हमने चलाई है उसको सफल बना कर दूसरी फैक्ट्रियां चलायें ताकि प्राइवेट सेक्टर को यह चुनौती दे सकें कि पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर की तरह से अच्छी तरह से काम कर सकता है, योग्यता से काम कर सकता है और जनता के हित में काम कर सकता है। मैं और अधिक न कहते हुए जो विधेयक सदन के विचारार्थ उपस्थित किया गया है उसके लिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करे जनहित में और प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए। इसी के द्वारा कदाचित अगले पांच वर्षों में हम विकास का कार्य कर सकेंगे और हम प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं को, गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

(इस समय १ बजकर ३४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सामने जो यह कंट्रोल बिल ईंट का पेश है, कल से इस पर बहस हो रही है। उसके सिलसिले में मंत्री जी तथा माननीय सदस्यों के भाषण भी सुनें लेकिन मुझको जहां तक अनुभव है वह यह है कि देहात के लोग जो सरकार की तरफ से कन्ट्रोल लगते हैं, उनको सुनते ही डरते हैं, कंट्रोल का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कन्ट्रोल की वजह से लोगों को जो-जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं वह माननीय मंत्री जी को ही नहीं बल्कि सदन में बैठने वाले सभी सदस्य

उनसे भली-भांति परिचित हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने जब से शासन की बागडोर अपने हाथ में ली है उसी समय से प्रान्त में ही नहीं देश में कपड़े की कमी हुयी। कन्ट्रोल सोच समझ कर किया जाना चाहिये और इस तरह से किया जाना चाहिये कि सब लोगों को समुचित रूप से चीजें मिलें। श्रीमन्, किसी भी सरकार के लिये तब कन्ट्रोल करना जरूरी होता है जब किसी जगह वस्तुओं की कमी हो और उसकी मांग ज्यादा हो तो सरकार इसलिये कन्ट्रोल करती है कि लोगों को चीजें समुचित रूप से और उचित मात्रा में मिल सकें। अगर कन्ट्रोल करने के बाद वह समुचित रूप से जनता को नहीं मिलतीं और लोगों को परेशानी हो तो वह कन्ट्रोल कन्ट्रोल नहीं है। कन्ट्रोल करने में यह होना चाहिये कि जिस वस्तु पर कन्ट्रोल किया जा रहा है उसके उपार्जन, वितरण और बाजार पर कन्ट्रोल होना चाहिये। सरकार वस्तु पर तो कन्ट्रोल करती है लेकिन बाजार को खुला छोड़ देती है। उसके लिये कोई कन्ट्रोल नहीं है कि बाजार में किसी भी तरह से बिकती रहे। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान कपड़े के कन्ट्रोल की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब देश में कपड़े का कन्ट्रोल था तो एक तरफ लोगों को कपड़ा नहीं मिलता था और दूसरी तरफ बड़े-बड़े लोगों ने उसको स्टोर कर रक्खा था और वे लोग उसको ब्लैक मार्केट में बेचते थे। इस तरह जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कितने लोगों के मुर्दों को कपड़ा न मिला और बिना कफन के मुर्दे दफनाये गये। दूसरी ओर लोगों ने ब्लैक करके बहुत-सा पैसा पैदा किया। अध्यक्ष महोदय, इस कंट्रोल के कारण नीचे से लेकर ऊपर तक यानी कन्ट्रोल करने वाले, कन्ट्रोल से बेचने वाले और खरीदने वाले सभी लोगों में भ्रष्टाचार फैल गया। जिस कीमत पर चीजें लोगों को मिलना चाहिये थी उस के चौगने और पचगुने दामों पर चीजें मिलीं और जो लोग कंट्रोल के करने वाले थे वे भी उस करप्शन में ऐसे फंसे कि उनको भी उसका चस्का लग गया। हमने कपड़े का भी कंट्रोल देखा। अभी नमक का कंट्रोल चल ही रहा है, जब उस का कंट्रोल हुआ तो हमने देखा कि जब भी सरकार किसी चीज का कंट्रोल करती है तो लोग समझते हैं कि वह चीज बाजार से गायब हो जायगी और नहीं मिलेगी और बड़े लोग इन चीजों को इकट्ठा करके जखीरेबाजी शुरू कर देते हैं और जिन लोगों को सरकार कंट्रोल कर के चीजें देना चाहती है वह उन तक नहीं पहुंच पाती। वह चीजें बड़े लोगों पर जमा हो जाती हैं और जिन को वह नहीं मिलतीं वह वही लोग होते हैं जिन को सरकार पहुंचाना चाहती है लेकिन वह चीजें उन्हीं को नहीं मिलतीं। नतीजा यह होता है कि वह जरूरतमंद लोग ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर भी उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नमक का जब कंट्रोल हुआ उस के बाद एक रुपया सेर तक वह बिक गया, आज भी नमक का ५ पैसे सेर का कंट्रोल रेट है लेकिन वह बाजारों में दो आना और ढाई आना तक बिक रहा है। जो भी रिटेलर कंट्रोल रेट पर नमक ले जाते हैं वह जाकर कंट्रोल रेट पर लोगों को नमक नहीं बेचते और ज्यादा पर बेचते हैं। इसलिये कंट्रोल होने पर भी यह चीजें उन लोगों को ठीक दामों पर नहीं मिल पाती हैं और इस तरह का कंट्रोल मैं समझता हूं कि "नहीं" के बराबर ही हैं। कंट्रोल होने के बाद वह चीजें ऐसी हो जाती हैं कि लोग समझते हैं कि अब वह नहीं मिलेंगी और उनको पैसे वाले लोग इकट्ठा कर लेते हैं।

इस बिल में ईंट के ऊपर कंट्रोल की बात है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया ईंट ऐसी चीज है कि आजकल उसकी हमारे देश में और प्रदेश में बहुत मांग हो गयी है। क्यों हो गयी? आज हमारे देश में निर्माण के कार्य चल रहे हैं और इसके साथ ही जो लोग अब तक देहातों में फूंस के घर बनाते थे जमींदारी अबालिशन के बाद जो भी जंगलों में फूंस घास था वह सब खत्म हो गया और अब जो गरीब भी हैं जिसके पास ईंट का मकान बनाने की ताकत नहीं है वह भी सोचता है कि दो एक साल में एक एक कोठरी करके ईंट से ही काम लें, लेकिन वह भी अब फूंस को खोजने की कोशिश करना नहीं चाहता। इस तरह से अब सारे देश में ईंट की मांग है लेकिन उसके होते हुये भी ईंट बनाने के साधन हमारे पास नहीं हैं। लकड़ी मिलती नहीं है। बिल के उद्देश्य में मंत्री जी ने वनों के संरक्षण की बात भी कही है, सचमुच वह भी होना चाहिये। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जमींदारी विनाश के बाद भी जो छोटे-मोटे जंगल या झाड़ियां थीं जिनसे लोगों को लकड़ी या फूंस मिलता था, उसको भी जब लोगों ने सोचा कि हमारे हाथ से जमींदारी जा रही है तो उन्होंने उसको

[श्री रामसुभग वर्मा]

भी खत्म कर दिया और उन्होंने बड़ी निर्दयता के साथ सारे जंगल, बाग बगीचे का सफाया कर डाला और उन्होंने मिलों में और इधर-उधर तमाम लकड़ी बेच ली। हमारे यहां तो इतना जंगल नहीं था लेकिन जो दो तीन छोटे-मोटे जंगल थे जिन को खास कर के इस सरकार के समय में तो नहीं लेकिन उनको जबरदस्ती लिया था और उनको लेकर इस तरह से खत्म किया जैसे सिसवा जंगल था, बरवा जंगल था। उन लोगों ने रोकथाम की कि जंगल से फायदा है लेकिन सरकार की ओर से उनको दबाया गया और बड़े-बड़े लोगों का जैसा श्री पांडेय जी का २४–२५ एकड़ का जंगल काटा जा रहा है सरकार के एक बड़े दुलरुवा आदमी हैं उनके जरिये से जंगल कट रहा है तब फिर जंगलों का संरक्षण कैसे हो सकता है। बड़े-बड़े आदमियों के लिये तो छूट है। लकड़ी की कमी होगी ही। ईंट के बनाने में दो तीन चीजों की जरूरत रहती है। मिट्टी आसानी से देहातों में मिल जाती है, खेत से, पोखरी से कहीं से निकाल लेते हैं और उनको ईट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास साधन हैं। सरकार ने उनको अधिकार दिया है कि वे अपने खेत में से मिट्टी निकाल सकते हैं और इससे वह ईंट बना सकते हैं, उनके पास आदमी हैं और उनके पास उनके हाथ हैं। वह ईंट बना सकते हैं, पाथ सकते हैं लेकिन उनको लकड़ी नहीं मिलती। यही नहीं श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पहले से हमारे यहां कुछ वर्ष पहले एक प्रस्ताव पास किया कि जो लोग ईंट पथवायेंगे उनको २० रुपया फी भट्ठा लाइसेंस फी देनी पड़ेगी और लाइसेंस लेना पड़ेगा। उनकी तरफ से सुपरवाइजर रखे गये और कहीं जो ईंटा पथवाता था उसकी रिपोर्ट हो जाती थी। श्रीमन्, मुझे अनुभव है मैं भी एक सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हूं और मैंने अपनी तरफ से सुझाव भी दिया था कि जो ईंट का भट्ठा लगाता है, जो चिमनी से रोजगार करने के लिये ईंट तैयार कराते हैं उन पर आप लाइसेंस रखिये। लेकिन जो मसजिद के लिये, मंदिर के लिये, स्कूलों के लिये या पुल-पुलियों के लिये या किसी सार्वजनिक कार्य के लिये ईट पथवाये उस पर लाइसेंस फी नहीं लगनी चाहिये। लेकिन होता क्या है आज जो ईंट पथवाता है उसकी रिपोर्ट हो जाती है और सैकड़ों आदमियों को कचहरियों में लाइसेंस के लिये दौड़ते रहना पड़ता है। हमारा अनुभव है श्रीमन्, कि एक छहूं गांव में ५,६ आदमियों ने मिलकर ६ हजार ईंटा पथवाया, उन लोगों ने चन्दा लगा कर पथवाया, एक कुवें की मरम्मत के लिये, लेकिन उनकी रिपोर्ट सुपरवाइजर ने कर दी और उन पर मुकदमा दायर हो गया और उस ६ हजार ईंट के लिये उन पर जुर्माना हो गया। तो इस तरह से तो धांधली होती है। किसी एक आदमी ने नहीं, मिलकर वह ईंट पथवाई गयी और उस पर यह किया गया। जो लोग सुपर-वाइजर को रुपया दे देते हैं वह बच जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश को यदि ईंट की आवश्यकता है तो सरकार को ईंट के बनाने में लोगों को सहायता देनी चाहिये, मिट्टी की वहां कोई कमी नहीं है इसलिये सरकार को वहां कोयला देना चाहिये, उनके लिये लकड़ी का इंतजाम करना चाहिये और लोगों को फ्री लाइसेंसेज़ देने चाहिये ताकि जितनी ज़रूरत हो उतनी ईंट वह बना सकें। लेकिन कंट्रोल करने के बाद जितनी मांग होती है जब वह पूरी नहीं हो पाती है तो फिर भ्रष्टाचार की गुंजाइश हो जाती है और पिछले कंट्रोल से ही लोग इतने ऊब चुके हैं कि जब कभी भी कंट्रोल की बात होती है तो लोग डरने लगते हैं कि हमें परेशानी होगी और हमारी सारी चीजें बन्द हो जायंगी। पहले भी हमने देखा कि कंट्रोल से बड़े-बड़े लोग जो नाजायज फायदा उठाने वाले थे उनकी तो कोठियों पर कोठियां बनीं और जिनको सुविधायें मिलने चाहिये थीं उनको सुविधायें नहीं मिल सकीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि न मालूम इस सरकार को कंट्रोल से क्योंकर मोहब्बत हो गयी है। ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह से देहातों में लोग कहते हैं कि कुत्ते को सूखी हड्डियों का जब चस्का लग जाता है तो वह उसे चूसता ही रहता है चाहे उसमें कुछ न निकले। इसी तरह से भ्रष्टाचार होने पर भी देहातों में लोगों को दुख और तकलीफ मिलने पर भी सरकार चाहती है कि हर चीज पर कंट्रोल हो। सरकार कहती तो यह है कि कंट्रोल करने पर सारी अव्यवस्था दूर हो जायगी और सब चीजें सबको मिलने लगेंगी और जितनी चीजें उपार्जन होती हैं उन पर कंट्रोल करके जनता में समान रूप से वितरण किया जायगा लेकिन वैसा होता नहीं और दूसरे लोग ही कंट्रोल से नाजायज फायदा उठाते हैं देहातों में जो लोग ईंटें बनाते हैं अपना घर बनाने के लिये वे जब कोयले के लिये

जाते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं लेकिन कोयला उनको नहीं मिलता लेकिन बड़े-बड़े लोग जिनको कोयले की जरूरत नहीं है अपनी मशीन चलाने के बहाने लाखों मन कोयला वे मंगाकर रख लेते हैं और फिर इन्हीं लोगों के हाथ वे ब्लैक में कोयला बेचते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को कोयले की जरूरत है उनको कोयला नहीं मिलता।

इसी तरह से श्रीमन्, घर बनाने में जब सीमेंट की जरूरत होती है, तो हमने देखा है कि सरकार के सारे नियम पालन करने के बाद भी जिन लोगों को सीमेंट की जरूरत होती है। चाहे कुवें बनाने के लिये, चाहे नालियां बनाने के लिये या पुलियां बनाने के लिये उनको सीमेंट नहीं मिलता। सीमेंट की दरख्वास्त जब वे देते हैं तो पंचायत इंस्पेक्टर से लेकर ऊंचे से ऊंचे लोगों की मोहर लगवाने पर भी सीमेंट उनको उचित मात्रा में नहीं मिल पाता और वे बेचारे लौट कर आते हैं और आज भी उनको सीमेंट ७,८ रुपये पर मिलता है। इस तरह से मैं बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से कंट्रोल का दुरुपयोग किया जाता है। माननीय गौतम जी ने जो बतलाया सचमुच जनता कंट्रोल को नहीं चाहती। उन्होंने सचमुच जनता की आवाज को उसके अनुभव की जानकारी करके यहां बताया है। जिस चीज पर सरकार कंट्रोल कर देती है, जनता में उस समय एक सन्नाटा हो जाता है, वह डरने लगती है कि वह चीज हमको नहीं मिलेगी। क्योंकि बड़े-बड़े पूंजीपति जिनके पास पैसा है उस चीज को खरीद कर के रुपये के बल पर रख लेगें और वह चीजें जो हमें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलेंगी। हमको उनके पास जाना पड़ेगा और एक के स्थाव पर आठ देने पड़ेंगे तब वह चीज मिलेगी। इसलिये जनता चाहती है कि कंट्रोल न हो।

श्रीमन्, सरकार जो लोगों की मांग है,उसको, कंट्रोल करके उनको उससे वंचित न करे और जो चीज उनको मिलने वाली है वह उनको न मिले। कंट्रोल में चाहे सरकार बाजार का कंट्रोल करे, सारी चीजों का कंट्रोल करे और यह देखे कि उनको उचित दाम पर और उचित मात्रा में मिल सके, लेकिन कंट्रोल के बाद यह दशा हो जाती है कि जिन चीजों पर वह कंट्रोल कर देती है उनका मिलना दुश्वार हो जाता है।

कहा जाता है कि वन का संरक्षण हो। सरकार को सोचना चाहिये कि वन का कैसे संरक्षण हो। एक तरफ वह संरक्षण करना चाहती है और दूसरी तरफ छूट दे रखी है कि वह लोग जंगलों को काटें और खेती करें। ठीक उसी तरह से ईंटों को बनाने के लिये कोई खान तो खोजनी नहीं है। कोयले या तेल के निकालने की आवश्यकता नहीं है। ईंट की खान देहातों में घर-घर है। जिनके पास खेत है, उससे वह मिट्टी निकाल सकता है और ईंट बना सकता है। उनके पास हाथ हैं, मिट्टी उनके पास मौजूद है वह ईंट बना सकते हैं। सिर्फ कोयले की जरूरत है। कोयला सप्लाई कीजिये, उनको लकड़ी दीजिये वह ईंट बनायेंगे और उसके बाद कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपनी जरूरत की चीजें खुद पैदा कर लेंगे। आप अपने निर्माण-कार्यों के लिये ईंट बनवाइये और उनको अपने हाथ से बनाने दीजिये। जो ईंटें बनाने वाले लोग हैं उनको एक प्रकार की रोजी मिलेगी और आज ज्यादा से ज्यादा ईंटों की चिमनियां खोल कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम में लगा कर ज्यादा से ज्यादा ईंट तैयार करवाइये जिससे उसकी कमी पूरी हो सके और कंट्रोल की कोई जरूरत न पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बात कहीं है, उसका समर्थन करता हूं।

**श्री फतेहसिंह राणा** (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जिस पर कल से बहस है दो ही चीजों के बारे में है। एक लकड़ी के सम्बन्ध में और एक कोयले से जो ईंट बनती हैं उनके सम्बन्ध में। जहां तक लकड़ी से ईंटें बनती हैं वह भी इससे वंचित हैं। उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। असल में कुछ मैं समझता हूं कि गलतफहमी है। कोयला जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया केन्द्रीय सरकार से मिलता है और वह कोयला कालोरीज से बिलकुल निश्चित शरह पर भट्ठे वालों को दिया जाता है। तो जो सज्जन यह चाहते हैं कि ईंटों पर नियंत्रण

[श्री फतेहसिंह राणा]

न रहे, क्या उनका यह मंशा है कि सरकार तो भट्ठे वालों को कोयला एक निर्धारित दर पर दिया करे और वह उनसे ईंटें बनाकर जिस तरह चाहें उस तरह बेंचें ? मैं समझता हूं वह यह भूल करते हैं। ऐसा किसी का मंशा हो भी नहीं सकता। कोयला तो सरकार देती है भट्ठे वालों को अपने यहां से मुकर्रर कीमत पर और वह मनमाने दाम पर बेचे, पीछे देखा गया जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि पीछे जब भी डि-कंट्रोल की नीति सरकार ने अख्तियार की तब ईंटों पर से भी कंट्रोल को हटाया गया था। पश्चिमी जिलों के बारे में मैं जानता हूं जब ईंटों से कंट्रोल हटाया गया तब एक हजार ईंटों के दाम ५० रुपये तक थे और जब कि कायदे के अनुसार जब वह कंट्रोल था उस वक्त २० और २२ रुपये दाम थे। तो एकाएक ६ महीने के अन्दर-अन्दर दुगनी से भी ज्यादा ईंटों की कीमत हुयी। उसका नतीजा सरकार के सामने आया और हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया कि जब एक पूंजीपति भट्ठे वाले को सरकार निश्चित दामों पर कोयला देती है तो कोई कारण नहीं कि कंज्यूमर का शोषण किया जाय और ईंटों पर कोई कंट्रोल न हो। मैं समझता हूं ऐसा करना सरकार के लिये अनिवार्य था और उचित भी था। उन्होंने ठीक किया। कोई भी सज्जन जितने यहां बोले उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि ईंटों पर कंट्रोल होने से कन्ज्यूमर को क्या दिक्कत है। क्या वाकई जितना कंट्रोल होने से पहले दाम था ईंटों का, उससे आधा हो गया या, नहीं हो गया। किसी भाई ने यह भी नहीं कहा कि परमिट लेने में या देने में या उनको कोई और किसी किस्म की असुविधा होती हो। एक और गलतफहमी मालूम होती है। ऐसा डर होता है जैसे कि कोई आदमी पीछे आग से जला हो और फिर छाछ को भी समझता हो कि यह भी जलाता होगा। इसी तरह से पीछे के कंट्रोल की बातें सोचकर हर माननीय सदस्य यह समझता है कि जनता बहुत मुसीबत में आ जायगी। यह तो बहुत दिनों से कंट्रोल है, कई साल से है, ईंटों पर कंट्रोल। कोई दिक्कत आज तक नहीं हुयी। न किसी माननीय सदस्य ने आज तक बताया कि किसी किस्म की दिक्कत हुयी हो। मैं समझता हूं एक यह भी भ्रम हो रहा है कि जिस तरह से पहले अनाज वगैरह पर कंट्रोल था तब परमिट लेने में दिक्कत हुआ करती थी वैसे ही शायद इस समय भी दिक्कत हो। माननीय गौतम जी ने कह दिया कि साहब, १८ रुपये मन का अनाज बिकना लोग अच्छा समझते हैं बनिस्बत इसके कि परमिट लें और फिर १३ रुपये में लें। तो मैं समझता हूं कि यह उनको भ्रम है। यहां तो कंट्रोल है केवल दामों का। जितना दाम सरकार ने ठीक समझा वह उसने निर्धारित किया और उसी दाम पर जो भी सज्जन चाहते हैं चाहे वह अपना मकान बनाने के लिय हो चाहे वह सरकार के किसी डेवलपमेंट के काम के लिये हो हरएक को ईंट मिल जाती है, परमिट का वहां सवाल नहीं आता है। तो किसी कंज्यूमर को कोई दिक्कत ही नहीं होती। श्री गौतम जी ने एक यह नयी बात कही कि साहब, फेडरेशन, जो प्रांविंशियल फेडरेशन है कोआपरेटिव, उसमें लाखों रुपये का कपड़ा बिका और लाखों रुपये का मुनाफा हुआ। मैं समझता हूं कि उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे जानकारी तो कोआपरेटिव के सम्बन्ध में नहीं है लेकिन फिर भी जिसको श्रीमन्, जानकारी नहीं है वह उस आदमी के बारे में कि जिसका चेहरा कभी देखा नहीं और यह कहे कि उसकी नाक टेढ़ी है, उसकी आंख भी बैठी हुयी है तो वह अपनी दलील से खुद साबित कर रहा है कि खुद उसको जानकारी है नहीं और जो बातें वह कह रहा है वह गलत कह रहा है। जब उनको कोआपरेटिव के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं तो उसके बारे में यह बात कह देना कि साहब फेडरेशन में लाखों रुपया कपड़े से मिला, ठीक नहीं है। पहली बात तो यही गलत है कि कपड़े से प्रांविंशियल फेडरेशन को लाखों रुपये का मुनाफा है। असल में शुरू सालों में कुछ मुनाफा हुआ, लेकिन जब दाम नीचे गिरे तब हमारे प्रान्त का जो सहकारी संघ है उसको बहुत नुकसान हुआ और कपड़े में जो नुकसान हुआ वह उसके लिये नाकाबिल बरदाश्त है। यह मैं उनकी जानकारी के लिये कह देना चाहता हूं।

फिर एक बात उन्होंने यह कही कि वह मुनाफा कन्ज्यूमर को मिल जाना चाहिये। तो मेरी समझ में नहीं आया वह तो यहां एक बहुत अच्छे पद पर रहे, उनको तो यह जानकारी होनी चाहिये कि प्रांविंशियल फेडरेशन ने कंज्यूमर को कपड़ा नहीं दिया, बल्कि कंट्रोल के जमाने

में उन्होंने अपने जिले के सहकारी संघ या कंज्यूमर्स सोसाइटियां जो शहरों में बनी हुयी थीं, उनके द्वारा उसका वितरण किया और वह सब कंज्यूमर्स के बने हुये थे और उन कंज्यूमर्स स्टोर्स को जो पैसा मिलता था वह दो तरीके से मिलता था। एक तो डिवीडेंड उसको कहते हैं और एक बोनस। जितना कपड़ा जिसने खरीदा उसके हिसाब से दाम दे दिया और बोनस अलग से डिवीडेंट उनको मिला। तो उनका यह कहना कि कोआपरेटिव में ऐसा नहीं, तो मैं समझता हूं कि उनको जानकारी नहीं है और वह अपनी भूल को ठीक करेंगे।

इस पर बोलते हुये माननीय गेंदा सिंह जी ने कोआपरेटिव के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। मैं उनका बहुत आभारी हूं उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर कोआपरेटिव को ही भट्टे के काम के लिये कोयला दे देना चाहिये। श्रीमन्, साथ ही साथ यह कहना कि सोशलिस्टिक पैटर्न हमारी केन्द्रीय सरकार और सूबे की सरकार की नीति है और फिर माननीय सदस्य का यह कहना कि कोआपरेटिव में कुछ कम कोयला दिया जाय, मैं समझता हूं यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। हमारी तो यह नीति तय हो चुकी है, केन्द्रीय सरकार की भी और राज्य सरकार की भी, कि हमें मिडिलमैन, जो बीच के नफाखोर हैं उनको मिटाना है और उनके स्थान पर हमको सहकारिता को ही लाना है।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

**श्री फतेहसिंह राणा**—तो श्रीमन्, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, जैसे माननीय गेंदा सिंह जी ने उचित ही फरमाया है, उनकी तो यह नीति है ही कि जितनी जल्दी और अधिक से अधिक मुमकिन हो सकता हो हम प्राइवेट बीच के आदमियों को अलहदा कर, उनके बजाय सहकारिता को जगह दें, और यह उनका सुझाव बहुत उचित है। मैं इसके लिये उन को धन्यवाद देता हूं। मैंने अर्ज किया कि किसी सदस्य का यह मंशा कि कोयला कंट्रोल से मिले और उसको ईंटें कंट्रोल से न मिलें कभी हो नहीं सकता। तो यह तो उचित हुआ कि इस पर कंट्रोल हुआ और दो साल के लिये जैसा कि सरकार की ओर से रखा गया कि दो साल के लिये अवधि बढ़ा दी जाय, मैं इसकी ताईद करता हूं। रही लकड़ी के सम्बन्ध में बात, तो कुछ शहरों में लकड़ी कि कुछ दिक्कत जरूर है, हालांकि बहुत दिक्कत नहीं। उसमें भी कोई असुविधा कंज्यूमर को नहीं हुयी। जैसा मैंने निवेदन किया कि परमिट का सिस्टम वहां भी नहीं है। वहां भी केवल प्राइस कंट्रोल है और लकड़ी अधिक दामों पर न बिक पाये इतना सा बन्धन रखा हुआ है। मैं तो यह समझता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि केन्द्रीय सरकार ने लोहे पर अभी कंट्रोल किया, तो क्या मैं यह आशा करूं और सरकार से अनुरोध भी करूं कि पहले जैसे लोहे पर कंट्रोल था लेकिन जो उसकी चीजें बनती थीं वे कंज्यूमर को उचित दामों पर नहीं मिलती थीं, वैसा न हो? मैं आशा करूंगा कि अब लोहे पर कंट्रोल हो जाने से जो उससे चीजें बनेंगी उन पर भी सरकार कंट्रोल करे ताकि ठीक-ठीक दामों पर वे चीजें कन्ज्यूमर को मिल सकें। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, कल से जो विवाद प्रस्तुत विधेयक पर हो रहा है उसे मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। माननीय गेंदा सिंह जी ने इस विधेयक में जो त्रुटियां बतलायीं वे सब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है विषयान्तर ही रहा। उन्होंने चुर्क की सीमेंट फैक्टरी के संबंध में बहुत सी आलोचनायें की और कंट्रोल की बहुत सी बातों की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैं समझता हूं कि उनके भाषण का करीब-करीब दो तिहाई हिस्सा ऐसा था जिसका प्रस्तुत विषय से कोई संबंध नहीं था। इस विधेयक से जैसा कि अभी राणा जी ने बतलाया और माननीय मंत्री जी ने भी सदन का ध्यान आकर्षित किया था, दो ही विषयों का संबंध है, लकड़ी और कोयले का। ऐसा मालूम होता है कि इस संबंध में माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी हो गयी है, अभी मैं माननीय रामसुभग वर्मा जी का भाषण सुन रहा था उन्होंने कंट्रोल की सारी बुराइयों की ओर इस सदन का ध्यान

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

दिलाया। हम में से बहुत से जो इधर बैठे हुये हैं कंट्रोल के विरोधी रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों से बाध्य हो कर ही सरकार को कंट्रोल करना पड़ा था। अब सारे कंट्रोल समाप्त हो गये हैं। इस लिये कंट्रोल की क्या बुराइयां या अच्छाइयां हैं उसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यह कंट्रोल तो केवल ईटों पर ही होने जा रहा है, हम लोग जो यहां बैठे हुये हैं उनमें से अधिकांश देहात के रहने वाले हैं। जैसा कि राणा जी ने बताया कंट्रोल के न रहने की वजह से पश्चिम के जिलों में ५० रुपये हजार तक इंटों का मूल्य हो गया था। मैं पूर्व का रहने वाला हूं। वहां ३५ से ३८ और ४० रुपये हजार तक कंट्रोल के पहले ईटें बिकी हैं। जब से मूल्य का नियंत्रण हो गया है तब से वे ठीक दामों पर मिलने लगी हैं। हमने उनके वितरण पर कंट्रोल नहीं किया है। मैं तो समझता हूं कि जनता का कोई व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि आज अगर ईटों के मूल्य पर से आप नियंत्रण उठा दें तो फिर उनका दाम बढ़ जायगा। आज २२–२३ और ज्यादा से ज्यादा २४–२५ रुपये हजार ईटें मिल रही हैं। कंट्रोल हटने से वह फिर ३५ और ३८ रुपये मिलने लगेगी। आज वितरण पर कोई कंट्रोल नहीं है।

मैं माननीय गेंदा सिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि हमको जहां तक हो सके सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं अपने जिले की बात बतला सकता हूं कि वहां करीब ७० भट्ठे चल रहे हैं, जो सहकारिता से ही चलते हैं। वहां कोई भी प्राइवेट भट्ठा नहीं है।

बहुत सी और बातें यहां कहीं गयी चुर्क सीमेंट फैक्टरी वगैरह के बारे में। उनके विषय में एक शब्द भी कहना मैं समझता हूं सदन के समय का दुरुपयोग करना है। हमें तो दो ही बातों को देखना है एक तो लकड़ी और दूसरी ईंट, इनके ही कंट्रोल करने से इस विधेयक का संबंध है। माननीय गेंदा सिंह जी का केवल इसी बात से मतभेद था कि वह दो साल के बजाय एक साल की मियाद इस विधेयक के लिये रखना चाहते थे। इस का अर्थ दूसरे शब्दों में यह हुआ कि वह इस बिल के सिद्धान्त से सहमत हैं और चाहते हैं कि कंट्रोल तो रहे लेकिन मुद्दत एक साल की ही रखी जाय। इससे प्रकट होता है कि केवल मुद्दत में ही उनका विरोध है। माननीय राम सुभग जी वर्मा ने जो तर्क उपस्थित किया वह हमारी समझ में नहीं आया, यह उन्होंने सिद्धान्त का विरोध किया और कंट्रोल की खराबियों की बातें कीं और कहा कि जंगल की लकड़ी काटने में यह खराबी होती है, मैं समझता हूं कि इन बातों से विधेयक का कोई संबंध नहीं है। जिन विषयों पर नियंत्रण करने का इस विधेयक में अधिकार दिया है वह कोयला, ईंट, और लकड़ी के संबंध में है। इस विधेयक को पास करना अत्यन्त आवश्यक है और इसमें दो वर्ष की जो मुद्दत रखी गई है वह भी उचित है, जहां आवश्यकता प्रतीत होगी वहीं यह विधेयक लागू किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि जिस जिले के तथा जिस क्षेत्र के माननीय सदस्य कहेंगे वहां कंट्रोल नहीं लगाया जायगा। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री जयपालसिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल पर कल से बहस हो रही है और मैंने सदस्यों के भाषणों को सुना। उनसे ऐसा प्रतीत होता कि गोया सारे कंट्रोल के विषय पर आज ही चर्चा कर ली जाय और फिर कोई बात बाकी न रह जायगी। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि आज जो बिल है उसमें सिर्फ लकड़ी, कोयला और ईंट पर चर्चा करने का विषय है और इनसे बाहर जाने की गुंजाइश नहीं मालूम होती है। लेकिन इस पर भी मैं यह कहूंगा कि जहां कंट्रोल होता है वहां भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, रिश्वतखोरी शुरू हो जाती है और करप्शन की सब अलाबलायें शुरू हो जाती हैं। जब हम किसी चीज पर कंट्रोल करते हैं तो यह नहीं देखते हैं कि किन हाथों में दें जिससे बजाय नुकसान के लोगों को फायदा हो सके और जिस मकसद से हम कंट्रोल करना चाहते हैं वह पूरा हो सके। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कंट्रोल हो तो वैसे लोग ही चाहेंगे कि जिनको अपने हाथ से कमाना है, जिनको अपना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उल्लू सीधा करना है, इसको रिश्वतखोरी समझिये। ब्लैकमेलिंग समझिये, वही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाय और ज्यादा से ज्यादा चीजें उनको मिलें और मेहरबानी बख्शी जाय जिससे वह उल्टे सीधे काम कर लें।

मैंने देखा है कि डेढ़ पौने दो साल हुये जब माननीय गुप्ता जी गये थे उनके सामने कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट तथा लोकल एम० एल० एज० और ए ग० एल० सीज० ने कहा कि जो कोआपरेटिव भट्टों के लिये कोयला दिया जाता है उनमें कितना भ्रष्टाचार है....

श्री शिवनारायण—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर यह जिक्र नहीं होना चाहिये कि कांग्रेस कमेटी में क्या हो रहा है।

अधिष्ठाता—यह तो वह अपने भाषण में वैसे ही जिक्र कर रहे हैं।

श्री जयपालसिंह—अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिवनारायण जी सुन लेते तो बेहतर होता। गुप्ता जी के सामने इस चीज को कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट ने रखा कि कोयला जो दिया जाता है वह निरर्थक है और भट्टे के नाम की कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं है और कोआपरेटिव विभाग ठेकेदार को कोयला दे देता है ईंट तैयार करने के लिये और वह ठेकेदार जो है वह अपना भट्टा लगा कर उनको दे देता है और इसी बीच में "प्लानिंग" के नाम से कितने लोगों का एक क्लास बन गया है जिनको कि फायदा पहुंचाने का मंशा रखा जाता है। उनको कोयला दे दिया गया हालांकि उन्होंने आज तक कोई भट्टा नहीं लगाया और कहना यह है कि हमने कोआपरेटिव सोसाइटी खोल रखी है और हमने भट्टे लगा रखे हैं। फतेहसिंह राणा साहब ने कहा। हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन मैं अपने यहां की बात कह रहा हूं। मेरे यहां तो यह है कि अगर उनको इस तरह से कोयला दे दिया गया तो वह उसको ब्लैक मेलिंग करके और ब्लैक मार्केटिंग करके बेच लेते हैं, इस तरह से १५,२० हजार रुपया कमा लेते हैं। इसी तरह से दफ्तर में भी करप्शन है। तो करप्शन बहुत बढ़ गया है। आज नाजायज तरीके से कोयला हासिल करके ईंट बनाने वाले को दिया जाता है तो वहां क्यों न रिश्वत दी जाती होगी? अगर यही कोआपरेटिव सोसाइटीज का मकसद है तो मेरी समझ में नहीं आया कि इनके रहने की आज क्या जरूरत है? कई सदस्यों ने यह बताया कि हमारे यहां प्लानिंग का काम हो रहा है और बहुत सी चीजों की, ईंटों के लिये आवश्यकता है, उनको पूरा किया जाना चाहिये। मैं मानता हूं कि उस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिये और उसे ठीक तरीके से पूरा किया जाना चाहिये, यह नहीं कि चन्द आदमी ही उससे फायदा उठा लें। अगर उस काम से ९० फीसदी आदमियों का फायदा होता है तो मैं मानता हूं कि उससे कोआपरेटिव और प्लानिंग का मकसद पूरा होता है और अगर उससे कम लोगों का फायदा होता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह जनता का निर्माण कार्य कैसे है? मैं समझता हूं कि उस हालत में वह जनता का निर्माण कार्य न हो कर कुछ लोगों का निर्माण कार्य होगा और उनकी बहबूदी होगी। मैं निवेदन करूंगा कि गुप्ता जी के सामने जो बात रखी गई थी उसको उस वक्त उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि यह ठीक नहीं है। आज भी वह ज्यों की त्यों मौजूद है। अगर वह उसको ठीक कर देते तो बेहतर था और ठीक था कि कंट्रोल हुआ और ईमानदारी से काम हो रहा है और ईमानदारी से काम होगा और निर्माण कार्य में ईंट और जिन दूसरी चीजों की आवश्यकता होगी उनमें हम पूरी मदद करेंगे। अगर ऐसा होता तो मैं ठीक समझता, लेकिन वह ज्यों का त्यों चल रहा है। तो ऐसी हालत में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बेहतर तो यह है कि आप इस बदनामी से छुटकारा पा जायं और लोगों को बिना कंट्रोल के कोयला दें। लोगों के आज भी भट्टे खुले हुये हैं। वह कोयला भी लेंगे और आप को ईट भी देंगे। तो ऐसी हालत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुप्त जी कम से कम अपने विभाग की तरफ देखें और अपने कर्मचारियों की तरफ देखें कि वह किस तरह से इन शिकायतों को दूर करते हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि एक-एक शिकायत के लिये २०,२० रिमाइन्डर जाते हैं, लेकिन डी० एम० और सप्लाई अफसर उन सबको दबा कर बैठ जाते हैं और मौन रहते हैं।

[श्री जयपालसिंह]

तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग वगैरह कैसे चलेगी और कैसे जनहित का कार्य होगा और कैसे इस कंट्रोल को कर के गरीब लोगों की भलाई के काम होंगे और वह कैसे अपना काम चला सकेंगे । इस तरह से और गड़बड़ होने का अंदेशा है और इसको रोकने की जरूरत है । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां परमिट, लाइसेंस और कंट्रोल की चीजों को लेने का सवाल है वहां पर कहा तो जाता है कि जो पुराने आदमी हैं उन्हीं को हम यह परमिट देंगे , कोयला भी दिया जायगा, लेकिन जहां हरिजन बंधुओं का सवाल पैदा होता है उनको इसमें भी किसी न किसी तरह से उलझा कर डाल रखते हैं । मुझे एक मिसाल भी बता दी जाय कि जिस में उनको कंटीन्यूअंस वैगन दिया हो और इतनी मात्रा में दिया गया हो कि वह अपने भट्टे चला सकें। मेरे पास ऐसी कितनी ही शिकायतें आई हुई हैं कि बराबर सप्लाई आफिस उनको कोयला नहीं देता है। आज तो उन के साथ सामाजिक व्यवहार ऐसा नहीं है कि अगर वह घूस भी दे दें तो उनका काम हो सके। तो इस तरीके से वे उधर से पिछड़े हुये थे और इस रिश्वत के देने में भी पिछड़ जाते हैं तो उनको वह मिल नहीं पाता है । मैंने बलदेव सिंह जी से यह शिकायत की कि ऐसा मामला है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । तो ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि यह दुरुपयोग है इस रूढ़िवादिता का और जो पीछे चलने वाले लोग हैं उनको ही व्यवसाय करने का मौका देना है ताकि वह ही कमाते रहें और दूसरे जो कमजोर हैं उनको वैसी ही हालत में रखना है। ऐसी हालत में इस कंट्रोल से तो वैसे ही अच्छा है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कंट्रोल करके हम आम जनता के दुख को और बढ़ायेंगे कम नहीं करेंगे और उनकी फलाह व बहबूदी नहीं कर पायेंगे । इस बीच में कंट्रोल को इस तरह से किया जाय कि हर एक आदमी को चीज मिल जाय तो बेहतर है । यदि हर एक आदमी को चीज नहीं मिल पाती है तो मैं यह समझता हूं कि इसका दुरुपयोग है । यदि कुछ लोगों के फायदे के लिये ही कंट्रोल किया जाय और वहीं तक उसको सीमित रखा जाय तो फिर कंट्रोल से तो बेहतर यही है कि बिला कंट्रोल के ही हम रह जायं ।

मैं थोड़ा सा लकड़ी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जहां पर लकड़ी का कंट्रोल किया जाय वहां पर लोगों को आसानी से लकड़ी मिलनी चाहिये और उस लकड़ी के काम को दूसरे लोगों को भी देना चाहिये । कुछ लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि उनको भी व्यवसाय की दृष्टि से काम करने के लिये इजाजत मिलेगी लेकिन वह नहीं मिल पाती है । ऐसी हालत में दकियानूसी तरीके से वही लोग काम करते हैं जो सदा से इस काम को करते चले आये हैं । जो लोग पिछड़े हुये हैं वह पिछड़े ही रहेंगे । ऐसे कंट्रोल से क्या फायदा है? इस से देश का निर्माण कैसे होगा ? जो लोग पिछड़े हुये हैं वह पिछड़े ही रहेंगे । यह अवस्था है जिसको दकियानूसी कहा जा सकता है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी समाप्त किया जाय । नहीं तो इसका दुरुपयोग होता रहेगा और जनता के नाम पर हम भी कहते रहेंगे कि जनता चाहती है, और इस लिये कंट्रोल करने की जरूरत है । जनता नहीं चाहती है तो नहीं करेंगे । यह नारा बन गया है और बराबर इसको कुछ लोग कहते रहे हैं । किसान और मजदूरों के नाम पर दुहाई देते रहते हैं लेकिन जब किसान और मजदूरों की भलाई का सवाल आता है तो उससे पीछे हट जाते हैं । इस निर्माण के नाम को लेकर हम इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं । इसी वास्ते इस कंट्रोल के मामले में यह बात देखी जाती है कि जो लोग हमेशा से काम करने वाले हैं उनको ही फायदा पहुंचाया जाता है। चूंकि जो लोग कोई काम नहीं करते हैं उनको इन कामों को नहीं देना चाहते हैं ताकि वह इस काम को नहीं कर सकें । ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कंट्रोल का रूप है उसको पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है । अगर उसको बदला नहीं जायगा तो उससे गरीब जनता का लाभ होने वाला नहीं है ।

जहां तक कोआपरेटिव ईंटों के भट्टे की बात है जैसा कि मैंने सहारनपुर के बारे में बतलाया, मैं उनका नाम भी बतला सकता हूं—तो इस विषय में जांच करने की जरूरत है । किसी भी आदमी ने भट्टा नहीं लगाया है और न किसी कोआपरेटिव तरीके पर काम किया है । उसको लेकर

उसने ब्लैक में बेच डाला है। आखिरकार यह क्या तमाशा है। क्या इससे लाभ होने वाला है? इससे लाभ तभी हो सकता है जब कि हर एक गरीब आदमी का लाभ हो। तभी वह मसझेंगे कि वह कंट्रोल उनकी भलाई के लिये है और इसका दुरुपयोग नहीं होता है। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—मैं आपकी आज्ञा से प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

अधिष्ठाता—मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि शायद बिजनेस कमेटी में यह तय हुआ है कि आज ४ बजे तक यह बिल चलेगा। ऐसी हालत में अभी भी कुछ विरोधी दल के लोग बोलने वाले हैं तो यह क्वेश्चन पुट न हो तो अच्छा है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—श्रीमन्, जौनसार बावर बिल इसके आगे आने वाला है। तो जितना जल्दी यह बिल समाप्त हो जाय उतना अच्छा है। यह ४ बजे तक बिलकुल खत्म होना चाहिये। इसमें वह वक्त भी शामिल होना चाहिये जिसमें माननीय मंत्री जी अपना जवाब देंगें। मेरे ख्याल में १० मिनट से ज्यादा और समय नहीं लिया जाना चाहिये जिसमें और लोग बोलें। यदि चार बजे उनकी स्पीच शुरू हुई तो फिर सवा चार बज जायेंगे।

अधिष्ठाता—बिजनेस कमेटी में यह तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज विधेयक, १९५५, को १० जनवरी, १९५६ को सांयकाल तक समाप्त किया जाय। इस प्रकार से यह निश्चय हो चुका है और मैं समझता हूं कि अगर यह बिल चलता रहे तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक पर २-३ महत्वपूर्ण भाषण माननीय सदस्यों के सुनने को मिले जिनमें उल्लेखनीय माननीय शिवनारायण जी, श्री शाहिद फाखरी साहेब और श्री राणा जी के भाषण हैं जिन का जिक्र मैं कर सकता हूं। कन्ट्रोल की गहराई में जाकर जो कोई उसकी जैसी शक्ल देखना चाहे वह देख सकता है। यह सही है कि कन्ट्रोल ने हमारे देश के रहने वालों पर बड़ा बुरा प्रभाव दिया है और इस लिये जब ऐसा विषय प्रस्तुत हो तो हमें बड़ी सावधानी के साथ सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि उन्हीं तकलीफों, दुखों और दर्दों के मातहत जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे वे उन्हीं से संबंधित हैं। यह विधेयक तो केवल २ वर्ष के लिये ईंट और लकड़ी पर कंट्रोल चाहता है। कंट्रोल में यह दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि उस वस्तु के उत्पादन और वितरण में कुव्यवस्था या अव्यवस्था न आने पावे जिन्हें कंट्रोल करना है। मैं समझता हूं कि ईंटें के उत्पादन और वितरण में सरकार के सामने कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। ईंटें के उत्पादन में मिट्टी, जल, लकड़ी और अग्नि की जरूरत है, अनस्किल्ड श्रम भी होना न चाहिये, और ये चीजें अपने मैदानी इलाकों में बड़ी सरलता से उपलब्ध हैं। वितरण का प्रश्न अवश्य विचारणीय है। मैंने बड़े गौर से माननीय व्रज बिहारी जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि उनके जिले में भट्टे की ईंटें ४० और ४५ रुपये हजार में बिकीं। मैं इसे सही समझता हूं। इतना ही नहीं, ५० और ५२ रुपये में ईंटें बिकी लेकिन मैं माननीय व्रजविहारी जी से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि वह पता लगावें कि ये ईंटें खरीदीं किसने। गांव में रहने वाले, झोपड़ी वाले किसान ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने या पूंजीपतियों ने जिन्होंने कंट्रोल के जमाने में लाखों की पूंजी ब्लैकमार्केट से जमा की। शायद हमारे सदन के माननीय सदस्य एक मत से इस पर राय देंगे चोरबाजारी में कमाये पैसे को व्यापारी ने टैक्स से बचाने के लिये कि वह पूंजी उसकी आने वाली सन्तान के भरण पोषण के काम आवे, ४० और ५० रुपये हजार की ईंटों में खर्च किया है। सरकार को चाहिये कि वह कंट्रोल के जमाने में इस प्रान्त के लोगों की सारी कमाई हुई सम्पत्ति की जांच करावे और देखे कि किसने कितने मकान बनाये हैं। शहरों में जिसके पास एक कपड़े की दुकान थी, आज वह ४ दूकानें रखे हैं, डालडा और कपड़े और भी प्रकार की। जिन्होंने कंट्रोल के पहले एक कोठी बनाई आज उनके पास ४,४ कोठियां हैं। जिनके पास केवल एक जूट का कारखाना था उन्होंने आज काटन की भी फैक्टरी खोली हुई है और शुगर या किसी और व्यवसाय के मालिक बन बैठे हैं।

[श्री रामेश्वरलाल]
तो कंट्रोल ने माननीय मंत्री जी की कृपा से कुछ लोगों को पूंजी पति बना दिया है। चोर बाजारी की कमाई को लोगों ने मन माने तौर पर खर्च किया। तो मैं कह रहा था कि न तो उत्पादन में और न वितरण में कोई अड़चन है। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे शंकित क्यों हैं कि उनके प्लानिंग के कामों में बाधा होगी। वे उन भट्टों की ५०, ४०, ३० फीसदी बनाई ईटों को ले लें। आज गांव में २ रुपये पर पथाई प्रति हजार, ५ रुपये का कोयला लगता और ३ रुपये का श्रम लगता है। तो इस प्रकार १० रुपये में एक हजार ईंटा में पड़ता है। अगर माननीय मंत्री जी २० या ३० रुपये में हम लोगों को ईंट दिलवाने जा रहे हैं तो क्या बड़ी देन हमारे प्रान्त को देने जा रहे हैं? कल माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था हमारे प्रान्त की भुखमरी को दूर करने की आवश्यकता है और उसके लिये जमीन का बंटवारा होना चाहिये मगर यह सरकार उस ओर नहीं जाना चाहती है। सरकार को चाहिये कि गांवों में सस्ते दामों पर चीजें देकर वहां छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दे। और जब उत्पादन और वितरण में कोई अड़चन नहीं है तो फिर कंट्रोल की क्या आवश्यकता रह जाती है? अगर आप सहकारी भट्टों को देखें जिनके आंकड़े माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं उनके लिये २ लाख ५० हजार मन लकड़ी माननीय मंत्री जी ने दी है। हमारे प्रदेश में विस्तृत जंगल हैं तो कौन लकड़ी की कमी है जिसमें हमें कंट्रोल की जरूरत हो? क्या मैं प्रश्न कर सकता हूं कि गांव में सिन्दरी के कारखाने से आये फार्टीलाइजर से उत्पादन बढ़ा है? ऐसा नहीं है। हमारा उत्पादन हमारे चलते फिरते मवेशियों के कारण बढ़ा है। लेकिन वह हमारा सोना रोज़ाना जलता जा रहा है और माननीय मंत्री जी ने इतनी लकड़ी के जंगल होते हुये भी केवल २ लाख ५० हजार मन लकड़ी दी है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी गांव में लकड़ी की व्यवस्था की ओर नहीं सोच रहे हैं। बजट में जब जंगल विभाग का अनुदान आया तो माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उस पर हमारे माननीय मंत्री जी ने या उनके विभाग ने जिसका इस विषय से सम्बन्ध है उसने क्या कार्यवाही की, यह नहीं मालूम है और न माननीय मंत्री जी ने इसके विषय में कुछ हमें बताया है। तो उत्पादन और वितरण की किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। मैं समझता हूं श्रीमन्, कि यह कंट्रोल का प्रश्न इस लिये आया कि विभागीय कुछ कर्मचारियों को जीविका देनी है, और उनके काम की सुरक्षा रखने के बाद चोर बाजारी को प्रोत्साहन देना है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को बड़ी खुशी के साथ इस विधेयक को वापस लेना चाहिये। आज माननीय गेंदासिंह जी और जयपाल सिंह जी ने तथा और माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है। माननीय मंत्री जी को उनकी राय की कद्र करनी चाहिये और इस विधेयक को वापस लेना चाहिये।

इस विधेयक के संबंध में चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों में से कुछ ने कहा कि माननीय गेंदा सिंह जी का भाषण असंगत था। उन्होंने कहा कि क्या यह संगत है कि वे हमें हड़ताल की सीख देते हैं। माननीय शिवनारायण जी ने स्वराज्य की चर्चा की और कहा कि वह तो अभी ५,६ बरस का बच्चा ही है अगर उससे कोई गड़बड़ हो ही जाय तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय शिवनारायण जी से यह निवेदन करूंगा कि प्रान्त में इस कंट्रोल के जमाने में यह ५, ६ बरस का बच्चा सारा तेल और नमक खा गया, चीनी खा गया, और मिट्टी के तेल को भी पी गया और आगे आने वाले जमाने में अगर ऐसा ही रहा तो यह बच्चा इस देश के लोगों को ही समाप्त कर जायगा। मान्यवर, आज इस तरह की थोथी दलीलें देने से काम नहीं चलेगा। हमें असलियत में आना चाहिये। जहां तक माननीय फतेहसिंह राणा का प्रश्न है उन्होंने माननीय गेंदासिंह जी की आलोचनात्मक व्याख्या की। मैं उनके संबंध में कोई विशेष बात नहीं कहना चाहता। माननीय फाखरी जी ने जो लांछन लगाया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी लोगों से हड़ताल कराती है, इस लिये उत्पादन का काम नहीं हो पाता और इसके साथ उन्होंने चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का भी जिक्र किया। मैं उनको श्रीमन्, आपके द्वारा बता देना चाहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वर्ग संघर्ष में विश्वास करती है। और ऐसी पार्टी सरकार की दमन नीति के विरुद्ध सत्याग्रह या हड़ताल का आश्रय लेती तो फिर वह अपने ध्येय

से किस प्रकार पीछे जाती है क्योंकि वह तो उसकी घोषित की हुई नीति है। क्या मैं फाखरी जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे उन कारणों पर आज या किसी और दिन प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में अथवा और सरकारी कारखानों में हड़ताल होने का कारण क्या है। क्या उनको यह नहीं मालूम कि सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूर किस प्रकार से सताये जा रहे हैं और वहां के मजदूरों को कम मजदूरी लेने को मजबूर किया जा रहा है। हमारी सरकार जो डेमोक्रेटिक सरकार होने का दावा करती है, देश की हर जरूरत को पूरा करने का दावा करती है उसके लिये यह लाजिमी है कि वह लोगों की रोटी और रोजी की व्यवस्था करे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने गरीबों की रोटी रोजी और घर की व्यवस्था की है। अगर की है तो फाखरी साहब की बात ठीक हो सकती है। लेकिन मेरा दावा है कि इन सात सालों के अन्दर सरकार ने गरीबों की रोटी रोजी की व्यवस्था नहीं की है। आज अखबारों में भले ही निकाल दिया गया हो या आंकड़े कुछ भी दे दिये गये हों लेकिन जहां तक भूखे और नंगों का प्रश्न है वह वैसे ही भूखे और नंगे बने हुए हैं जैसे वे पहले थे। सीख देना आसान है उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं फाखरी जी से अमल करने की गुजारिश करूंगा।

अब मैं कुछ माननीय मंत्री जी से ईटों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि जो ईटें कोआपरेटिव अथवा प्राइवेट भट्ठों के द्वारा बनाई जा रही है, वह शहरों को उजाड़ते चले जा रहे हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चाहे जिस दिशा को ले लीजिये वे शहरों को चारों तरफ से काटते चले आ रहे हैं। सरकार की ओर से इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे पैसे के लालच में ईंटों के भट्टे वाले लोग शहरों को उजाड़ न सकें।

**अधिष्ठाता**—इस प्रकार का कानून हर म्युनिसिपैलिटी में मौजूद है।

**श्री रामेश्वरलाल**—श्रीमन्, कैसा भी कानून हो लेकिन यह सत्य है कि शहरों के पास आज भी ईटों के भट्टे लगे हुए हैं। अगर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी कुछ शहरों के नाम जानना चाहें तो मैं उनको यह बता सकता हूं। इसलिये मेरा कहना है कि इस प्रकार के कानून का सख्ती से पालन होना चाहिये ताकि शहर न कटने पायें।

जहां तक लकड़ी का संबंध है और ईंट के कंट्रोल का संबंध है, मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित है कि अनाज के भाव गिर रहे हैं और लोगों की क्रय शक्ति घट रही है, उसका नतीजा आगे यह अवश्य होगा कि ईंट की खरीदारी जो बढ़ रही थी वह आगे घटेगी और आगे चलकर ईंट की आवश्यकता केवल बड़े लोगों को ही रह जायगी या नियोजन आदि के कामों में ही ईंट की आवश्यकता रह जायगी। इस तरह से जो भट्टे चल रहे हैं उनके सामने एक अव्यवस्था और एक भयंकर परिस्थिति आने वाली है और वह वक्त आयेगा कि जब ईंट नहीं बिकेगी और चिमनियों को बन्द करना पड़ेगा, इसलिये अब होड करने के लिये लोगों को मुक्त किया जाय तो ठीक होगा और लोगों को मनमाने ढंग से ईंट खरीदने की आजादी रहेगी और यह भी हो सकता है कि कंट्रोल दाम से कम पर ही ईंट उपलब्ध होने लगे। इसीलये मंत्री जी को लोगों की इस अड़चन को दूर करना चाहिये ताकि लोगों को कम दामों पर ईंट मिल सके। इस तरह से मैं समझता हूं कि ईंट और लकड़ी वितरण और उत्पादन की अव्यवस्था में कोई अव्यवस्था न होगी। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापस ले लें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

**श्री शिवनाथ काटजू** (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस वक्त इस सदन के सामने जो विधेयक है उस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज कंटीनुएंस आफ पावर्स ऐक्ट जो कि २५ जनवरी सन् ५६ को खत्म हो जाता है उस को २ साल के लिये बढ़ाया जाय। इस पर सदन में कल से काफी वादविवाद हो रहा है और जैसा कि मेरे कुछ माननीय मित्रों ने यहां कहा उन में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं कि जिन का इस बिल से कोई अधिक संबंध नहीं है, लेकिन वह बातें कही गईं। भ्रष्टाचार की बातें भी कही गईं और

[श्री शिवनाथ काटजू]

मेरे मित्र माननीय जयपाल सिंह जी ने हरिजन समस्या पर भी प्रकाश डाला और अभी जो हमारे माननीय मित्र बोल रहे थे उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर भी आक्षेप किया। जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं निवेदन करूंगा कि यह बातें इस से ज्यादा संबंध नहीं रखतीं और खासकर जो सरकारी कर्मचारियों पर आक्षेप लगाया गया वह केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं था बल्कि वह तो मंत्रि मंडल पर भी आता है। यह कहना कि सरकारी कर्मचारियों की ख्वाहिश थी अपने हाथों में ताकत रखने की और अधिकार के लिये उन्होंने मंत्रियों को और मंत्रिमंडल को सुझाव दिया कि इस अधिनियम की मुद्दत २ वर्ष और बढ़ा दी जाय और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वह ऐसे सीधे हैं कि वे अधिकारियों के कहने में इतना आते हैं कि जैसा उन्होंने सुझाव दिया वही उन्होंने कर दिया। ऐसा आक्षेप सदन में लाया जाय, कम से कम मैं तो नम्रता से निवेदन करूंगा कि न तो सदन के लिये यह ज्यादा शोभा देता है और न सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस तरह का आक्षेप करना उचित है।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है वह होता है, दुनिया में गन्दगी भी है और सुगन्ध भी है, फूल भी हैं और नालियां भी हैं लेकिन हमारे माननीय मित्र अगर केवल नालियों की गन्दगी की तरफ तो जायं और जहां बाग में केतकी, गुलाब, जूही और चम्पा आदि की सुगन्ध है वहां न जायं और उस को न देखें तो यह ज्यादा सुन्दर विचार नहीं हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी जिम्मेदारी कुछ न कुछ हम सबकी है। उसको दूर करने का सभी प्रयत्न करते हैं चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हों चाहे हम जो जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां बैठे हुए हैं वे हों। माननीय जयपाल सिंह जी कहते हैं कि केवल उनकी जिम्मेदारी है जो मंत्रिमंडल में हैं।

श्री जयपालसिंह---मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री शिवनाथ काटजू---मैंने आपका भाषण सुना है। खैर, उसको छोड़ दीजिये उसके साथ-साथ माननीय जयपाल सिंह जी यह कहते हैं कि यह चीज ऐसी है जिससे गन्दगी पैदा होती है और फिर उसी के साथ-साथ उन्होंने यह कहा कि इस गन्दगी में हरिजनों को भी ले लीजिये। अगर यह आज गन्दगी से बचे हुए हैं तो क्यों आप उनको इस गन्दगी में डालना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात है वह गन्दगी से बाहर रहें। आप क्यों उनको गन्दगी में घुसाना चाहते हैं? श्रीमन्, इस वक्त प्रश्न एक छोटा सा है कि आज हमें कंट्रोल की जरूरत है या नहीं। मेरे मित्र ने कहा कि बड़े-बड़े आदमियों ने कंट्रोल के कारण बड़े-बड़े मकान बनवा लिये। मैं जानता हूं लेकिन अगर मानलिया जाय कि ब्लैक मार्केटिंग से उन्होंने बड़े-बड़े मकान बनवा लिये लेकिन अगर आज कंट्रोल नहीं रहता तो क्या वे मकान नहीं बनाते ऐसी बेकायदगी से उन्होंने रुपया कमाया तो कंट्रोल न होने पर वे कायदे से और जाब्ते से रुपया कमाते। आज आप अगर ईंट पर से कंट्रोल हटा दें तो ईंट के दाम ६० रुपया हो जायेंगे। तो मुनाफा किसको जायगा? जो बराबर करते हैं, चाहे कोआपरेटिब्ज हो या कोई व्यक्ति हो, उसी को जायगा। व्यक्ति जो लाभ उठायेगा वह उससे मकान बनवायेगा। इस वक्त प्रश्न केवल यह है कि आज हमारे सामने कंट्रोल की मांग कहां तक उचित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक ईंटों का संबंध है वह काफी महत्वपूर्ण चीज है। सदन के सदस्यों को मालूम होगा कि एक हाउसिंग कमेटी सरकार के द्वारा नियुक्त है। उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है और गालिबन वह मंत्रिमंडल के सामने होगी। उस कमेटी ने हमारे प्रांत के मकानों की समस्या की जांच की और अच्छी तरह से उस पर गौर किया और इस निर्णय पर पहुंची कि हमारे शहरों में और कस्बों में मकानों की बड़ी जरूरत है। जहां गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है, कोठियों का प्रश्न नहीं है बल्कि मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी के लोगों का प्रश्न है। अब अगर २५ जनवरी को यह अधिनियम समाप्त हो जाता है तो जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है उसका नतीजा यह होगा कि ईंटें ४० रुपये से ऊपर चढ़ जायेंगी और तब किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? इसका असर होगा कि जो थोड़े बहुत मकान इस वक्त बन रहे

हैं जिन लोगों के पास इतनी समाई है कि वह थोड़ी सी पूंजी से मकान बना लें, वह तब उनकी शक्ति के बाहर हो जायगा। क्या इस सदन के सदस्य चाहेंगे कि जो चीज कंट्रोल से किफायत से मिल सकती है उसको कंट्रोल हटाकर निम्नश्रेणी और मध्यम श्रेणी के लोगों की ताकत के बाहर कर दिया जाय। श्रीमन् यही एक प्रश्न है और जो प्रश्न इसके साथ-साथ और उठाये गये हैं, बड़े का, छोटे का, हरिजन का, सवर्ण का, उन सब बातों का कोई संबंध नहीं है। जो विधेयक आपके सामने रखा गया है, वह एक एनेबिलिंग मेजर है। अधिनियम समाप्त हो रहा है सरकार यह मांग इस सदन के सामने रखती है कि दो वर्ष के लिये उसकी मियाद और बढ़ा दी जाय। हां, अगर इन दो वर्षों में किसी दिन यह स्थिति सामने आयी कि इसकी कोई जरूरत नहीं रहती तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको अपने ऊपर बोझा बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है। और वे नहीं चाहेंगे इसको जारी रक्खें और लागू रक्खें जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी उस दिन यह कंट्रोल और इसके साथ-साथ जो जाब्ता और कानून चलते हैं वे हटा दिये जायेंगे। आज सरकार के पास और बहुत काम है। ईंट और भट्टों को सम्भालने से उसे कोई प्रेम नहीं है लेकिन मजबूरी और आवश्यकता करा रही है और समय की मांग मजबूर कर रही है कि उन चीजों को जो कि प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में हैं समाज और देशवासियों की सुविधा के लिये सरकार अपने हाथ में ले। जिस दिन जरूरत नहीं रहेगी ये नियम वहीं के वहीं रह जायेंगे, लागू नहीं किये जायेंगे। मैं श्रीमन्, निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को जो हमारे सामने है, स्वीकार किया जाय। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि जनता के हित के या किसी के हित के विरुद्ध हो। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—श्रीमन्, सदन के सामने उपस्थित विधेयक पर मैंने अपने माननीय मित्र जयपाल सिंह और रामेश्वरलाल जी के भाषण बड़े गौर से सुने। यद्यपि मेरे आदरणीय मित्र काटजू जी ने उनका समुचित उत्तर दिया है फिर भी मैं अपने विचार इस संबंध में सदन के समने रखना मुनासिब समझता हूं। हम लोग देहातों से आने वाले ईंटों की कठिनाइयों को जानते हैं। जिस क्षेत्र में कोआपरेटिव के भट्टे हैं वहां कितनी सुविधा है और जहां इस प्रकार के भट्टे नहीं हैं वहां कितनी असुविधा है यह प्रत्यक्ष रोज का हमारा अनुभव है। जहां कोआपरेटिव १८,२० और २२ रुपये हजार "ए" "बी" और "सी" क्लास की ईंटें बेचता है वहां जो ईंटें लकड़ी से पकाई हुई होती हैं उनके और कोआपरेटिव के दामों में दूने का अन्तर होता है। अतः कंट्रोल और शहरों की दृष्टि से अगर देखा जाय तो सबको विदित होगा कि जिन्हें लकड़ी के कोयले की आवश्यकता होती है वे जानते हैं कि १० रुपये मन लकड़ी वाला कोयला बिकता है। इसलिये हमारा जहां तक ख्याल है मैं ठीक डेफिनेट तो नहीं हूं लकड़ी के कोयले के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है जैसे कि लकड़ी पर नियंत्रण है। यदि वैसे ही लकड़ी के कोयले पर भी नियंत्रण होता तो शायद १० रुपये मन जो शहरों में लकड़ी का कोयला बिकता है वह न बिकता होता। यह बात तो सही है और हम यह कहते भी नहीं है कि आज सरकारी विभागों से अनाचार या भ्रष्टाचार उठ गया है लेकिन समाज के प्रत्येक स्तर में जिस प्रमाण में अनाचार मौजूद है उसी प्रमाण में सरकार के भी विभागों में अनाचार दीखता है। यदि किसी में ओवर-नाइट विचारों या अनाचार में परिवर्तन नहीं हो सकता जो कल के स्तर के व्यक्ति हैं उनमें अगर अनाचार दिखाई पड़ता है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? अगर हम विशफुली किसी चीज को सोचें तो दूसरी बात है। हमने एक कल्पना की कहानी बना ली वह चाहे अनाचार की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो या कोई भी अवसर आये और कोई भी प्रश्न उपस्थित हो वह कहानी उस जगह पर रख दी जाती है तो इस तरह से न तो अनाचार दूर होता है और न उस समस्या का समाधान होता है जिसके लिये वह कहानी गढ़ी जाती है। इस दृष्टि से यह विधेयक जो सदन के सामने माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है बहुत आवश्यक है और खास कर मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं समाजवादी सदस्यों को इसका विरोध करते हुए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवदत्त मिश्र]

देखता हूं क्योंकि कंट्रोल में चाहे जितनी भी कमियां हों या डिफेक्ट्स हों उन सब कमियों के बावजूद भी अगर कंट्रोल न होता तो साधारण वित्त के जो आदमी हैं उनकी जिन्दगी दूभर हो गई होती। तो अपनी सारी कमजोरियों, खराबियों और बुराइयों के बावजूद भी कंट्रोल ने अगर सबसे बड़ी मदद की है और जीवन-यापन सुविधाजनक बनाया है तो वह साधारण स्तर का आदमी है जिसे हर प्रकार की वस्तु कंट्रोल के अन्दर मिलती रहती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री देवदत्त मिश्र—मैं यह कहा रहा था कि कंट्रोल किसी भी क्षेत्र में हो सबसे ज्यादा सहायक गरीबों का होता है, साधारण स्तर के व्यक्तियों का होता है। मैंने माना कि उसके कार्यान्वित करने में जितनी असुविधायें जितनी सरतायें होनी चाहिये वह नहीं हैं यह मैं मानता हूं। लेकिन वह तो समाज के प्रत्येक स्तर में उसी प्रकार की बात है। इस दृष्टि से कम से कम हमारे पी० एस० पी० के माननीय सदस्यों को इसका विरोध नहीं करना चाहिये। शायद वह भूल गये क्योंकि आदमी सहज ही में भूल जाया करता है। १९४४ में उन दिनों मैं कलकत्ता में रहता था, बंगाल में उस वक्त तक कंट्रोल नहीं हुआ था। जेलों से निकलने के बाद लोगों ने इस बात का आन्दोलन किया कि कंट्रोल कपड़े के ऊपर बहुत आवश्यक है क्योंकि उस समय सेन गुप्ता का जोड़ा ५० रुपये में मिलता था। तो आन्दोलन करके कंट्रोल लाया गया। हमारे माननीय मित्र ने गांधी जी की बात कही। गांधी जी के जीवन में ही कंट्रोल उठा था और उनके जीवन ही में फिर लाने की स्थिति पैदा की गयी। तो आदर्श में कोई बात कहना बहुत सहज है। किन्तु व्यवहार की कसौटी में उसको कसना दूसरी बात है। महात्मा जी भी कंट्रोल के विरुद्ध थे। और उन्होंने कंट्रोल लगाने पर उसका विरोध किया। चूंकि महात्मा जी ने उसके विरोध में कहा इसलिये उस कंट्रोल को उठा लिया गया। लेकिन उठते-उठते जो स्थिति हो गयी, आखिर गांधी जी के जीवन काल ही में वह कंट्रोल दोबारा फिर लाना पड़ा। तो मैंने जैसा कहा कि ईंटों की जो समस्या है शहरों में जलाने की लकड़ी की जो समस्या है, इन समस्याओं को देखते हुए यह बहुत आवश्यक है कि यह विधेयक सदन स्वीकार करे।

कुछ बातें चुर्क फैक्ट्री और दूसरे इस से संबंधित बातें जो इस सदन के सामने इसके दौरान में लायी गयीं, पता नहीं कि चुर्क फैक्ट्री में हड़ताल हुई या नहीं हुई। ५ जनवरी को जैसा कि हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने नोटिस दी थी। किन्तु हो भी तो, हड़ताल होना ही इस बात की गवाही नहीं देता कि इसलिये यह चीज लाजमी है या आवश्यक है। आज तो हड़ताल इंजीनियर की जाती है, करायी जाती है। यह बात सही है कि उन लोगों की बात उनको ज्यादा अपील करती है जो हड़ताल कराने वाले होते हैं। और हड़तालों के इतिहास की माननीय सदस्य पुनरावृत्ति न करायें। ऐसे-ऐसे हड़तालो नेता हुए हैं जिन्होंने एम्प्लायर्स से हजारों की थैलियां ली हैं। जब इम्प्लायर का इंटरेस्ट रहा, उस ने कहा कि हड़ताल करा दो ताकि उसके गैदा किये हुए माल की चार-पांच गुना कीमत उसको बाजार में मिल जाय, तो हड़ताल करवा दी, और जब इंटरेस्ट पूरा हो गया तो तुड़वा दी। यह बड़े-बड़े कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नेताओं ने किया है। यह हड़तालों का इतिहास हमारे सामने रखा हुआ है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—कांग्रेसियों ने किया, भाई।

श्री देवदत्त मिश्र—हमारे माननीय मित्र, खैर अगर यह कहते हैं तो वह यह दावा तो नेमान लेते हैं कि मजदूरों का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है। आपका तो दावा है कि मजदूरों का तृत्व कांग्रेस के हाथ में है ही नहीं। अगर ऐसी बात मल्ल जी कहते हैं तो इसका तो अर्थ यह होता है कि वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि मजदूरों का नेतृत्व कांग्रेस ही करती है।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**--इसी कारण तो कांग्रेस को छोड़ दिया मजदूरों ने।

**श्री देवदत्त मिश्र**---तो हमारे माननीय मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि कांग्रेस ने किया। खैर, यह तो कहने की बात है। लेकिन इतिहास की बात हमारे और आपके कहने से मेटी नहीं जा सकती है। यह तो आज २५ सालों का हड़ताल का इतिहास इस बात की गवाही है कि हड़तालें किस तरह से करायी जाती हैं और कैसे होती हैं। यह बात सही है। बहुत सी हड़तालें ठीक-ठीक मिल मालिकों की या पूंजीपतियों की नीति के कारण होती हैं किन्तु आज हमारे देश की जो वास्तविक स्थिति है उसमें अगर हड़ताल हुई तो उससे मिल मालिकों या पूंजीपतियों का क्या बिगड़ता है सिवाय इसके कि हो सकता है कि एक परसेंट या दो परसेंट उनका नुकसान हो किन्तु इन हड़तालों की वजह से सामान्य जनता का कितना नुकसान होता है, उसको कितनी क्षति होती है, क्या कभी हमारे माननीय मित्रों ने इस बात पर गौर किया? आज प्रत्येक क्षेत्र में जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जा रही है उससे देश की सम्पन्नता और देश की सम्पन्नता का अर्थ है ८० फीसदी वह लोग जो आज गरीब हैं जिनके पास दोनों वक्त खाने के पूरे साधन नहीं है जैसा कि वह बार-बार कहते हैं तो यह हड़तालों के द्वारा उत्पादन को घटाकर उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और मैं यह कहूंगा कि आज जो हड़तालें कराते हैं वह जनसाधरण के मित्र नहीं हैं बल्कि वह उनके दलाल हैं जिसके नाम पर यहां पर शाप देते हैं, उन्हीं पूंजीवादियों के और मिल मालिकों के वह एजेंट्स हैं जो इस तरह की हड़तालें कराते हैं। इसमें वह देश का अहित, जनसाधारण का अहित और उस वर्ग का हित साधन करते हैं जिस वर्ग का हित इस बात में है कि हमेशा उत्पादन को वह नियंत्रित करता रहे अपनी आवश्यकता के अनुकूल, देश की आवश्यकता के अनुकूल नहीं।

तो इस दृष्टि से यह छोटा सा विधेयक जो आपके सामने उपस्थित है माननीय काटजू जी ने जैसा बतलाया ५६ की जगह ५८ भर करना है और उससे मध्यम श्रेणी के लोग, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको जलानेवाली लकड़ी की समुचित व्यवस्था रहेगी जैसी कि आज है और मैंने आपसे कहा कि लकड़ी के कोयले पर कंट्रोल नहीं है वह दस रुपये और १२ रुपये मन बिकता है, यह तो प्रत्यक्ष की बात है कोई कल्पना की बात नहीं। तो मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, कंट्रोल समाजवादी राज्य को सफल बनाने का कार्यक्रम है।

**अधिष्ठाता**---यों कहिये कि सबसे बड़ा सिद्धांत है।

**श्री उमाशंकर**---अच्छी बात है। हमारी सरकार किस तरह से जबानी कह देती है कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी जैसी व्यवस्था चाहते हैं, जैसे कोई कहे कि हम सोने जैसा सामान देंगे चाहे हो पीतल का ही मगर सोने जैसा बनाने के लिये उसको बड़ा सामान जुटाना होगा उसी तरह नकली समाजवादी व्यवस्था बनाने के लिये नकली कंट्रोल भी रखना होगा। कहना तो अपने को समाजवादी और काम बिलकुल हिटलरवादी। यह कंट्रोल हिटलरवादी कंट्रोल है। किसी ने कहा कि हिटलर तो चला गया, मगर जो वह दे गया है वह सरकार ने ले लिया। कहा जाता है कि ईंट जो गांव में सुविधा से मिल सके मकान वगैरा बनाने के लिये, उसके लिये कंट्रोल की जरूरत है। अच्छा तो हिसाब कई बार दिया गया है सदन में, आज भी मैं दे सकता हूं। १५ टन कोयला से एक लाख ईंट तैयार होती है।

**अधिष्ठाता**---मेरे खयाल से २० टन में तैयार होती है।

श्री उमाशंकर—लेकिन मैं बताऊं कि कुछ भट्टे ऐसे हैं कोआपरेटिव के जिन्होंने मेरे पास लिख कर भेजा ह कि १५ रुपया हजार में उनका ईंटा पड़ा है। हां, पहला भट्टा जो लगाया गया वह २० टन में था, फिर उसके बाद खर्चा कोयला १५ टन होता है। कोआपरेटिव के भट्टे का हिसाब आपके पास है। इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। हिसाब मंत्री जी मंगा लें। जहां कोआपरेटिव में काम ठीक से होता है वहां से उनके पास हिसाब आ जायगा कि १५ रुपये हजार में ईंट पड़ रही है। मैंने हिसाब लगाकर देखा है। मगर सरकार की एक खूबी है जहां ऐसा हुआ है वहां उनके मैनेजर साहब भी मौत्तिल जरूर हुए हैं। क्यों? मैंने बताया कि कोआपरेटिव सोसाइटियां अफसरों की चरागाह बनी हुई हैं। जब जरूरत पड़ी पैसे की, तो कभी यह ख्याल नहीं किया जाता है कि यह कोआपरेटिव है, शेयरर लोगों को कुछ मिलना चाहिये। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो चन्दा उनसे लो, थैली दी गयी, माला पहनाई गयी है, हर रूप से पैसा वसूल करो। उसमें भी आज २४-२५ रुपये हजार का ईंटा मिल रहा है। क्या यह कंट्रोल है? क्या इसको कंट्रोल कहते है? कंट्रोल का मतलब यह है कि आप सुविधा से कोई चीज मिले। लेकिन यहां तो ड्यौढ़े और दूने की कीमत ली जा रही है। कहां सुविधा है? यह पूंजीवादी कंट्रोल हुआ या नहीं? और अगर शेयरर लोगों को भी सुविधा मिल जाती तो भी संतोष किया जाता कि गरीब १०–१० रुपये के जो शेयरर हैं उनको कुछ पैसा, कुछ रिआयत मिली है, पर उनको तो निबुआ-नोन चाटने को मिलता है। जिसने शेयर खरीदा है, वह समझता है कि यह चन्दे का रुपया है जो दिया है, वह तो गया। यह मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटियां उस समय बनी थीं जबकि कोयले और राशन पर कंट्रोल था। आप हिसाब मंगा कर देखिये कि १० रुपये के शेयरर को कितना मुनाफा मिला है। मैं जानता हूं कि एक पैसा नहीं दिया गया। उसका १० रुपया भी वापस नहीं गया है, वह पड़ा हुआ है। आपने नमक पर कंट्रोल किया था दो-एक मिसाल आपको दे दूं। सहारनपुर में एक साहब नमक के इम्पोर्टर थे। उन्होंने ब्लैकबाजारी करके १० लाख रुपया कमाया और उसमें जब इनकमटैक्स का सवाल आया, जांच होने लगी तो वह कहीं हिसाब लेकर छिप गये। ऐसा हुआ कि ८ दिन का मौका उन्हें मिला कि जिसमें वह अपनी आमदनी जाहिर कर दें तो उनकी मदद की जा सकती है, यह सरकार की बात है। इस सरकार का आश्वासन मिलने पर वह निकले और ४ लाख रुपया अपनी आमदनी उन्होंने मंजूर की और कबूल किया।

अधिष्ठाता—इस तरह की बातचीत सदन में न हो।

श्री उमाशंकर—तो ४ लाख रुपया उन्होंने कबूल किया और मैं आपको बताऊं जरा सुनिये नैतिक पतन की बात। जब यह साबित हो गया कि यह भाग गया था और इसने ब्लैक मार्केटिंग में रुपया कमाया है। चार ही लाख अगर कमाया है तो भी वह ब्लैक का ही रुपया तो कहलायेगा। मगर आज भी उनको पाकिस्तान से हिन्दुस्तान नमक मंगाने का इम्पोर्टर बनाया गया। आप बताइये कि जिस आदमी ने उन्हें पाकिस्तान से नमक भेजने का लाइसेंस दिया होगा, वह बढ़िया आदमी होगा। उसकी नीयत पर मुझे तो शक नहीं है, लेकिन सड़क पर जो आदमी चलता है उसने जब सुना कि जो ब्लैक मार्केटियर था, जिसकी नमक के बारे में जांच हो रही थी उसी को पाकिस्तान से नमक मंगाने के लिये लाइसेन्स दिया गया है तो जिसने उसको लाइसेन्स दिया है उसके बारे में वह राही क्या सोचेगा? चोर के रिश्तेदार अगर हम हों तो क्या हमको कोई साहु कहेगा? जनाब आप बड़े महात्मा होंगे, आपका लड़का अगर चोरी करता होगा तो उसको बचाने की आप कोशिश नहीं करते होंगे लेकिन हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो पहले ही कह देते हैं कि चोरी करना बुरा है, चोरी न करो वरना हमें बचाना होगा। मगर मैं चाहता हूं कि आपका काम आम जनता के लिये हो, आपकी ओर लोग उंगली न उठायें। मै आजमगढ़ की भी कई मिसालें दे सकता हूं, सूबे के प्रत्येक जिले की मिसाल मैं दे सकता हूं कि नमक पर कंट्रोल था लेकिन खुले आम ब्लैक मार्केटिंग हुई है और पंडित देवदत्त जैसे लोग उनसे चन्दा वसूल करते रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र--मैं.....

अधिष्ठाता--माननीय देवदत्त जी, अगर आप कहते हैं तो फिर सुनने की भी क्षमता आप में होनी चाहिये।

श्री देवदत्त मिश्र--श्रीमन्, मैंने किसी व्यक्तिगत रूप में ऐसी बात नहीं कही थी जैसी कि वह कह रहे हैं।

अधिष्ठाता--उनका मतलब दूसरा है। उनका मतलब आप से नहीं है।

श्री उमाशंकर--माननीय सदस्य ने कहा है कि जो लोग मिलों में हड़ताल कराते हैं वे गद्दार हैं।

अधिष्ठाता--माननीय उमाशंकर जी बैठ जायं।

श्री देवदत्त मिश्र--मैं चैलेन्ज करता हूं कि यदि वे यह साबित कर दें कि किसी भी ब्लैक मार्केटियर या उस प्रकार के लोगों के यहां मैं चन्दा मांगने गया हूं तो मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा और अगर वह न साबित कर सकें तो उनको हमारी पार्टी में चले आना चाहिये।

अधिष्ठाता--मैं देवदत्त मिश्र जी से कहना चाहता हूं कि उमाशंकर जी का यह कहना आपके ऊपर आक्षेप करना नहीं था। उनके कहने का मतलब दूसरा था कि जिस पार्टी को वह बिलांग करते हैं उस पार्टी के लोगों ने जाकर चन्दा मांगा।

श्री उमाशंकर--मैं कोई आपके बारे में जानता थोड़े ही हूं। मैंने तो एक मिसाल दी है।

अधिष्ठाता--कोई पर्सनल बात उमाशंकर जी ने नहीं कही।

श्री उमाशंकर--एक सदस्य हैं उन्होंने कहा कि जो लोग हड़ताल कराते हैं वे मुल्क के गद्दार हैं। मैं कहता हूं कि यह आप मानते ही हैं कि श्रम असली चीज है। तो आपके मतानुसार जो लोग उस श्रम का असली मूल्य नहीं देते वे चोर नहीं हैं और जो लोग कहते हैं कि श्रम का पूरा मूल्य न मिलने के कारण मैं काम नहीं करूंगा उनको आपने बता दिया कि गद्दार हैं। यह सरकार है जिसे आप समाजवादी ढंग की कहते हैं।

दूसरी बात लकड़ी की कही गयी। आप यह नहीं जानते हैं कि आज भी शहरों में लकड़ी ढाई रुपये मन बिक रही है। गल्ले का भाव आपने क्या रखा है, इस पर आपने ख्याल किया? इसी तरह से आप हर कंट्रोल उस आदमी के लिये करते हैं जो काम नहीं करता है, जो बैठ कर तरजुई लेकर यहां से माल वहां और वहां से माल यहां करता है। आप का कंट्रोल मजदूरों के लिये नहीं है, किसानों के लिये नहीं है। कहते आप यह हैं कि हम मजदूरों के लिये कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती हैं मगर ईंटें पाथने वालों को झोपड़ी भी नहीं मिल पा रही है। आप अपने को समाजवादी मानते हुए भी तो श्रम के मूल्य को नहीं मानते। जो काम करते हैं उनको खराब से खराब खाना भी नहीं मिलता है और बैठे खाली जो सेक्रेटेरियट की कुर्सियां तोड़ते हैं और जो शहरों में गद्दे तोड़ते हैं, उनके खाने-पीने का तथा उनके लड़के-लड़कियों के पढ़ाने-लिखाने का सारा सामान मौजूद किया जा रहा है। हमारे संविधान में रखा है कि कुछ हद तक दस साल में पढ़ाई लिखाई मुफ्त कर दी जाय। लेकिन आपने यह सब शहर के लिये किया है और देहात के रहने वालों के लिये क्या किया है? इस प्रकार से यह कंट्रोल दो वर्ष का रख कर आप चाहते हैं कि शहरों के ब्लैक मार्केटियर्स को दो साल तक और मुनाफा दे दिया जाय, चाहे दो वर्ष की भी आपकी उनकी जिन्दगी न हो लेकिन आप चाहते हैं कि अपने बाद भी अपने भक्तों को कुछ मिलता रहे इस तरह से उनको

[श्री उमा शंकर]

बढ़ावा समाजवाद के नाम पर दे रहे हैं। हम बड़े परेशान हैं जितने ब्रह्मचारी हुए हैं आज के जमाने में माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे गुप्ता जी ने अपने पर कंट्रोल कर लिया है। जितने लोग ऐसे हैं उनको दूसरों के हलाल करने में जरा भी दया नहीं आती है जो उनके फर्माबर्दार है उनका बाल वह सुता है। आज कल ऐसे हा ब्रह्मचारी हैं, उनसे क्या फायदा है जनता को ? आपके बाल बच्चे हैं, आप दूसरों के बाल-बच्चों को तकलीफ देने में झिझकेंगे और आपको परेशानी होगी। लेकिन जिसके बाल-बच्चे नहीं वह पराई पीर क्या जाने, वह बच्चों का दर्द क्या जानें इसलिये यह आज हमारी हालत हो रही है, कंट्रोल में। लकड़ी का कंट्रोल तो ढाई रुपये, पौने तीन रुपये मन है और उधर ऊख मिट्टी के मोल बिक रही है, उसका कोई पुरसां हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इन कंट्रोल वालों से हमारे कई साथियों ने बतलाया है कि कंट्रोल गरीबों का प्राण है, यह कंट्रोल तो गरीबों के प्राण लेने वाला है। यह कंट्रोल और है जो गरीबों के पास सामान पहुंचाता है। आपके कंट्रोल में बिना कफन के मुर्दा फुंकता है। किसी अमीर का भी मुर्दा बिना कफन के फूंका गया है ?

**अधिष्ठाता**—उमाशंकर जी से कहना है कि समय बहुत थोड़ा रह गया है।

**श्री उमाशंकर**—मैं सही बात बतलाता हूं, कंट्रोल का जमाना था। एक कांग्रेसी साहब थे। जनता बैठी हुई हाय हाय नमक के लिये कर रही थी और कह रही थी कि नमक दिलवा दो बाबा। उन्होंने कहा कि नमक तो नहीं मिलेगा। (ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको कहने में मुझे शर्म लगती है)। उनसे मैंने पूछा, उस समय मैं कांग्रेस में था, आपने क्यों कहा ? उन्होंने कहा कि मेरे नाक में दम आ गया था। मेरे जमाने में तो जितनी दरख्वास्त आती थीं बावजूद आपके कलेक्टर साहब के जिद करने पर, मैं कह देता था कि दे दो, कोई फाजिल क्यों खरीदेगा। कुछ लोग थे जो आज उसी में पड़े हुए उसी संडास को सूंघ रहे हैं। आपका कंट्रोल गरीबों के लिये नहीं है आप प्रदेश की जनता की जान छोड़ दीजिये और इस बिल को वापस ले लीजिये।

**नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)**—माननीय अधिष्ठाता जी, कल से इस प्रस्तुत विधेयक पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनमें से कुछ माननीय सदस्यों ने कंट्रोल का विरोध किया है। वह चाहते हैं कि कंट्रोल को तोड़ कर ग्रामीण जनता को जो सुविधायें आज प्राप्त हैं, उनको भी समाप्त कर दिया जाय और उन कठिनाइयों को फिर से कायम कर दिया जाय। किन्तु जहां तक मैंने सदन के उन माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है जिन्होंने इसके सिद्धान्त को स्वीकार किया है और इस विधेयक की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी ने इसकी अच्छाइयों पर प्रकाश डाला है। कल माननीय विरोधी दल के नेता श्री गेंदा सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये उनको देखते हुए आज उनकी पार्टी के सदस्यों के विचारों को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कल सिद्धान्त रूप से कंट्रोल का समर्थन किया था और उन्होंने यहां तक कहा था कि बजाय दो साल के एक साल के लिये कंट्रोल होना चाहिये। जब विरोधी दल के नेता इस चीज को स्वीकार करते हैं कि एक ही साल के लिये कंट्रोल होना चाहिये उससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि वह कंट्रोल के सिद्धान्त से सहमत हैं, फिर समझ में नहीं आता कि श्री उमाशंकर जी, श्री रामेश्वर लाल जी उसके विरोध में, उनके समर्थन करने पर भी, कंट्रोल का विरोध करें। यह कैसे ? यह बात कुछ कम समझ में आती है। एक बात और मुझे सुनने को मिली जो श्री जयपाल सिंह जी ने कही। उन्होंने सहकारी समितियों में भी करप्शन का उल्लेख किया है और वह भी कहां, ? जहां के वह स्वयं रहने वाले हैं, सहारनपुर के जिले में। सहकारी समितियों का संगठन गांव के लोगों के जरिये होता है। वही लोग उनका संगठन करते हैं और उनके द्वारा जो भी कार्य

होता है, उसका वही लोग संचालन करते हैं। फिर समझ में नहीं आता कि वह अपने आपस में करप्शन करें और उनमें आपस में ही भ्रष्टाचार हो। यह बात समझ में कम आती है और यदि वह बुराई किसी हद तक उस सहकारी समिति में या उसके कार्यकर्ताओं में या उससे सम्बन्धित व्यक्तियों में घर भी कर गई हो तो माननीय सदस्यों को, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, बजाय इसके कि उसकी शिकायत वह सदा लायें और अपने आप उस दिशा में कोई प्रयत्न न करें। तो यह बात बड़ी आश्चर्यजनक मालूम पड़ती है। हम सभी लोग सहकारी समितियों से संबंधित हैं और हम सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि हम जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करने का प्रयास करें। अगर हमने जनता का नैतिक स्तर ऊंचा करने का कुछ भी प्रयास किया तो जो बुराई उनको आज देखने को मिलती है वह बुराई अपने आप समाप्त हो सकती है। इस तरह से भ्रष्टाचार की बातें करना और अगर कहें भी तो कोई दृष्टान्त हो, उदाहरण हो कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया और उसके खिलाफ उन्होंने इस तरह की कार्यवाही करने को कहा और वह कार्यवाही नहीं हुई, तो कोई बात है, लेकिन खाली कंट्रोल के नाम से भ्रष्टाचार का उल्लेख करना कोई समझ में आने वाली बात नहीं है और वह समझ में आ भी नहीं सकती।

कल मेरे कुछ मित्रों ने और आज भी, नमक के सिलसिले में कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि नमक पर गांवों में बड़ी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और वह दो आने सेर और ९ पैसे सेर बिक रहा है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि १९५५ के प्रारम्भ में सरकार ने एक जोनल स्कीम तैयार की और उस जोनल स्कीम के तहत जिलों को जो नमक के सोर्सेज कुछ जिलों को उनसे अलग लगा दिया और वहां से वह जिले सीधे नमक मंगा सकते हैं। वह इस तरह से है जो मैं बता देना चाहता हूं। इस समय जो कंट्रोल है वह सिर्फ १४ जिलों में है। १४ जिले जो कि सांभर लेक से लगे हुए हैं उनमें कंट्रोल है और केन्द्रीय सरकार का यह ख्याल है कि अगर और सोर्सेज से जो जिले लगे हुए हैं, वहां कामयाबी हुई डिकंट्रोल में, तो केन्द्रीय सरकार इन १४ जिलों में भी डिकंट्रोल करने के प्रश्न पर विचार करेगी। अब आप यह कहें कि साहब इसमें ब्लैक मार्केटिंग हुई है तो क्या चारा है। डिकंट्रोल किया जाय तब भी आपको ब्लैक मार्केटिंग नजर आती है और बुराई नजर आती है और कंट्रोल करके सही वितरण किया जाय तो भी आपको उसमें बुराई नजर आती है। तो यह दोनों चीजें परस्पर एक दूसरे की विरोधी कैसे चल सकती हैं और इन पर जरा आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मैं आपको बताता हूं कि कौन-कौन जिले किस-किस सोर्स से लगे हुए हैं। सांभर लेक से १४ जिले लगे हुए हैं। इसी तरह से आपके २४ जिले जहां पर इस समय कंट्रोल नहीं है खरगोडा से लगे हुए हैं और ७ जिले आपके ध्रांगधरा से लगे हुए हैं। इसी तरह से आपके ६ जिले कान्डला से लगे हुए हैं और बम्बई सोर्स से आपके ४ जिले लगे हुए हैं। इस तरह से नमक इन जिलों में आता है और इस तरह से यह व्यवस्था की गयी है।

अब लकड़ी का सवाल हमारे सामने आता है जिसके विषय में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लकड़ी मिलती नहीं है, और शहरों में तो उसका भाव २।। रुपये मन है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब से जमींदारी समाप्त हुई उसके फौरन बाद ही उनके अपने जो जंगल थे उनको कटवा दिया गया और वह जंगल धीरे-धीरे समाप्त हो गये। जो लकड़ी पहले मिला करती थी वह अब मिलनी मुश्किल हो गयी। दूसरी बात यह है कि जो लोग कोयले से काम करते थे, साफ्ट कोक से काम चलाते थे उस कोयले का भी इस समय अभाव है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया था कि कोयला आता तो है लेकिन बड़ी मुश्किल से आता है। जितनी यहां की मांग है वह पूरी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से लकड़ी जो जमींदारी

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

फारेस्ट से मिला करती थी, उसमें कमी हो गयी। कोयला पूरा नहीं पहुंच पाता है तो क्या फिर लकड़ी उन शहरों में जहां पर इसकी आवश्यकता है, वह दे पायेंगे? इस वजह से आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी? अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो जनता की असुविधा बढ़ सकती है। मैं आपको यह भी बताऊं कि कुछ शहरों को हम लकड़ी सप्लाई करते हैं और इसके अतिरिक्त आप देखें कि हमारे यहां कंट्रोल से लकड़ी सप्लाई होती है और हम दूसरे सूबे को भी सप्लाई करते हैं। दिल्ली को सप्लाई करते हैं। फौज को सप्लाई करते हैं और छोटी इंडस्ट्री को भी सप्लाई करते हैं और शुगर मिल्स को भी सप्लाई करते हैं। और जैसे अभी पिछले दिनों बाढ़ आयी थी तो उन पूर्वी जिलों को भी हमने लकड़ी सप्लाई की। देवरिया और गोरखपुर को हमने १७० वैगन सप्लाई की। इसी प्रकार और जिलों को भी लकड़ी दी गयी। तो अगर इस तरह से कंट्रोल न हो तो फिर यह लकड़ी कैसे सप्लाई की जा सकती है उन शहरों को? और फिर एक बात और है, सब से बड़ी कठिनाई ट्रान्सपोर्ट की है। वैगन्स नहीं मिलती है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया। अगर आज लकड़ी के ऊपर से कंट्रोल हटा दिया जाय तो साधारण लोगों को वैगन्स मिलना बड़ा मुश्किल हो जायगा और उनको वैगन्स नहीं मिल सकती है क्योंकि यह तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है और यहां से लिखा जाता है, गवर्नमेंट आफ इंडिया को कि वैगन्स को प्रायोरिटी होनी चाहिये ताकि हम उन शहरों को लकड़ी पहुंचा सकें जिन शहरों में लकड़ी की आवश्यकता है। इन शहरों में सप्लाई करना मुश्किल हो जायगा अगर इस कंट्रोल को हटा दिया जाय। तो इसमें यह कठिनाई पैदा हो सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर डि कंट्रोल के पक्ष में कहीं हैं, उनके सामने पूरी स्थिति नहीं थी। इसलिये उन्होंने इस बात को कहा है। नहीं वह भी हमारी बात का समर्थन करते जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने हमारे इस विधेयक का समर्थन किया है।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं और वह यह है कि कुछ बातें यहां पर ऐसी कही गयीं जो कि इस विधेयक की सीमा के बाहर थीं। उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा और माननीय काटजू साहब ने और माननीय राजा साहब ने भी विस्तृत रूप से बताया कि इस बिल का मन्शा तो सिर्फ ईंट और लकड़ी से है। चूंकि सीमेन्ट फैक्टरी की बात कही गयी कि सीमेन्ट का उस फैक्टरी में उत्पादन बहुत कम हो रहा है और दिसम्बर में बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं फिगर्स के द्वारा यह बता सकता हूं कि किस प्रकार वहां उत्पादन होता है। जो लोग वहां हड़ताल को आर्गेनाइज करते हैं और मजदूरों को काम में रुकावट डालने के लिये प्रोत्साहित करते हैं, उसकी जिम्मेदारी उन पर है। वहां जितने दिन काम होता है उतने दिन बराबर उत्पादन होता है और उसके अन्दर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं है। इन चन्द बातों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और जैसे माननीय मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त कर ही दिये हैं। मुझे आशा है कि यह माननीय सदन इस विधेयक को स्वीकार करके सरकार को इसके अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटिन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स, (संशोधन) अधिनियम, १९५५ द्वारा संशोधित हुआ है, की धारा २ में संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५८" कर दी जाय। यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३ को जारी रखना। यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९५५।

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को आगे जारी रखने का

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७।

विधेयक

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विहित ( re-enact ) हुआ था तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स, (संशोधन) अधिनियम, १९५५ जारी रखा गया था, २५ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९४७। यू० पी० ऐक्ट सं० २२, १९५३। यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९५५।

और उक्त ऐक्ट को रखने की व्यवस्था करना आवश्यक है :

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री बलदेवसिंह आर्य**--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कंटीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ४ बज कर ४५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
१० जनवरी, १९५६ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

### ३१ मार्च तक बने चालू राजकीय नलकूपों की सूची

| जिले का नाम | | १९५२ | १९५३ | १९५४ | १९५५ | नवम्बर, १९५५ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १—सहारनपुर | .. | १३ | १३ | ३२ | ११२ | ११७ |
| २—मुजफ्फरनगर | .. | १३९ | १४४ | १४५ | १४६ | १४६ |
| ३—मेरठ | .. | ३६६ | ३८३ | ३८८ | ३९३ | २९३ |
| ४—बुलन्दशहर | .. | ३३० | ३४३ | ३४४ | ३४४ | ३४७ |
| ५—अलीगढ़ | .. | २०८ | २३४ | २९८ | ३१७ | ३२९ |
| ६—एटा | .. | ३६ | ४३ | ४३ | ८२ | ११८ |
| ७—मैनपुरी | .. | — | — | — | ११ | २९ |
| ८—फर्रुखाबाद | .. | — | — | — | ७४ | ११८ |
| ९—बिजनौर | .. | १८९ | १९२ | २०५ | २०६ | २०८ |
| १०—बदायूं | .. | ४०० | ४१० | ४१२ | ४१२ | ४१७ |
| ११—मुरादाबाद | .. | ५६३ | ५६३ | ५६४ | ५६४ | ५६५ |
| १२—बरेली | .. | ६३ | ६४ | ६४ | ६४ | ७१ |
| १३—शाहजहांपुर | .. | — | १३ | ५५ | ५५ | ५५ |
| १४—सीतापुर | .. | — | ३२ | ४७ | ४७ | ४८ |
| १५—खीरी | .. | — | ३५ | १४८ | १४८ | १४८ |
| १६—फैजाबाद | .. | — | ३४ | ११६ | ११६ | १६८ |
| १७—गोंडा | .. | — | — | ३० | ३० | ३० |
| १८—आजमगढ़ | .. | — | २ | ३८ | ७० | ९५ |
| १९—गाजीपुर | .. | — | १ | ३ | ३८ | ४७ |
| २०—बलिया | .. | — | १ | ३ | ३० | ३६ |
| २१—गोरखपुर | .. | २२ | २२ | ३५ | ७५ | ८३ |
| २२—देवरिया | .. | २७ | २९ | ५५ | ७४ | ८७ |
| २३—बस्ती | .. | ३७ | ५२ | ८३ | १४५ | १६४ |
| २४—सुल्तानपुर | .. | — | — | — | २० | ४० |
| २५—जौनपुर | .. | — | — | ४ | १६ | ३० |
| २६—बनारस | .. | — | १ | २२ | ९८ | १२४ |
| २७—नैनीताल | .. | — | — | — | १५ | १६ |
| २८—कानपुर | .. | — | — | — | — | ४ |
| २९—आगरा | .. | — | — | — | — | १ |
| ३०—लखनऊ | .. | — | — | — | — | २ |
| ३१—मिर्जापुर | .. | — | — | — | — | ११ |
| ३२—इलाहाबाद | .. | — | — | — | — | ३ |
| ३३—बहराइच | .. | — | — | — | — | २ |
| ३४—बाराबंकी | .. | — | — | — | — | ४ |
| | | २,३९३ | २,६११ | ३,१३४ | ३,६९८ | ४,०५६ |

मार्च, १९५२ तक बने राजकीय नलकूपों की संख्या २३९३।

नवम्बर, १९५५ तक बने नलकूपों की संख्या ४०५६।

अप्रैल, १९५२ से नवम्बर, १९५५ तक बने नलकूपों की संख्या १६६३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर)

| जिले का नाम | | तैयार नलकूपों की संख्या जहां बिजली नहीं लगी है |
|---|---|---|
| मेरठ | .. | १६ |
| बुलन्दशहर | .. | १० |
| एटा | .. | ११ |
| मैनपुरी | .. | ३२ |
| फर्रुखाबाद | .. | ११ |
| बदायूं | .. | ३ |
| लखनऊ | .. | ९ |
| फैजाबाद | .. | ५९ |
| सुल्तानपुर | .. | १८ |
| बाराबंकी | .. | ३ |
| गोरखपुर | .. | २५ |
| देवरिया | .. | ३६ |
| बहराइच | .. | ४० |
| गोंडा | .. | १ |
| आजमगढ़ | .. | २२ |
| गाजीपुर | .. | ६ |
| बलिया | .. | २१ |
| मथुरा | .. | १ |
| इलाहाबाद | .. | ५ |
| बनारस | .. | २७ |
| जौनपुर | .. | १९ |
| मिर्जापुर | .. | ९ |
| | | ३८४ |

सत्यमेव जयते

## नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

## स्थानीय निकायों की सूची जिनमें कूड़े व मैले (नाइट स्वायल) से खाद तैयार की जाती है

| नगर पालिका | टाउन एरिया | नोटीफाइड एरिया | जिला बोर्ड |
|---|---|---|---|
| १—उन्नाव | १—पुरवा (उन्नाव) | १—बिलसी (बदायूं) | .. |
| २—जौनपुर | २—झिझाना (मुजफ्फरनगर) | २—ककराला (बदायूं) | .. |
| ३—बदायूं (बदायूं) | ३—चाहेरपुर (देहरादून) | ३—कोटद्वारा (गढ़वाल) | .. |
| ४—सहसवान | ४—खैर (अलीगढ़) | ४—दोगड्डा (गढ़वाल) | .. |
| ५—उझानी | ५—टून्डला (आगरा) | ५—काबला (मुजफ्फरनगर) | .. |
| ६—मुजफ्फरनगर | ६—अछनेरा (आगरा) | ६—करवी (बांदा) | .. |
| ७—शामली(मु०नगर) | ७—जगनेर (आगरा) | ६—नान पारा (बहराइच) | .. |
| ८—रायबरेली | ८—फतेहाबाद (आगरा) | ८—रामनगर (नैनीताल) | .. |
| ९—बस्ती | ९—शमशाबाद (आगरा) | ९—मुगलसराय (बनारस) | .. |
| १०—सीतापुर | १०—बाह (आगरा) | १०—सरधना (मेरठ) | .. |
| ११—गाजीपुर | ११—पिनहट (आगरा) | .. | .. |
| १२—मथुरा (मथुरा) | १२—कंकर खेरा (मेरठ) | .. | .. |
| १३—बृन्दावन मथुरा | १३—मोदीनगर (मेरठ) | .. | .. |
| १४—कोसी कलां | १४—फरीद नगर (मेरठ) | .. | .. |
| १५—शाहजहानपुर | १५—माधौगढ़ (जालौन) | .. | .. |
| १६—तिलहर (शाहजहांपुर) | .. | .. | .. |
| १७—लखीमपुर खेरी | .. | .. | .. |
| १८—गोलागोकरननाथ (खेरी) | .. | .. | .. |
| १९—इलाहाबाद | .. | .. | .. |
| २०—जालौन | .. | .. | .. |
| २१—कोच (जालौन) | .. | .. | .. |
| २२—ओरई (जालौन) | .. | .. | .. |
| २३—कालपी (जालौन) | .. | .. | .. |
| २४—मेरठ | .. | .. | .. |
| २५—बरौत (मेरठ) | .. | .. | .. |
| २६—गाजियाबाद (मेरठ) | .. | .. | .. |
| २७—हापुड़ (मेरठ) | .. | .. | .. |
| २८—पिलखुआ (मेरठ) | .. | .. | .. |
| २९—मवाना (मेरठ) | .. | .. | .. |
| ३०—एटा | .. | .. | .. |
| ३१—कासगंज (एटा) | .. | .. | .. |
| ३२—बिजनौर | .. | .. | .. |
| ३३—चांदपुर (बिजनौर) | .. | .. | .. |
| ३४—धामपुर (बिजनौर) | .. | .. | .. |
| ३५—रामपुर | .. | .. | .. |
| ३६—हमीरपुर | .. | .. | .. |

| नगरपालिका | टाउन एरिया | नोटीफाइड एरिया | डि० बोर्ड |
|---|---|---|---|
| ३७—महोबा (हमीरपुर) | .. | .. | .. |
| ३८—चरखारी (हमीरपुर) | .. | .. | .. |
| ३९—राठ (हमीरपुर) | .. | .. | .. |
| ४०—प्रतापगढ़ | .. | .. | .. |
| ४१—ऋषीकेश (देहरादून) | .. | .. | .. |
| ४२—अलीगढ़ | .. | .. | .. |
| ४३—हाथरस (अलीगढ़) | .. | .. | .. |
| ४४—सिकन्दराबाद (अलीगढ़) | .. | .. | .. |
| ४५—कानपुर | .. | .. | .. |
| ४६—बुलन्दशहर | .. | .. | .. |
| ४७—डिबाई (बुलन्दशहर) | .. | .. | .. |
| ४८—आजमगढ़ | .. | .. | .. |
| ४९—मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) | .. | .. | .. |
| ५०—सहारनपुर सिटी बोर्ड | .. | .. | .. |
| ५१—रुड़की (सहारनपुर) | .. | .. | .. |
| ५२—हरद्वार (सहारनपुर) | .. | .. | .. |
| ५३—मिरजापुर | .. | .. | .. |
| ५४—बांदा | .. | .. | .. |
| ५५—मैनपुरी | .. | .. | .. |
| ५६—शिकोहाबाद (मैनपुरी) | .. | .. | .. |
| ५७—बहराइच | .. | .. | .. |
| ५८—आगरा | .. | .. | .. |
| ५९—फिरोजाबाद | .. | .. | .. |
| ६०—फतेहपुर सीकरी (आगरा) | .. | .. | .. |
| ६१—देवरिया | .. | .. | .. |
| ६२—पडरौना (देवरिया) | .. | .. | .. |
| ६३—गोराबरहज (देवरिया) | .. | .. | .. |
| ६४—बलिया | .. | .. | .. |
| ६५—गोरखपुर | .. | .. | .. |
| ६६—नैनीताल | .. | .. | .. |
| ६७—बरेली | .. | .. | .. |
| ६८—झांसी | .. | .. | .. |
| ६९—ललितपुर (झांसी) | .. | .. | .. |
| ७०—मऊरानीपुर (झांसी) | .. | .. | .. |
| ७१—हरदोई | .. | .. | .. |
| ७२—संडीला (हरदोई) | .. | .. | .. |
| ७३—बिलग्राम (हरदोई) | .. | .. | .. |

| नगरपालिका | टाउन एरिया | नोटीफाइड एरिया | डि० बोर्ड |
|---|---|---|---|
| ७४—शाहाबाद (हरदोई) | .. | .. | .. |
| ७५—पिहानी (हरदोई) | .. | .. | .. |
| ७६—फतेहपुर | .. | .. | .. |
| ७७—मुरादाबाद | .. | .. | .. |
| ७८—हसनपुर (मुरादाबाद) | .. | .. | .. |
| ७९—चंदौसी (मुरादाबाद) | .. | .. | .. |
| ८०—इटावा | .. | .. | .. |
| ८१—औरैया (इटावा) | .. | .. | .. |
| ८२—फैजाबाद | .. | .. | .. |
| ८३—टांडा (फैजाबाद) | .. | .. | .. |

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१९१ एल० ए०—१९५६—७९६ ।